महानगर नई दिल्ली मंगलवार 27 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड चार दिन बढ़ी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड की अवधि सोमवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी।

अदालत ने चिदंबरम को 30 अगस्त तक एजंसी की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआइ की उस मांग को स्वीकार कर लिया कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की अभी और जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआइ हिरासत में भेजे जाने के निचली बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट चिंदबरम की एक नई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

ईडी मामला : गिरफ्तारी से संरक्षण आज तक के लिए पेज 8

ईडी ने वोरा व हुड्डा के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में भूमि आबंटन मामले में सोमवार को अपना पहला आरोपपत्र दायर किया और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। ईडी के प्रवक्ता के मुताबिक, चंडीगढ़ के नजदीक पंचकूला स्थित एक विशेष पीएमएलए अदालत में इसे दायर किया गया।

यह मामला तत्कालीन सरकार द्वारा 1992 में पंचकूला के सेक्टर 6 में सी 17 स्थित नंबर के प्लॉट का आबंटन एजेएल को करने में कथित अनियमितताओं और धनशोधन के आरोपों से संबंधित है। एजेएल का नियंत्रण नेहरू-गांधी परिवार सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के हाथ में है। यह समूह नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र चलाता है।

प्रवर्तन निदेशालय प्लॉट को पहले ही कुर्क कर चुका है, जिसका मूल्य 64.93 करोड़ रुपए आंका गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 2005 में पंचकूला की जमीन 1982 की दर (91 रुपए प्रति वर्ग मीटर) पर आबंटित करवाई थी। हुड्डा और एजेएल के पदाधिकारियों पर 2005 में अवैध तरीके से भूमि के आबंटन का आरोप है। पंचकूला के सेक्टर छह में 29 जून 2005 को एजेएल को आबंटित कर दिया गया था। यह भूमि करीब 3360 वर्गमीटर थी।

ईडी का कहना है कि इस आबंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ। इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपए था, जबकि इसे 69.39 लाख रुपए में आबंटित कर दिया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने मई 2016 को इस मामले में केस दर्ज किया। चूंकि मुख्यमंत्री हुडा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह गड़बड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

एजेएल पंचकूला भूमि आबंटन मामला

हुड्डा पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 2005 में एजेएल को 1982 की दर (91 रुपए प्रति वर्ग मीटर) पर पंचकूला की जमीन आबंटित करवाई थी।

फ्रांस में कश्मीर मुद्दे पर मोदी की ट्रंप को दो-टूक

हमारा मामला, हम किसी तीसरे देश को नहीं देना चाहते कष्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

कश्मीर पर अमेरिका से मध्यस्थता की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तगड़ा झटका दिया है। सोमवार को फ्रांस के शहर बियारित्ज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया को संबोधित करने के दौरान मोदी ने दो-टूक कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। हम द्विपक्षीय रूप से इन मुद्दों पर चर्चा कर इनका समाधान कर सकते हैं।'

जी-7 की बैठक के मौके पर बियारित्ज पहुंचे मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें कश्मीर पर बात हुई। विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वहां बैठक में कश्मीर का मुद्दा एजंडे में शीर्ष पर है। दरअसल, कई दफा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर ट्रंप ने एकाधिक बार मध्यस्थता की बात उठाई थी। भारत इसको खारिज करता रहा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप-मोदी की मुलाकात में मध्यस्थता की पेशकश के मुद्दे पर भारत ने स्थिति बाकी पेज 8 पर

ट्रंप का मजाकिया अंदाज, लगे ठहाके

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बेतकल्लुफ और मजाकिया अंदाज पर जोरदार ठहाके लगे। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वह इस भाषा में बातचीत नहीं करना चाहते। ट्रंप बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बियारित्ज में

इमरान ने दी परमाणु युद्ध की धमकी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

जी-7 की बैठक के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के

प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने सरकारी टीवी पर अपनी अवाम को संबोधित करते हुए कहा, 'कश्मीर पर दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा।... दोनों तरफ परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध हुआ तो दोनों बाकी पेज 8 पर

अमेरिका से आयात बढ़ाएगा भारत

बियारित्ज/लंदन, 26 अगस्त (भाषा)।

भारत की योजना अमेरिका से तेल और अन्य आयात बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में उन्हें यह जानकारी बाकी पेज 8 पर

जालान समिति की सिफारिशें मानीं आरबीआइ ने

सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देगा केंद्रीय बैंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सोमवार को मुनाफे और अधिशेष (सरप्लस रिजर्व) में से 1.76 लाख करोड़ रुपए रूप में सरकार को देने का फैसला किया।

आरबीआइ के बोर्ड ने अपने पूर्व गवर्नर बिमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी। सिफारिशों के मुताबिक ही सरकार को दिए जाने वाले 1,76,051 करोड़ रुपए में से 1,23,414 करोड़ रुपए 2018-19 के सरप्लस के रूप में स्थानांतरित किए जाएंगे। आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि शेष 52,637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) के तहत चिह्नित अतिरिक्त प्रावधान के रूप में स्थानांतरित किए जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, रिजर्व बैंक का धन मिलने से सरकार को वित्तीय घाटा काबू में रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.3 फीसद के बराबर वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा बाकी पेज 8 पर

रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 2018 को छह सदस्यीय समिति बनाई थी।

बाजार में तेजी, सूचकांक 793 अंक उछला

मुंबई, 26 अगस्त (भाषा)।

सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में दिख रही सुस्ती को दूर करने के उपायों की घोषणा के बाद सोमवार को बाजार में जोरदार तेजी रही। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 792.96 अंक के उछाल के साथ 37,494.12 अंक पर पहुंच गया। पिछले तीन माह में यह किसी एक दिन की सबसे ऊंची बढ़त दर्ज की गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार पटरी पर लाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) पर लगाए गए बढ़े अधिभार को वापस ले लिया। बैंकों को बाकी पेज 8 पर

बच्चों की बेरोजगारी से था परेशान

पिता ने खट्टर के रथ के सामने लगाई आग

चंडीगढ़, 26 अगस्त (जनसत्ता)।

बच्चों की बेरोजगारी से तंग एक पिता ने सोमवार को सोनीपत के राठधना गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रथ के आगे खुद को आग लगा ली। बुरी तरह से झुलस गए उस व्यक्ति व एक अन्य की हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया है। पीड़ित को बचाने के चक्कर में छह अन्य ग्रामीण भी झुलस गए जिन्हें सोनीपत अस्पताल में बाकी पेज 8 पर

हालत गंभीर होने के मद्देनजर पीजीआइ रोहतक भेजा गया, छह अन्य भी झुलसे

भ्रष्टाचार के आरोप में 22 कर अधिकारी 'जबरन' सेवानिवृत्त

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में कर विभाग के और 22 अधिकारियों को 'जबरन' सेवानिवृत्त किया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा और कसते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने भ्रष्टाचार पर मुख्य नियम 56 (जे) के तहत निरीक्षक स्तर के 22 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। सीबीआइसी वैश्विक स्तर पर जीएसटी और आयात कर संग्रह की निगरानी करता है। इस साल जून से तीसरी बार भ्रष्ट कर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के 27 उच्चस्तर के अधिकारियों को इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई थी। इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपन भाषण में कहा था कि कर प्रशासन में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ईमानदार करदाताओं को परेशान किया बाकी पेज 8 पर

मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी जा रही एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है। उन्हें 'जेड प्लस' सुरक्षा मिलती रहेगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला विभिन्न सुरक्षा एजंसियों द्वारा बाकी पेज 8 पर

दरअसल

दिवंगत भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि देने के दौरान दिया बयान **विवादास्पद बोल** लोस चुनाव के दौरान एक साधु की दी नसीहत को किया याद

प्रज्ञा का आरोप, विपक्ष कर रहा 'मारक शक्ति' का उपयोग

भोपाल, 26 अगस्त (भाषा)।

भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक दफा फिर से अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है।

प्रज्ञा ने सोमवार सुबह प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोक सभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 'एक बड़ा कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी, उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा, आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो भाजपा पर कर रहा है और वह पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो पार्टी को संभालते हैं, उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को भीड़ में चलते-चलते मैंने सुना और भूल गई परंतु आज जब मैं देखती हूं कि वास्तव में हमारे शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा स्वराज जी, बाबूलाल जी, जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते-सहते जाते हैं, मन में एक बार आया कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है।' हालांकि शोक सभा के बाद संवाददाताओं के इस बारे में पूछने पर प्रज्ञा ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी प्रज्ञा ठाकुर।

शोक सभा को संबोधित करते साध्वी ने कहा- -'मैं जब चुनाव लड़ी, उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा, आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए है।'

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने सांसद प्रज्ञा सिंह के बयान पर कहा, 'साध्वी प्रज्ञा का बयान बेहद आपत्तिजनक है। उनका यह कहना कि कांग्रेस मारक शक्तियों का उपयोग कर रही है भाजपा नेताओं को मारने के लिए। यह अपने आप में दिखाता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं।

Join @NewspapersToday

Join @NewspapersToday

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,PARVESH Kumar S/O Shashi Bhushan, Residing at-H.no-301 pandit-mohalla village-kondli east Delhi-110096, declare that name of mine and my mother has been wrongly-written as Parvesh and Narmada Rani in my educational documents and driving Licence.The actual name of mine and my mother are Parvesh kumar and Narbada Rani respectively, which may be amended accordingly. 0040509494-5

It is for general information that I,Narender Sharma S/o-Govind Sharma R/o-4/2747 St. No.4 Bihari-Colony,Shahdara Delhi-110032,inform that name of mine hasbeen wrongly written as Narendra Sharma in my minor son Aditya Sharma(15-Years) School-Record. But mine actual name is Narender Sharma which may be amended accordingly. 0040509452-1

It is for general information that I,Mamta Devi W/o Rajen Kumar Tiwari R/o-IX/4314-C St. No.8, Ajeet Nagar,Gandhi Nagar Delhi-110031, informs that name of mine hasbeen wrongly written as Mamta Tiwari in my minor son Priyanshu Tiwari(14-Years) School Record. But mine actual name is Mamta Devi which may be amended accordingly. 0040509452-3

It is for general information that I, Bhagwat Prasad S/o Chhote Lal Prasad R/o-9/5432 Gali No.5, Raghubarpura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031, inform that name of mine has been wrongly written as Bhagvat Kumar in my minor son Shrikant(15-Years) School Record. The actual name of mine is Bhagwat Prasad which may be amended accordingly. 0040509452-2

It is for general information that I HARISH Kumar sharma S/O Shashi Bhushan vashistha, Residing at-H.no-301 pandit mohalla village kondli east Delhi-110096 declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly-written as Harish kumar vashishatha, Shashi Bhushan sharma and Narmada Rani in my educational documents and driving Licence, Conductor's Licence and my First Aid Certificate. The actual name of mine, my father and my mother are Harish kumar sharma, Shashi Bhushan vashistha and Narbada Rani respectively, which may be amended accordingly. 0040509494-4

I,Shivani W/o Himanshu Joshi R/o-10053 ATS One Hamlet Sector-104 Noida Gautam Budh Nagar U.P.201304,have changed my name to Shivani Joshi. 0040509452-8

I,Shankar S/o Shyam Lal R/o-343 S/F Jagriti Enclave Delhi-92, have changed my name to Shankar Shorya. 0040509452-6

I,Rajesh Rani W/o Rejender Sehrawat R/o-10 Goodwill-Aparment Sector-13,Rohini Delhi-110085, changed my name to Rajesh Sehrawat permanently. 0040509448-3

I,Poonam Yadav W/o Hav/Mt. Kaptan Singh (No.14814499W) R/o Village-Nanu Khurd,P.O.-Nanu Kalan Tehsil-Pataudi, Distt.-Gurugram, (HR) Intimate That My Correct Date-Of-Birth is 03.03.1981 instead of-28.12.1980. 0040509452-9

I,Kekiegumle D/o Kupei Hega R/o-149,Second Floor,Kailash Hills,near C-Block Market, New Delhi-110065, have changed my name to Kekiegumle Hega. 0040509451-2

I, Yoginder Singh Rawat S/o Anand Singh Rawat R/o C-91/B, New Multan Nagar Delhi-110056 havechanged my minor son's name from Yash Rawat to Yashraj Singh Rawat. 0070671712-1

I,Daljeet Kaur W/o Gurminder Singh,R/o-G-14, Gali.No.5,G-Block,Hari Nagar,Delhi-110058 have changed my minor son name from Harjas Singh to Harjas Singh Sabharwal. 0040509451-3

I,Ayesha Begum W/o Mohd Zarif R/o-1154,Gali-Sayyed Wali,Kucha Faulad Khan, Darya Ganj,New Delhi-110002, Have Changed My Name To Aisha Begum For All,Future Purposes. 0040509475-3

I,Ankit Kumar S/o-Lalan Mishra R/o-A-723, Sector-2, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Ankit Kumar Mishra. 0040509448-1

I, Vishal Son Of Goutam Biswas R/O-H.No-562, Gali No-22, Shaheed-Bhagat Singh Colony, Delhi-110094. Have Changed My Name To Vishal Biswas. 0040509453-7

I Chhote lal verma S/O Ram sukh R/O B-1/58 Shiv Ram park nangloi Delhi-41 is also known as chhote lal both names are of one and same person. 0040509494-2

I Ashish Kumar S/O Randhir Singh R/O E-124, Babar Road, Railway Colony, Connaught Place, New Delhi-01 Have Changed My Name To Ashish Sehrawat For All Purposes. 0040509446-3

व्यक्तिगत

I, Vishal S/o Late Sh. Jai Chand R/o-G-7/9, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Vishal Chhabra for all purposes. 0040509417-1

I, Vineet Bhatia S/o Chander Prakash Bhatia R/o 1262, Shora Kothi, gali Ganesh , Subzi Mandi Delhi- 110007 have changed my name to Vineet. 0070671708-1

I, Vijethvardhan Singh S/o Sh.Shailendra singh Rawat R/o-A-19 Mangalam Apartment Sector-21D, Faridabad (Haryana) Pin-121001,inform that my name is wrongly mentioned as Vijeth Vardhan in my 10th marksheet and some other Educational Documents whereas my correct name is Vijethvardhan Singh 0040509482-9

I, Vijaypal Yashpal Singg S/O Yashpal Shribagh Singh R/O-23/1A, F.F, Tilak Nagar, Delhi-18. Changed My Name To Vijaypal Singh. 0040509465-2

I, Vandana Bansal W/O Madhur Bansal R/O 192-B, Main Bazar, Pana Udyan, Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Vandana. 0040509497-7

I, Upadhyayula Vvss Manyam S/O Venkata Ramana Upadhyayula, H.No-1/11161, Street-No-11, Subhash-Park, Naveen Shahdara, Delhi-110032.Have Changed My Name to Subrahmanyam Upadhyayula. 0040509446-9

I, Tara @Tara K C D/o Vikram Kumar R/o-T-617, Ist Floor, Baljeet-Nagar, N.Delhi-110008. have changed my name to Tara Ramtel. 0040509453-9

I, Surender Singh S/o Khajan Singh R/o H.No-282, Rao Ramdas Marg, Kapashera New Delhi-110037 have changed my name to Surender Yadav. 0070671715-1

I, Suniti Mittal W/o Rohit Mittal D/o-Om Prakash Goyal R/o-D-17, Kamla Nagar, Delhi-07,my name has been wrongly written as Sunita in my matriculation certificate, my correct name is Suniti Mittal, Suniti Mittal and Sunita is Same and one Person 0040509405-1

I, Sunita Kumari R/o H No.84, D-Block,Gali No.4, Gopal Nagar, South West Delhi, Delhi-110043 have changed my name to Sunita Yadav 0070671711-1

I, Sunil Kumar. S/O Rajkumar R/O-Rz-246, Karan Vihar, Part-1 Kirari Suleman Nagar, Delhi-86 Changed My Name To Sunil Bansal. 0040509465-3

I, Sudesh Kumar Sharma, S/o Sh.Chander bhan Sharma, R/o E-103, Gali no.5, West Jyoti Nagar, Shahdara, Delhi-94. Have changed my name Sudesh Kumar Sharma to Sudesh Sharma for all future purposes. 0040509414-1

I, Sudesh Kumar S/o-Jagarnath Prasad, R/o-B-233, Gali.No.7, Inder-Enclave, Phase-I, Kirari-Suleman-Nagar, Delhi-110086. inform that my father's name has been wrongly-written as Jagnath Ram,in my Passport No.(K-3334262) instead of Jagarnath Prasad. 0040509482-8

I, Simrat Paul Kaur S/o Harnam Singh, R/o A15/14, Vasant Vihar, New Delhi-110057, do hereby solemnly informs that henceforth, I have changed my DOB 27/09/1945 and father's name Harbhajan Singh which were erroneously recorded in my Pan Card and in place thereof, I do hereby correct the name to Simrat Pal Kaur, DOB 31/05/1943 and father's name Harnam Singh, for all future purposes vide affidavit dated 21/08/2018. 0040509483-1

I, Shreenath Mishra,S/o Sh.Rajnath Mishra R/o-238-A, Grund-Floor Pocket-F-Dilshad, Delhi-110095.,have changed my name, from Shrinath Mishra to Shreenath Mishra, for all future purposes. 0040509453-2

I, Shanam Soni W/o Nikhil Sehgal R/o-B-3/23 First Floor Sector-17 Rohini Delhi-110085, changed my name to Manika Sehgal permanently. 0040509482-1

I, Shally Chandna W/O Krishan Kumar Marwah, R/O-U-130/1, Street No-2, Upadhyay-Block, Shakarpur, Delhi-110092. Changed My Name To Shelly Marwah. 0040509497-6

I, Seema Rani W/o Suresh Kumar Goel R/o B-365 Avantika Sector-1 Rohini Delhi-110085 changed my name to Seema Goel. 0040509482-5

I, Saurabh S/o Cuckoo R/o-F-13/9 Krishna Nagar Delhi-110051, have changed my name to Saurabh Kanojia for all purposes. 0040509452-5

I, Sarvesh Kumar S/o Sohan Lal Saxena R/o-Plot.No.107-108 Pocket-B7 Sector-5, Rohini Delhi-110085. Have Changed My Name To Sarvesh Saxena. 0040509448-10

I Ankur Sharma S/O Vishwanath Sharma R/O-B-4/136, Paschim-Vihar Delhi-110063.Changed My Minor Son Name Navya Ratan Sharma To Navay Ratan Sharma. 0040509446-10

I Shaifali D/o Anuj Agarwal R/o 614 Sector-29 Faridabad Haryana have Changed my Name to Shefali Aggarwal 0040509405-2

I, Bharti D/o Jitender Kumar R/o-1/6095 Gali No.1 East Rohtas Nagar Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Bharti Sharma for all purposes. 0040509452-4

I, Saroj Singhal W/o Ashok Kumar Singhal R/o-SE-21, Singhal-Pur Extension, Shalimar Bagh, Delhi-110088 have changed my name to Saroj Gupta. 0040509453-1

I, Sarabjit Singh F/o-Pashmeen Suri, R/o-J-151A, Near Chawla-Nursing-Home, Rajouri-Garden, Delhi have changed my minor daughter's name, from Pashmeen Suri,to Pashmeen Kaur. 0040509482-7

I, Rohit Gadodia S/o Vijay Kumar R/o-221, Dayanand-Vihar, Vikas-Marg, New Delhi-110092.have changed the name of my minor daughter from Jiaa Gadodia alias Aadya Gadodia to Aadya Gadodia. 0040509497-2

I, Rita W/o Ravindar Kumar R/o RZF-765/16, Gali-6, Raj-Nagar-II, Palam-Colony, New Delhi have changed my name to Reeta for future. 0040509448-7

I, Rekha Kumari. W/O Parveen Goel R/O-74, Ugf Pocket-5, Sector-22, Rohini, Delhi-86 Changed My Name To Rekha. 0040509465-4

I, Ravindra Kumar S/o Babu Lal R/o-RZF-765/16, Gali-6, Raj-Nagar-II, Palam Colony, New Delhi, have changed my name to Ravindar Kumar for future. 0040509448-6

I, Rashid Ali S/o Mr. Asgar Ali R/o E-246/3, IInd Floor Front, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 have changed my minor daughter's name from Areeba Sayyad to AISHA ZAIDI for all future purposes. 0040509429-1

I, Rama Shanker Mishra s/o-Bhagawati Prasad Mishra H.NO-177, near-Shivam hospital, sector-30, Gurgaon. Have changed my name to Rama Shankar Mishra. 0040509448-9

I, Rakesh Singh r/o Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, B-Block, New Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my minor daughter's name from Jasneet Kaur to Jasmeet Kaur. 0040509415-1

I,Surender Singh S/o Jug Lal R/o-WZ-66, Third-Floor, Hari Singh-Park, New Multan-Nagar, New-Delhi-56, changed my name to Surinder Singh. 0040509448-2

I, Rajesh Kumar,S/o Shri.Jagat Ram Sharma R/o-H.No.603, Block-C, Gali No.7, SGM-Nagar, NIT-Faridabad, Haryana have changed my name from Rajesh Kumar Sharma to Rajesh Kumar,for all purposes. 0040509482-10

I, Rajesh Kumar S/o Late.Om Prakash R/o-H-2/4, Shiksha-Apartment, Plot No.-GH-11, Sector-6, Vasundhara, Ghaziabad(U.P) have changed my name to Rajesh Tewatia.,for all future purposes. 0040509446-4

I, Raja Ram Bharti S/o Late Shri D.P. Bharti R/o C-93,Sector-20, Noida, Distt-G.B. Nagar 201301 (U.P.) have changed to Rajesh Rai Bhartia for future all purpose. 0040509462-1

I, Purnanand S/o Ghallu Ram Kothari R/o D-931, 5th Avenue, Gaur City -1 Sector-4 Greater Noida West -201009 have changed my name to Purnanand Kothari. 0070671703-1

I, Preeti D/o Subhash Chand Sharma R/o-E-19/23, Shradhanand Colony Bhalaswa Dairy, Delhi-42, have changed my name to Preeti Sharma. 0040509448-4

I, Parkash S/o Jatt Ram R/o V-6, 2nd Floor, West Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to Prakash Chand, for all purposes. 0040509402-1

I, Nitin Kumar Tonk S/o Nand Kishor R/o-Flat No-203, First Floor, Ganga-Apartment, House No-RZG-799/B, Raj-Nagar Part-2, Palam-Colony-Bagdola, N.Delhi-110077. Changed my name to Nitin Tonk permanently. 0040509482-2

I, Nirmala Bansal W/O Suresh Kumar R/O M-441, Block-M, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, Delhi-110087. Changedmy Name To Nirmala Devi. 0040509497-8

I, Neetu Goyal W/o Mahabir Parshad Gupta, R/o-37, B-3, Gwalior House, Civil-lines, Delhi-110054 have changed my name to Neetu Gupta. 0040509513-1

I, Neelofar W/o Mumtaj Akhtar R/o H.No.1820, Sui Walan, Darya Ganj, Delhi-110002 have changed my name to Sumera Akhtar. 0040509482-6

I, Naushad Khan S/O-Amiruddun Mirza R/O-A-2/97-98, J J Colony, Nangloi, Delhi-41 Changed My Name To Mohd Naushad Mirza. 0040509446-2

I, Nanad Kishor S/o Shadi Ram R/o-411, Shivaji Nagar, Pilkhuwa-Hapur, Ghaziabad UP-245304. Changed my name to Nand Kishor permanently. 0040509482-3

I Pawan Kumar Upadhyay S/o Devinder Kumar Upadhyay R/o H. No. 638/47, Sanjay Colony, Sector-23, Faridabad, inform that Pawan Kumar Upadhyay & Pawan Kumar both are same person & my correct name is Pawan Kumar Upadhyay for all purposes. 0040509497-9

I Muaphia Begam D/o Gurjeet Khan R/o H.No.28, Street No.2 Hira Mahal Nabha Distt. Patiala, Punjab 147201, have changed my name to Mahipreet Kaur. 0040509442-1

व्यक्तिगत

I, Mohinder Singh S/o Hatti Singh R/o-H.No.C-1/5, Panchwati-Colony, Loni-Border Loni-Dehat Ghaziabad Uttar Pradesh-201102 have changed my name from Mohinder Singh to Mahender Singh and I shall hereafter be known as MAHENDER SINGH. 0040509497-1

I, Manoj Gahlot, Son Of.Om Prakash, Resident Of-A5/1, Shyam-Vihar Phase-1, Najafgarh, Delhi-110043.That My Name As Manoj Kumar Mentioned In My Sc-Certificate,That Manoj Kumar And Manoj Gahlot Both Are The Same And One Person. 0040509465-8

I, Manju Bala W/O Arjun Mehta R/O-Q-1/26, Budh-Vihar, Delhi-86 Changed My Name To Manju Mehta. 0040509465-5

I, Kupei S/o Taksham Hega R/o-149,Second Floor,Kailash Hills,near C-Block Market, New Delhi-110065,have changed my name to Kupei Hega. 0040509451-1

I, Kum Usha Chawla W/o Pramod Kumar R/o D-72, M.K Residency Plot No.8-B, Sector-11, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Usha Sachdev for all future purposes. 0040509409-1

I, Krishan Kumar S/O Guru Charan Das R/O-U-130/1, Street No-2, Upadhyay-Block, Shakarpur, Delhi-110092. Changed My Name To Krishan Kumar Marwah. 0040509497-5

I, Kuldeep Kaul S/o Sh.S.L.Kaul R/o J4/37D, Flat-D-2, Khirki-Extn., Malviya-Nagar, New Delhi-110017.have changed the name of my minor son from Kshantu Kaul to Krishaant Kaul. 0040509497-3

I, Kothari Prateek s/o Nand Lal Kothari Add 3/25, Shanti Niketan, ND-110021, have changed my name to PRA-TEEK KOTHARI. 0040509408-1

I, Jeba Jahan W/O Mohd Naushad Mirza R/O A-2/97-98, J J.Colony, Nangloi, Delhi-41 Changed My Name To Zeba. 0040509446-1

I, Jayender S/o Giriraj Sharma R/o H.No.61, Basant Gaon, Vasant Vihar, Delhi-110057 have changed my name to Jayender Sharma. 0040509494-1

I, Jasleen Kaur Anand, R/o A-50/3, GF, Ganesh Nagar, Tilak Nagar New Delhi 110018 have changed myminor child's name from Agamjyot Singh to Agamjyot Singh Anand. 0070671709-1

I, Himanshu S/o Jagdish Prasad Joshi R/o-10053 ATS One Hamlet Sector-104 Noida Gautam Budh Nagar, U.P.201304, have changed my name to Himanshu Joshi. 0040509452-7

I, Harsh S/o Arun Kumar R/o BJ-111, West Shalimar-Bagh, Delhi-110088, have changed my name to Harsh Gupta. 0040509453-5

I, Harneet Singh s/o Trilochan Singh r/o SF, B-78A, Fateh Nagar, Delhi 110018, have changed my minor daughter's name from ASHVEEN KAUR BHASIN aged 13 years to ASHVEEN KAUR. 0040509433-1

I, Gujral Gurvinder Singh Davinder Sing S/o Davinder Singh Gujral R/o:J-5/148, 3rd-Floor, Rajouri-Garden, N.Delhi-110027. have changed my name to Gurvinder Singh Gujral. 0040509453-8

I, Govind Prasad, S/o Sh.Puranmal Swami, R/o-E-76, Surya-Roshni Limited, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507, have changed my name to"Govind Prasad Swami"for all future purposes. 0040509446-7

I, Gaurav Kumar S/o Rajesh Sharma R/o-1832, GF, RaniBagh, Delhi, have Changed my Name to Gaurav Sharma. 0040509448-5

I, Dhan Singh S/o Lt. Ganga Singh R/o 110A, Zamrudpur, New Delhi-110048, have changed my minor daughter's name from Amita Davi to Anita Davi for all future purposes. 0040509488-1

I, Deepa Dabral W/o Dinesh Dabral R/o B-176, Rajeev Nagar Begumpur Delhi-110086, have changed my name to Devishwari. 0040509453-4

I, Darshan Rani W/O, Mukesh Kumar Gupta R/o Wz-258, Nangal Raya, New Delhi-110046, have changed my name to Darshan for all purposes. 0040509471-1

I, Basgari W/o Nasiruddin R/o H.No.A-24 Gali No.15/16 Mandawali-Unchepar Delhi-92 have changed my name to Baskari Begum. Actual date-of-birth 04/8/1945. 0040509465-7

I, Bahara Gurendarsingh Kewalsingh/Gurinder Singh Bahara s/o Kewal Singh r/o SF, D-8, Sudarshan Park, Delhi-110015, have changed my name to GURINDAR SINGH. 0040509440-2

I Kamal Bhatia W/O. Rajeev Bhatia R/O.DD2/4, Jeevan Jyoti-Apartments, Pitampura, New Delhi-110034.,inform that Kamal Bhatia & Neel Kamal Bhatia are one and same person. 0040509446-6

I Inder pal Singh Ratra S/O Hari pal Singh Ratra R/O.S-1/102, Old-Mahavir Nagar, New Delhi-110018.,inform that my minor daughter Karman Kaur Ratra & Karman Ratra both are one & same person. 0040509446-5

मैं ज्योति देवी w/o महीपाल सिंह House No. 266 E-50 ward no. 2 महरौली नई दिल्ली 110030 मैं अपना नाम कविता को बदलकर ज्योति देवी रख रही हूं आज दिनांक 24/8/19 से मुझे ज्योति देवी के नाम से पुकारा जाए मैं अपने सारे कागजात ज्योति देवी के नाम से करवाना चाहती हूं।

I, Ashish Bansal S/o Govind Bansal R/o:B-234 Prashant Vihar Delhi-85 changed my minor daughter's name Aaliya Bansal to Aarna Bansal. 0040509482-4

I, Army No-2601603 M Rank Sepoy K SHANKARA LINGAM R/o-1086DSC PL,CASD Delhi Swearing this solemn affirmation to confirm the above said facts and to correct my Son's Name as Yashwanth Kumar S instead of Yashvant Kumar correct inital is S which the expansion of my name in Shankaralingam my army service-record. 0040509452-10

I, Arjun Singh S/o Devender Kumar Yadav R/o House No.D-211, Gali no.6, Om Nagar Badarpur N.Delhi-110044, confirm that in my educational documents my father name wrongly mentioned as Devender Singh instead of Devender Kumar Yadav. 0040509451-6

I, Aparna Gupta W/o Ali Mohammad Saleem R/o G-122, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, changed my name to Sarah Ali. 0040509411-1

I, Anita W/o Late Shri Ram Preet Yadav R/o 136/2 Yadav Chopal Village Badli Delhi-42 changed my name to Meena. 0040509494-3

I, Amit Kumar, R/O-Flat No.604, Tower-S6, Eldeco-Aamantran, Sector-119, Noida, Gautambudh-Nagar, U.P.201301, Changed My Minor Daughter Name Navya To Navya Tandial. 0040509453-3

I, Aman Chaudharry S/o-Sunil Kumar R/o-A-106, Omex-City, Sec-14, Jhajjar-Road, Bahadurgarh,-Haryana, have changed my name to Aman Chaudhary. 0040509448-8

I, Afroz Khan W/o Percy Peter James Addres- 3/25 Nehru Nagar Sriniwaspuri Delhi-110065. Have Changed My Name To Afroz James. 0040509465-1

I, Abhay Chaursia S/o Girraj Prasad Chaurasia R/o-1864, Allahabad-Bank, TilakDwar, Seth-Bada, Mathura Chhata, Mathura have changed my name to Abhay Kumar Chaurasia. 0040509453-6

I hitherto known as Prithvi Singh S/O Sh.Narendra Singh R/O-12 Mangla Apartment Block-G kaljaji NewDelhi-110019 have changed my name and shall hereafter be known as Prithvi Raaj Singh. 0040509497-4

I Manish Saini R/O-D032 The Nest Assotech Crossing Republik, Ghaziabad 201307 have changed my son name from CHETAN SAINI to CHET-TAN SAINE.,for all purposes. 0040509446-8

I Mahak D/o Hitesh Kakkar R/o-314-D FIrst Floor Block-M Sector-51 Orchid Island Gurgaon have changed my name to Mahak Kakkar. 0040509465-6

I, Mohinder Singh S/O Shri Mada Singh R/O H-35/1, Sant Nagar, Ext. Tilak Nagar, Delhi-110018, by mistake name written in CBSE record of my son Manjeet Singh but correct name is Mohinder Singh SO Mahinder Singh and Mohinder Singh is one & the same person. 0040509451-7

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my clients 1. Sh. Sandeep Malhotra & 2. Sh. Pradeep Malhotra both S/o Late Sh. Jagmohan Malhotra are the joint owners of Plot bearing No. C-41, in Block-A, Area measuring 120 sq. yds. situated in the layout plan of Najafgarh Road Scheme, Colony known as Tagore Garden, New Delhi-27. The Original Documents i.e. Lease Deed, Allotment Letter, Possession Letter, Site Possession, Demand Note, D-Form & Occupancy Certificate have been lost. An FIR to this effect has been lodged online on 26-08-2019. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address/phone no. 9818418041, within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB), 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Advocate A. K. Verma
319, DC, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

The general Public is hereby informed that my client Ram Kumar S/o late Amar Singh & his wife Smt. Santosh R/o 530/20, P.P. Colony, Village Baprola, Najafgarh, Delhi-110043 being fed up with disquesting and maltreatments of their son Praveen Kumar S/o Shri Ram Kumar and daughter-in-law Annu W/o Shri Praveen Kumar, break up all their relationship with them from this day onwards and hereby disown them from their property bearing no. 530/20, P.P. Colony, Village Baprola, Najafgarh, Delhi-110043 as well as from all other moveable and immoveable properties and my clients shall not responsible for the act of their son and daughter in law if anybody deals with them shall be doing so at their own risk/responsibilities and my clients shall not be responsible in any manner for the same.

M. P. Shukla, Advocate
Ch. No. 403, PHC, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री छट्टू सिंह, उर्फ छोटे लाल पटेल, पुत्र श्री राम सुमेर पटेल और श्रीमती राजकुमार देवी, पत्नी श्री छट्टू सिंह, उर्फ छोटे लाल पटेल, निवासी 96, सुधार कैंप, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली, ने अपने पुत्र श्री कृष्ण कांत और उनकी पुत्रवधु श्रीमती बबिता के साथ सभी संबंधों को समाप्त करते हुए अपनी सभी चल–अचल अतीत, वर्तमान और भविश्य सभी सम्पत्ति से आज दिनांक 21 अगस्त 2019 को उनके दुर्व्यवहार और अवज्ञा के कारण मेरे मुवक्किल की सभी चल और अचल सम्पत्तियों से विमुक्त हो चुके हैं। इसके बाद इनके साथ कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर काम करेगा।

अनुज के शर्मा (एडवोकेट)
जी–2/2010, तुलसी टॉवर, अलकनंदा, नई दिल्ली

खोया+पाया

I, Lalit Sharma S/o Roop Ram Sharma R/o-X/3871 Gali No.8, Raghubarpura No.2, Shanti-Mohalla, Gandhi-Nagar Delhi-110031, have lost my X-Pass Marksheet/Certificate Year-2003 Roll No. 6309735 CBSE-Delhi. 0040509452-12

I, Mahender S/O Om Prakash R/O-L-317 Camp No-03 Nangloi New Delhi-110041. Have lost my original certificate class-10th Rollno-8726514 years-2011 CBSE-Delhi 0040509494-10

I, RANJEET Kumar S/o Sada Nand Parsad R/o-C-72 vijay-vihar ph-1 Rohini sec-5 Delhi-85.,have lost my original Railway Adumit card physical adumit-card and certificate class-10 year-2010 Rollno-6388636 CBSE-Delhi. 0040509494-9

Lost original Possession Slip of Flat No.4C, Block B1A, 2nd Floor, Janakpuri, New Delhi-110058 belongs to Yog Raj S/o Late Shri Jiwan Dass. FIR lodged vide LR No.1424926/2019 dated:23-8-2019. Founder inform at:9810524424 0040509409-2

I, Raghu Nath, Proprietor of M/s.Suraj Plastic,states that 4 Sets of Perpetual-Lease Deed in respect of allotted plot bearing No.256, land area measuring 100 sq.mtrs., Pkt.E, Sector-5, situated in the lay-out plan of Bawana,DSIIDC Industrial Complex under Relocation-Scheme, Delhi, allotted by DSIIDC in the name of M/s.Suraj Plastic, against-Application No.4625, has been lost/misplaced. 0040509465-10

I, Rambeer Dandodiya s/o munni Lal Dandodiya R/o-shanti bai Vikas puri have lost my original certificate class-10th(2012) Rollno-8765845 class-12th (2014) Rollno-9751110 cbse, Delhi. 0040509494-7

I, BHAWNA D/o Sh. Hari Om, R/o D-306, St no. 5, Near Ram Lila Ground, Gokal puri, Delhi. Have Lost my original CBSE Xth Class Certificate Roll-no. 6315048. Finder may contact at above Address. 0040509418-1

Lost my original 10th &12th class certificate,Roll no-6342674 of the year 2010,Roll no-9640659 issued by CBSE,Candidate name-Kirti Sharma,D/O Vijendra Kumar. 0040509451-4

Lost: Marks statement of Senior Secondary Certificate examination, 2010, Roll No.-6240906 issued by CBSE, Delhi. Shubhika Gambhir d/o Vinay Gambhir r/o SF, F-38, Moti Nagar, Delhi-110015. 0040509404-1

Lost: Original fixed deposit receipt no.-28254, priority No-17645 of DDA-Rohini Residential scheme-1981 for plot.no-705, Pocket-C-1, Sector-35, Rohini. Pardeep Sethi R/o:SF, B-108, Naraina-Vihar. 0040509453-10

I, Lakshya sharma s/o mohan lal sharma R/o h.no-3/85 nehru-gali vishwas-nagar shahdara delhi-32.have lost my original certificate class-12th year-2016 Rollno-9129842 CBSE-Delhi. 0040509494-8

I, Shivam S/o Sushil Kumar R/o-C-60 Main Kanti Nagar Delhi-110051, lost my X/XII Pass Marksheet Year-2013/2015 Roll No.8614257/9611267 CBSE, Delhi. 0040509452-11

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed through this Public Notice that my client Mrs. Sarla W/o Sh. Ram Kumar and Ram Kumar S/o Sh. Mahavir Singh both R/o H.No.-157, Gali No.-2, Sector-5, Mohan Garden, New Delhi-59 have disowned and debarred his son Amit Kumar, his wife Sital and their child from all their moveable and immoveable properties and cancelled relations with them. The above said son and his wife misbehaved, abused, threatened and disobey the instructions and not keeping any relation with my clients. My clients shall not be held responsible for any acts, deed and things in whatsoever in any manner made by them and if anyone deals with them shall deal as per his/her own risk, cost and consequences. My clients will not be held responsible for any kind of their act.

Sunil Singh (Advocate)
Ch.No.850, Dwarka Courts Complex,
Sector-10, Dwarka, New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is notify general public that our client namely Mr. Raj Kumar Gupta, S/o Late Sh. K.L. Gupta R/o Godawari, C-12, New Krishna Park, Authorized Signatory of M/s Prashant Glass Works (P) Ltd a company having its regd. Office at B-2/247-248, Bhadaini, Gangotri, Varanasi-221001 (U.P.) as well as GPA holder of Mr. Vimal Gandhi and Mrs. Sunita Gandhi; with whom jointly owner of land bearing Khasra No. 273/2 min Shahabad Mohammadpur, Tehsil-Mehrauli, New Delhi-110061, wherein a piece of land admeasuring 4350 Sq. yards form the said land was agreed to sale to Mr. Vinay Money Tripathi S/o Mr. A.M. Tripathi R/o A-102, Plot No. 30, Bhawalpur Apartment, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075; vide agreement to sale dated 04/05/2018; and the said agreement to sale has already been expired in due course of time and non-fulfillment of conditions therein, hence Mr Vinay Money Tripathi or his LRs, Assignees, Nominee(s) have no legal right/title/interest to enter into any kind contract or agreement to sale lease etc. with regard to the above stated piece of land to anyone therefore it is to warn general public that any one dealing with Mr. Vinay Money Tripathi or his LRs, Assignees, Nominee etc. with respect to said land will be at his cost and consequences and in that event my client shall not be responsible for their acts or omissions whatsoever.

The Lexman Adv Sol,
Rajesh Khawar
UG-20 Vishwa Sadan,
District Centre, Janakpuri,
New Delhi-110058

फिट इंडिया अभियान से जुड़ें विश्वविद्यालय : यूजीसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 'फिट इंडिया' अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों से इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए कहा है।

यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन के मुताबिक 'फिट इंडिया' अभियान देश को पूर्ण स्वास्थ्य के पथ पर आगे ले जाने के लिए एक अभियान है और स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का यह एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अभियान में हिस्सा लेकर अपने उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य के लिए सार्थक प्रयास कर सकते हैं। जैन की ओर से कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय 'फिट इंडिया' अभियान की शुभारंभ के कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण को देखने के लिए सभी को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा 29 अगस्त को कोशिश करें कि सभी लोग दस हजार कदम चलें और इसके अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। 29 अगस्त के कार्यक्रम की एक लघु वीडियो बनाएं और उसे यूजीसी के पोर्टल पर उसी दिन उपलब्ध कराएं। यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उनसे संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों से अनुरोध किया है कि वे एक महीने के अंदर स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करें और अपनी वेबसाइट व सूचनापट्ट के माध्यम से इसका प्रचार करें। इसके बाद यूजीसी के फिट इंडिया पोर्टल पर भी अपलोड करें। परिसर में शारीरिक स्वास्थ्य की जरूर और उसकी संस्कृति को फैलाने के लिए ठोस कदम उठाएं।

नड्डा आज हरियाणा के एक दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,26 अगस्त।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरियाणा के एक दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पूर्वाह्न 11:50 बजे अंबाला पहुंचेंगे जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वे दोपहर 12:10 बजे अंबाला, सेक्टर–1 स्थित शहीद मेजर अमित आहूजा के आवास पर पहुंचेंगे और वीर सपूत शहीद आहूजा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वर्ष 2001 में जम्मू–कश्मीर में देश की सीमाओं की रक्षा के दौरान आतंकियों से दो–दो हाथ करते हुए मेजर अमित आहूजा शहीद हो गए थे।

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT **SMT. DARSHANA DEVI W/O LATE SUBHE SINGH BOTH R/O B/1 MINI MARKET MANGOLPUR DELHI-110083,** SEVERE ALL RELATIONS & DEBAR HER SON **DEEPAK KUMAR CHAUDHARY & HIS WIFE BARKHA** FROM ALL MOVABLE IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO THEIR MISCONDUCT & MISBHEVIOUR MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY OF THEIR ACTS IN FUTURE WHATSOEVER.

Sd/-
MANISH DIXIT
ADVOCATE
CHAMBER AT: 1421,
ROHINI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

I, NAGARMAL SONI, S/O LATE CHIRANJI LAL SONI, R/O- FLAT NO. 69-D POCKET-R, DILSHAD GARDEN, DELHI-110095, I HEREBY DECLARE THAT MY SON NAMELY SH. SUNIL SONI, DAUGHTER IN LAW NAMELY SMT. VINITA AND GRANDSON NAMELY SHRI. DHRUV, I DISOWN THEM FROM MY MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTY AND WHEREAS I HAVE NO FURTHER RELATION WITH THEM, WHEREAS IN FUTURE WHO CONTACTS THEM WOULD BE THEMSELVES RESPONSIBLE FOR IT.

Sd/-
**

नई दिल्ली
राजधानी
जनसत्ता, नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2019 3

महिलाओं पर मेहरबान दिल्ली सरकार

मुफ्त यात्रा और सुरक्षा के लिए 290 करोड़ रुपए मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), क्लस्टर बसों और मेट्रो ट्रेन में महिला यात्रियों की मुफ्त यात्रा के लिए सरकार द्वारा 290 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग को अपनी मंजूरी दे दी।

वित्त विभाग संभालने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो व डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विधानसभा में 290 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगों से संबंधित प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने डीटीसी बसों में मार्शलों की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपए और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 47 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव भी पेश किया।

सार्वजनिक परिवहन की बसों में जल्द ही मुफ्त यात्रा योजना लागू होगी लेकिन मेट्रो ट्रेन के लिए इसमें कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को तैयारियां करनी होंगी।

-मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली

सिसोदिया द्वारा पेश अनुपूरक मांग के मुताबिक, डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए सरकार ने 140 करोड़ रुपए का बजट रखा है जबकि मेट्रो ट्रेन में यात्रा के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली विधानसभा ने अनुपूरक मांगों से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में घोषणा की थी कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में 29 अक्तूबर से महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी। सिसोदिया ने मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए आवश्यक बजट को दिल्ली विधानसभा से मंजूरी दिलाने को लेकर पूछने पर कहा कि हमने बजट का इंतजाम इसलिए पहले ही कर लिया है ताकि तकनीकी जरूरतें पूरी कर लिए जाने के बाद बजट के अभाव में इस योजना को लागू करने में अड़चन न आने पाए। मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर केन्द्र व दिल्ली सरकार के बीच पिछले दिनों जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला था। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी इस योजना को लागू करने को तैयार है। इससे पहले सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं वसूलने का फैसला भी किया है। जानकारों के बीच दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर इन घोषणाओं को अहम माना जा रहा है।

डीयू में दाखिले के मौके बरकरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार रात को योग्यता आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आठवीं कटऑफ सूची जारी कर दी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) ने 98.625 फीसद बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र की कटऑफ जारी की है जो सबसे अधिक है। आठवीं कटऑफ सूची के मुताबिक सामान्य विद्यार्थियों के लिए 30 कॉलेजों में बीकॉम ऑनर्स की सीटें खाली हैं।

अर्थशास्त्र ऑनर्स की 15 कॉलेजों में, अंग्रेजी ऑनर्स की 22 कॉलेजों में और राजनीतिक विज्ञानऑनर्स की 6 कॉलेजों में सीट उपलब्ध हैं। हिंदू कॉलेज में 97.62 फीसद पर अर्थशास्त्र में दाखिला लिया जा सकता है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

अंचल तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा (आरओएसएआरबी)
4था तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (यहाँ के बाद अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्तियों जिसका अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की लागू होने वाले ब्याज, लागत, चार्जेज आदि के साथ बैंक के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार मेगा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहाँ के बाद नियमावली के रूप में वर्णित) के नियम 9 के अंतर्गत ''जैसा है जहाँ है जो कुछ भी वहाँ है तथा उपचार-रहित आधार'' पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों की बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	शाखा	ऋणधारक/ गारन्टर का नाम	सम्पत्ति के स्वामी	सम्पत्ति का विवरण (सभी सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	बकाया देयता धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय/खाता नं. आईएफएससी कोड	प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्पर्क नं.
1.	आरओ एसएआरबी नई दिल्ली	खाता मै. तेजस पब्लिकेशन द्वारा प्रॉप्राइटर श्रीमती उषा विश्ट	सम्पत्ति के स्वामी: श्रीमती उषा विश्ट पत्नी हरदीप विश्ट	शॉप नं. 51, 52 एवं 53, रमणीक मार्केट, तिकोना पार्क के सामने, एनआईटी, फरीदाबाद, जिसमें दो का माप प्रति 300 वर्ग फीट तथा एक का 150 वर्ग फीट	रु. 89,24,014/-(तथा ब्याज, खर्चे एवं अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि) 13(2) सूचना के अनुसार तिथि 6.10.2017	39,28,000/- / 3,92,800/- / 25,000/-	17.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक, खाता नं. 06860400000353, खाता नामः बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली, आईएफएससी-BARB0PUSARO (आईएफएससी में 5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' है)	श्री एस.पी. सिंह मो.: 8929031261 011-25781316

टिप्पणी: आरक्षित मूल्य के बराबर तथा उससे कम में कोई बोली स्वीकार नहीं की जायगी।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 13.9.2019 के 5.00 बजे अप. तक।
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 2.9.2019 से 9.9.2019, 10 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप. तक

यह बिक्री नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

1. यह ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है आधार'' तथा ''उपचार-रहित आधार'' पर आयोजित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे
3. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी https://bob.auctiontiger.net पद्धत्ति द्वारा होगी।
4. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित संपत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
6. प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेंट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेंटल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण ऊपर तालिका में दिया गया है जिसमें तालिका में कॉलम नं. 8 में आईएफएससी कोड का 5वाँ कैरेक्टर 0 ''शून्य '' है में 13.9.2019 के 5 बजे अप. या पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/तिथि अंतरण द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में भुगतान योग्य) द्वारा किया जाएगा। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/ फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर 13.9.2019 को या उससे पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र
ग) भारत सरकार द्वारा जारी इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपना लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बना सकते हैं। यदि लागिन आईडी, पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि., बी-704-5, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा- 06351896834, ई-मेल: Delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, नितिशि झा- 7982880393, हेल्प लाइन नं.: 079-61200595/ 520/ 548, हेल्पलाइन ईमेल id_support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑन लाइन वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपलोडिंग तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिये आप संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं जिनके सम्पर्क का पता ऊपर दिया गया है किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस/ डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
10. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
11. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
13. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
14. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
15. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाए का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
16. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
17. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत संपत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर के बकाए, बिजली के बकाए आदि सहित संपत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
18. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है।

बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरोपैरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालक होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगेजर के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थान: दिल्ली तिथि: 26.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

"प्ररुप संख्या यूआरसी-2
अधिनियम के अध्याय-21 के भाग-I के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना देने का विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (ख) और कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय -21 के भाग 1 के अधीन इसके पंद्रह दिन के पश्चात किंतु 30 दिन समाप्त होने के पूर्व रजिस्ट्रार को ऐसा एक आवेदन करना प्रस्तावित है कि एक्सेल एक्सपेरिमेंट्स भागीदारी फर्म को शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।
2. कंपनी के मूल उद्देश्य निम्नानुसार हैं- व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों एवं भवनों का निर्माण, प्रमोशन, स्थापना, विकास, नियंत्रण, अधिग्रहण, प्रबंधन, संचालन, चलाना आदिकार्य करना, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाऐं एवं सेवाओं सहित किराया भाड़ें पर देना एवं इनसे सम्बंधित और सम्बद्ध अन्य प्रकार के जरुरी कार्य करना।
3. प्रस्तावित कंपनी का ज्ञापन और प्ररुप संगम अनुच्छेद की एक प्रति की जांच मकान नं. 220ए, ब्लॉक ए, जीएफ, सुशांत लोक - 1, गुरुग्राम - 122002 हरियाणा कार्यालय में की जा सकेगी।
4. यह सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन भीतर अपने आक्षेप रजिस्ट्रार को लिखित में केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपनी कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लाट संख्या 6,7,8, सैक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला -गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 को लिखत में भेज सकेगा जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भी भेजी जाए।

तारीख 26 अगस्त, 2019

आवेदक का नाम
1. अभिषेक आनंद
2. प्रशांत पवियरन
3. गणेश कुमार
4. नितिन विनायक
5. किरणदिप कॉर
6. सोमश्कर नटराजन

LG Life's Good

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नये सीडीएम प्रोजेक्ट की घोषणा जिसमें सोलर मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है

प्रिय बंधुओ,
हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके आगे "एलजीईआइएल" से संबोधित) भारत में एक नये सीडीएम (क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म) प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है, जिसमें सोलर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया गया है.
एलजीईआइएल दो विनिर्माण कार्यस्थलों पर परिचालन कर रहा है – एक, नोएडा में (प्लाट नं. 51, उद्योग विहार, सूरजपुर, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा– 201306, उत्तर प्रदेश) और दूसरा, पुणे में (प्लाट नं. ए–5, एमआईडीसी रंजनगाँव, तालुका शिरूर, पुणे– 412220, महाराष्ट्र), जिनका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण उपलब्ध कराना है.
एलजीईआइएल अपने कारखाना भवन की छत पर सोलर मॉड्यूल्स प्रतिष्ठापित करने की योजना बना रहा है. इन सोलर मॉड्यूल्स की कुल क्षमता नोएडा साईट में 3.1 एमडब्लूपी और पुणे साईट में 3.0 एमडब्लूपी है.
एलजीईआइएल द्वारा विकसित किए जा रहे नए सीडीएम प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा और पुणे में उत्पादन इकाई पर प्रस्तावित परियोजना का शीर्षक है: रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्रोजक्ट
प्रोजेक्ट ऐक्टिविटी का सरांश
* प्रोजेक्ट का काम एलजीईआइएल की उत्पादन इकाई में इमारतों की छत पर सोलर मॉड्यूल्स स्थापित करना है, ताकि अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पन्न की जा सके
* सोलर मॉड्यूल्स द्वारा निर्मित बिजली का इस्तेमाल मुख्य इकाईयों और एलजीईआइएल उत्पादन इकाई में स्थापित उपकरण को चलाने के लिये किया जायेगा
* इस परियोजना द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में योगदान किया जायेगा और साथ ही यह भारत में पावर प्लांट्स पर पड़ने वाले बोझ को कम कर वैश्विक चेतावनी प्रभाव को भी कम करेगी
परियोजना का दायरा : इस प्रोजेक्ट का दायरा नोएडा और पुणे में स्थित एलजीईआइएल की उत्पादन इकाईयों की चारदीवारी के अंदर है
प्रोजेक्ट की समय अवधि : 10 वर्ष
प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव
* बिजली की कम खपत से हवा की गुणवत्ता में सुधार, जो कि पावर प्लांट्स के बोझ को कम करने के लिये जिम्मेदार है
* बिजली की खपत को कम कर बिजली बिल में कटौती
प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव : इस परियोजना का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है
फोकल प्वाइंट (रिसेप्शन)
* नाम : श्री आलोक मोहन
* टेलीफोन नंबर : +91-120-256-0900
* मोबाइल : +91-9811354025
* ईमेल : alok.mohan@lge.com
* पता : 51, उद्योग नगर, उद्योग विहार एक्सटेंशन, इकोटेक – II, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 201306
सोलर मॉड्यूल्स से उत्पादित पूरी बिजली की खपत हमारे कारखानों के मुख्य संयंत्रों से परिचालन में हो जाने की उम्मीद है. एलजीईआइएल ने नोएडा साईट में प्रायोगिक तौर पर पहले ही 248.2 किलोवाट के सोलर मॉड्यूल्स प्रतिष्ठापित किये हैं और वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
एलजीईआइएल के सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट से न केवल बिजली के उपभोग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी, बल्कि बिजली संयंत्रों के कम लोड होने से वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
इस सन्दर्भ में, एलजीईआइएल ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पीएस (प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड) के अनुसार एलएससी (लोकल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन) बैठक करने की इच्छा जताई है. बैठक का आयोजन किया जायेगा :
तारीख/समय : 30 सितंबर 2019/सुबह 11 बजे : दोपहर 01:00 बजे
स्थान : रैडिसन ब्लू होटल, सेकंड क्रॉस एवेन्यू रोड, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा
एलजीईआइएल अपने नए प्रोजेक्ट में हित रखने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करता है, भले ही उनकी आय, आमदनी, सामाजिक हैसियत, व्यवसाय, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी हो.

प्रारुप संख्या आईएनसी-25 क
सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
सैनारो कंस्ट्रक्शन (इंडिया) लिमिटेड
(CIN:U45200DL1994PLC060532)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **ए-360, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018** में स्थित है, के मामले में
.....आवेदक
आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए, **शनिवार दिनांक 06 जुलाई 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **ए-360, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018** में भी भेज दें।
कृते **सैनारो कंस्ट्रक्शन (इंडिया) लिमिटेड**
हस्ता/-
राजीव गुप्ता (निदेशक)
DIN:00773868
तिथि : 26.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

RATHI GRAPHIC TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Office: D-12 A, Sector-9, New Vijay Nagar, Ghaziabad, U.P.- 201009
Corporate and Marketing Office:- 24/1A, Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road New-Delhi, 110044
Ph. No. 011-45002400
CIN: L26960UP1991PLC013770,
Website : www.rathitoner.com,
E-mail id: investor@rathitoner.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Regulation 33 and 29(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the **03/2019-20 (Which was got adjourned on 29th May, 2019)** meeting of the Board of Directors of Rathi Graphic Technologies Limited ("Company") will be held on **Tuesday, 03rd Day of September, 2019** at Corporate & Marketing office of the Company situated at 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 at 10.30 a.m. inter-alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2019 and any other business with the permission of the Chair.

Further Notice is hereby given that pursuant to the provision of Regulation 33 and 29(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the **05/2019-20** meeting of the Board of Directors of Rathi Graphic Technologies Limited ("Company") will be held on **Tuesday, 03rd Day of September, 2019** at Corporate & Marketing office of the Company situated at 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 at 04.30 p.m. inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 and any other business with the permission of the Chair.

Further, in accordance with the SEBI (Prevention of Insider trading) Regulations, 2015 and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Company's securities was closed from Monday, 01st July, 2019 and will open 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchange and the Public.

Sd/-
Raj Kumar Rathi
(Managing Director)
DIN: 00009569
Place: New Delhi
Date: 26.08.2019

आयकर विभाग

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)
ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI
Phone & Fax: 23379308, Email: delhi.cit.judicial@incometax.gov.in
F. No. CIT (Judl.)/NCLT Matter/2019-20/584 Dated the 14th August, 2019

NOTICE REGARDING HEARING OF CASES IN NCLT MATTERS

Notice is hereby given to the following companies and their Directors for neccessary compliance in respect of NCLT matters/cases, which are fixed for hearing before Hon'ble National Company Law Tribunal, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi on dates as mentioned in column no. 4 in the table below:-

Sl. No.	Case Number & Case Title	Name(s) of the Last Known Directors	Next Date of Hearing
1.	Appeal No. 311/2017- ITO, Ward 18(1) v. RoC(M/s Newage Buildwell Pvt. Ltd.)	1. Pawan Kumar 2. Sumit Koundal	01.10.2019
2.	Appeal No. 10/252/ND/2019- ITO Ward 6(3) v. ROC(M/s Conflux Teleservices Pvt. Ltd.)	1. Neraj Poddar 2. Arun Kumar Bharti	06.09.2019
3.	Appeal No. 11/252/ND/2019- ITO Ward 6(3) v. ROC (M/s Cosy Marketing Pvt. Ltd.)	1. Rakesh Geol 2. Ram narayan Sah	06.09.2019
4.	Appeal No. 105/252/ND/2019- ITO Ward 6(3) v. ROC (M/s Coolenheat Engineers Pvt. Ltd.)	1. Yash Pal Raheja 2. Sudesh Raheja	02.09.2019
5.	Appeal No. 105/252/ND/2019- ITO Ward 6(3) v. ROC (M/s Coolenheat Engineers Pvt. Ltd.)	1. Dheeraj Sabharwal 2. Suraj Prakash	02.09.2019
6.	Appeal No. 106/252/ND/2019- ITO Ward 6(3) v. ROC (M/s Coverage Media Entertainment Pvt. Ltd.)	1. Shujaat Hussain Mallick 2. Baber Alam Malik	26.09.2019

In this connection, through this Notice, the Principal Officers/ Directors of the aforesaid companies are hereby informed and requested to attend their respective cases before Hon'ble National Company Law Tribunal on the dates fixed for hearing as mentioned above.

Sd/-
(Amar Jeevan)
Income Tax Officer
(Judicial)-3, New Delhi
davp 15403/11/0006/1920

मनोहर सरकार
विकास अपार
फर्क साफ है क्योंकि नीयत साफ है
पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्तियां
फर्जीवाड़े खत्म
मैरिट - हाँ
पैसा व बिचौलिए - ना
हरियाणा सरकार द्वारा 69,000 से अधिक निष्पक्ष भ

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.5 डि.से.	35.5 डि.से.	34.4 डि.से.	35.4 डि.से.
न्यूनतम	25.7 डि.से.	25.7 डि.से.	25.7 डि.से.	25.6 डि.से.

खबरों में शहर

साइबर सुरक्षा पर चर्चा का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रूस खावर ने कहा कि 20वीं शताब्दी में इंटरनेट की खोज एक महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक तकनीकों में हैं। आज के समय में इंटरनेट के बिना दिन प्रति दिन के कार्य असंभव सा हो गया है। लेकिन एक छोटी सी गलती से न सिर्फ हमारी निजता का भी पर्दाफाश किया जा रहा है कि बल्कि आंतकवादी धमकियां भी दी जा रही हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो गया है। खावर सोमवार को दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एक प्रेस कांफ्रेस में यह जानकारी दे रहे थे। खावर अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी साइबर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (सीएटी) के सीईओ हैं।

101 फीट के मंच पर होगा रामलीला मंचन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

आदर्श रामलीला कमेटी, फेस-2 अशोक विहार में रविवार को लीला मंचन हेतु भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर लीला के प्रधान अशोक गर्ग, महामंत्री अनिल यादव व लीला निर्देशक नितिन बत्रा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि इस वर्ष रामलीला के मंचन हेतु तैयार मुख्य मंच 101 फीट का होगा। कमेटी ने दृष्यों के लिए विशेष तैयारियां की हैं, जिससे रामलीला वास्तविक व रोचक दिखे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए प्रतिदिन लोगों को जागरूक किया जाएगा और प्लास्टिक उपयोग न करने का आग्रह किया जाएगा।

प्रदर्शनी में लगा कला प्रेमियों का मेला

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 अगस्त।

सेक्टर- 16ए फिल्म सिटी स्थित वासमे हाउस में तीन दिवसीय प्रदर्शनी मेगा आर्ट फेस्टिवल-2019 का समापन हो गया। प्रदर्शनी में देश भर के नव कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। नोएडा से कलाकार मनोमय दास ने समय को अमूर्त कला विधि से, बरेली से रचना बाग्ची ने एक्रेलिक रंगों के माध्यम से हिंदू पौराणिक विषय पर चित्रकारी की, दिल्ली की भावना भनोट ने कालचक्र को कैनवस पर उकेरा, कलाकार मिनि झा ने बिहार की मुधबनी प्रस्तुत की। कलागिरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स संस्था की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार राज कुमार महाजन, राजेश बड़ेरिया, संजय कुमार आदि ने अपनी अनूठी कला से आने वालों को परिचित कराया।

यूपिक कार्ड की गलतियां ठीक कराएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

उत्तरी निगम में 30 नवंबर तक संपत्ति पहचान अनूठा कोड (यूपिक) कार्ड की गलतियां ठीक कराई जा सकती हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश के मुताबिक निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में लगभग 12 लाख संपतियों का सर्वे कराने के बाद कर संपत्तिधारकों को यूपिक कार्ड जारी कर दिए हैं। यूपिक कार्ड में कोई त्रुटि है तो यूपिक कार्ड में दिए गए फोन नंबर अथवा ईमेल पर संपत्ति स्वामी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 30 नवंबर, 2019 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार व गुरुवार के अलावा किसी भी कार्य दिवस को 16, राजपुर रोड़ के आठवें तल स्थित कार्यालय में संपर्क कर यूपिक कार्ड की त्रुटि को ठीक कराया जा सकता है ।

गुरुवार को व्यापारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने की अपील के सन्दर्भ में अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (कैट) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ज्ञापन भेज देश के व्यापारिक समुदाय के समर्थन का आश्वासन दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप कैट इसे एकजन आंदोलन बनाएगा। इसके लिए कैट ने एक सितंबर से पूरे देश में लगभग 40 हजार ट्रेड फेडरेशन, चैंबर्स और एसोसिएशन के साथ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कैट ने 29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में सभी राज्यों के व्यापारी नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : 'तिब्बत एंड द हिमालयन बॉर्डर लैंड', पर चर्चा, सेंटर कांफ्रेंस रूम एक, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े 6 बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : रतीश नंदा का चार्ल्स कोरिया स्मारक व्याख्यान, गुलमोहर ऑडिटोरियम, लोधी रोड, 7 बजे शाम।

बिल्डर फ्लैट परियोजना : सड़क की ओर खुली दुकानों की जांच शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 अगस्त।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। नई जांच में ग्रुप हाउसिंग में वाणिज्यिक योजना को लेकर पुराने अफसर गिरफ्त में आ सकते हैं। सीईओ ने सभी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बनी दुकानों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच में उन अफसरों की भी सूची तैयार की जाएगी, जिन्होंने नक्शे के विपरीत काम करने की अनुमति दी। ज्यादातर बिल्डरों ने तय से अधिक संख्या में दुकानें बना दी। जिनका मुंह सड़क पर कर दिया गया है। इससे सड़क किनारे पार्किंग बन गई है और जाम लग रहा है। नोएडा में 2007 से ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में तेजी आई है। तब से 2016 तक बड़े पैमाने पर ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को जमीन आबंटित कर निर्माण हुआ। अधिकांश परियोजना में नक्शे से इतर काम करने की छूट भी बिल्डरों को मिलती रही। इस वजह से ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैटों से पहले वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए दुकान-बाजार पहले बना दिए गए। इन्हें महंगे दर पर बेचा गया। ज्यादातर परियोजनाओं में दुकानों का मुख्य द्वार सड़क की तरफ कर दिया गया है। सड़क की तरफ होने से खरीदार सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जिससे जाम लगने लगा है। शिकायतें बढ़ने पर मामले की जांच कराने का फैसला लिया गया है

80 फीसद ढहाया जा चुका था बैंक्वेट हॉल

अदालत के फरमान पर रोकी गई तोड़फोड़

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 अगस्त।

गेझा मार्ग पर बने आलीशान बैंक्वेट हॉल को ढहाने की प्रकिया सोमवार दोपहर बीच में रोकनी पड़ी। हालांकि न्यायालय का आदेश आने से पहले प्राधिकरण दस्ते ने करीब 80 फीसद निर्माण ढहा दिया था। सुबह नौ बजे शुरू हुआ अभियान दोपहर एक बजे रोका गया। उधर, न्यायालय से यथा स्थिति बनाए रखने की सूचना मिलने पर प्राधिकरण अधिकारियों ने विधि विभाग के मार्फत जवाब तैयार करने को कहा है। बताया गया है कि जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बना है, उसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है।

116 के खिलाफ मामला दर्ज

नोएडा। सेक्टर-81 स्थित अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर रहने वाले 116 लोगों के खिलाफ थाना फेज टू में मामला दर्ज कराया गया है। ये सभी वे लोग हैं, जो यहां रह रहे हैं। सभी बने और निर्माणाधीन मकानों पर प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया है। 29 अगस्त को इन मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। (जसं)

गेझा मार्ग पर 8990 वर्ग मीटर जमीन पर दो बैंक्वेट हॉल बने थे। 19 अगस्त को प्राधिकरण ने निर्माणाधीन एक बैंक्वेट हॉल पारस को ढहा दिया था। जिसके बाद प्राधिकरण ने करीब साढ़े तीन हजार वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा ले लिया था। साथ ही दूसरे रामा बैंक्वेट हॉल को खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। समयसीमा समाप्त होने पर सोमवार को प्राधिकरण दस्ता जेसीबी मशीन समेत पुलिस बल के साथ पहुंचा। सुबह नौ बजे से रामा बैंक्वेट हॉल ढहाने का काम शुरू किया। करीब एक बजे न्यायालय से स्टे जारी होने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई रोक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी एमपी सिंह के मुताबिक पूरी जमीन प्राधिकरण की है। 1995 में प्राधिकरण ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बाद अधिकारियों से सांठ-गांठ कर जमीन का फर्जी बैनामा किया गया। हालांकि प्राधिकरण दस्तावेजों में यह जमीन विकासीय कार्यों के लिए चिन्हित है।

लड़की से कथित छेड़छाड़ पर बढ़ी बात

दो परिवारों में झगड़ा, किशोर की चाकू मारकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ के कारण हुए झगड़े में एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के केशवपुर गांव में रविवार देर रात दो पड़ोसियों के बीच के झगड़े में किशोर की चाकू से हत्या कर दी गई। मारे गए किशोर के भाई सिराज अंसारी की शिकायत पर सोमवार को मामला दर्ज कर परिवार के ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक महिला भी है। चार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस कथित दोस्ती के मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि रविवार रात किशोर अपने मामा लेख मोहम्मद के घर आया हुआ था। किशोर के मामा के घर के ऊपर ही करण नामक एक व्यक्ति भी रहता है। मामा का आरोप है कि करण उनकी बेटी से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था और छेड़छाड़ की गई। रविवार को किशोर के मामा ने करण को बातचीत करने के लिए बुलाया था। उसी समय विवाद बढ़ गया। बातचीत के दौरान ही मामा ने करण को थप्पड़ मार दिया। करण वहां से चला गया और पिता सर्वेश को सारी बात बताई। पिता ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और दोनों परिवारों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। सर्वेश के रिश्तेदार राहुल ने किशोर की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। घायल को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि वह छेड़छाड़ के आरोप की जांच की जा रही है।

पैसे को लेकर झगड़े में गोली मारी, फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

पैसे को लेकर हुए झगड़े में छावला गांव इलाके में सोमवार शाम एक व्यक्ति के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश उर्फ पिंकी नामक व्यक्ति की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। छावला पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी थान सिंह की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दिनेश छावला गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। दिनेश इलाके में ही प्रापर्टी डीलर और सूद पर पैसे देने का काम करता था। उसने थान सिंह को भी काफी पहले सूद पर पैसे दे रखा था। सोमवार शाम को थान सिंह दिनेश को पैसे देने के लिए उसके घर पर आया था। उसी समय पैसे को लेकर थान सिंह और दिनेश के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान थान सिंह ने पिस्तौल से दिनेश के सिर में गोली मार दी। दिनेश वहीं गिर गया और थान सिंह फरार हो गया।

'छात्र नेताओं के साथ बहुत कठोर न हो डीयू'

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि छात्र नेताओं में से देश को कई बड़े नेता मिले हैं इसलिए छात्र संघ चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों को उनकी गतिविधियों के लिए उन पर बहुत कठोर नहीं होना चाहिए।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के उम्मीदवारों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के वास्ते अधिकारियों को निर्देश देने के बाद अपनी मौखिक टिप्पणी में अदालत ने यह बात कही।

अदालत 2017 में डूसू चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के एक पीठ ने जेटली का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा कि उन पर बहुत कठोर मत बनो। हर चीज पर प्रतिबंध मत लगाओ। छात्र नेताओं से,कभी-कभी बड़े नेता हासिल करते हैं।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में एसआइआइ ने मॉडल टाउन थाने में शिकायती दी और पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

हालांकि पुलिस ने इस प्रकरण में किसी अन्य छात्र संगठन के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने कहा है कि एसएफआइ के छात्र प्रतिनिधियों ने थाने में दी गई शिकायत में एबीवीपी पर आरोप लगाया है लेकिन इस पर जांच की जा रही है। एसएफआइ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार की रात को डेढ़ बजे के करीब उत्तरी परिसर के पास विजयनगर में उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से दाखिला लेने वाले नए छात्रों के स्वागत करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे थे। तभी एक गाड़ी में बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता आए और उन्होंने हमारे संगठन के छात्रों को पीटा। इसमें एसएफआइ के तीन कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। इनमें दिल्ली के उपाध्यक्ष सुमित कटारिया, कार्यकर्ता हिमांशु और नोएल शामिल हैं। दूसरी ओर, एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी ने एसएफआइ के आरोपों का खंडन किया है।

मॉल के रेस्तरां की चिमनी में लगी आग, परिसर में भरा धुआं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 अगस्त।

नोएडा के सेक्टर- 25ए स्थित स्पाइस मॉल में सोमवार दोपहर तीसरी मंजिल के रेस्तरां की चिमनी में आग लग गई। चिमनी से धुएं का गुबार बाहर निकलते देख राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। प्रबंधन ने मॉल में मौजूद हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

सूचना मिलने पर चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया गया है कि मॉल में लगे अग्निशमन उपकरणों से ही आग पर काबू पा लिया गया। स्पाइस मॉल की तीसरी मंजिल पर लेजेंड्स बार्बेक्यू रेस्तरां है। रेस्तरां में खाना बनाते समय दोपहर करीब सवा दो बजे चिमनी में आग लग गई। कुछ ही देर में मॉल के अंदर धुआं फैल गया। धुआं होने के कारण मॉल के अंदर लगा फायर अलार्म बजा नहीं। उस समय तीसरी से पांचवी मंजिल पर बने सिनेमा हॉल की आठ स्क्रीन पर सैकड़ों लोग फिल्म देख रहे थे। धुआं फैलने पर मॉलकर्मियों को अंदर जाकर आग के बारे में बताना पड़ा। लोगों में भगदड़ मच गई। तब सुरक्षाकर्मियों ने माइक के जरिए सूचना दी और लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया।

आरएफआइडी टैग पाने के लिए केंद्रों पर हंगामा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली में प्रवेश के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग (आरएफआइडी) प्राप्त करने को लेकर अव्यवस्था सामने आ रही है। दिल्ली के तीनों निगमों के नोडल एजंसी दक्षिणी निगम की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण दिल्ली के बार्डर इलाके में लंबी लाइन लग रही है। सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में हंगामा हो रहा है और निगम टोकन सिस्टम लागू करने से भी परहेज कर रहा है। बाहर की व्यावसायिक गाड़ियों से दिल्ली में प्रदूषण और भीड़ बढ़ने के साथ जाम से निजात पाने की इस तरकीब के पक्ष में तर्क है कि बार्डर के टोल बूथ पर जहां अमूमन 20 सेकंड में गाड़ियां नगदी देकर पार करते हैं वहीं आरएफआइडी टैग लगाने के बाद वे तीन मिनट में वहां से निकल पाएगा। बताया जा रहा है कि अनिवार्य कर दी गई वाणिज्यिक वाहनों के पूर्व पंजीकरण और आरएफअआइडी टैग की बिक्री तथा इसके रिचार्ज की व्यवस्था टोल प्लाजा और मोबाइल वाहनों के माध्यम से करने का दावा करने वाला दक्षिण निगम 13 स्थानों के अलावा छह स्थायी केंद्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बनाया है। दक्षिणी निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय ने इस पेंचीदगी से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक कार्यशाला भी की। सहाय का कहना है कि बगैर आरएफआइडी टैग लगे वाणिज्यिक वाहन शुक्रवार की मध्यरात्रि से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

यहां बनाए गए हैं केंद्र

टिकरी मेन, बहादुरगढ़ बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड हरियाणा के पास, इंडियन आयल पेट्रोल पंप, बिसवा मिल जीटी करनाल रोड कुंडली सोनीपत के पास, जीटी ग्रांड रोड, आनंद औद्योगिक इस्टेट, मोहन नगर, आइटीएस कॉलेज के सामने गाजियाबाद, सेक्टर-एक हेरीटेज विलेज रिसोर्ट, मानेसर पुलिस थाना, एनएच-8 के पास, एनएच-24 पुल, उत्तर प्रदेश गेट गाजियाबाद, एनएचएआइ और निगम टोल टैक्स बदरपुर हरियाणा सीमा भारती पेट्रोल पंप, आगरा रोड बदरपुर

मुख्यमंत्री बघेल को बीपी मंडल सामाजिक रत्न सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीपी मंडल सामाजिक रत्न सम्मान से नवाजा गया। राजधानी के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में रविवार को संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने बघेल को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ अनिल जयहिंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, दलित व पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर आभार प्रकट करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बघेल को बीपी मंडल सामाजिक रत्न सम्मान दिया गया है।

विस अध्यक्ष ने चीनी मांझे के अवैध उपयोग की जांच के दिए आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव से यह जांच कराने को कहा कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद राजधानी में चीनी मांझे अवैध रूप से किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। मांझे से गला कटने से बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार में 15 अगस्त को एक युवक की मौत हो गई थी।

विधानसभा में रिठाला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मोहिंदर गोयल ने मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि चीनी मांझा पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया जा रहा है। गोयल ने पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद चीनी मांझे का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। गोयल ने सदन में कहा कि 'मैं मुख्य सचिव से आग्रह करता हूं कि मुद्दे की पूरी जांच कराई जाए। मुख्य सचिव को पुलिस से कहना चाहिए कि वह जांच करे और बताए कि चीनी मांझा कैसे बेचा जा रहा है और क्या कोई जुर्माना लगाया जा रहा है'। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

जेएनयूएसयू : इस बार चुने जाएंगे 43 स्कूल काउंसलर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ में इस बार 43 काउंसलर चुने जाएंगे। दरअसल, जेएनयू छात्र संघ संविधान में संशोधन करके काउंसलर की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल तक काउंसलर की संख्या 31 होती थी। जेएनयू छात्र संघ संविधान में यह दूसरा संशोधन है।

जेएनयू छात्र संघ के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव बीते दिनों विश्वविद्यालय सामान्य सभा (यूजीबीएम) में सर्वसम्मति से पास हुआ है। इसे शिकायत निवारण समिति की पहल के बाद निवर्तमान महासचिव एजाज अहमद ने प्रस्तावित किया था। हालांकि शिकायत निवारण समिति के चैयरपर्सन ने स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर काउंसलर की संख्या बढ़ाकर 55 करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यूजीबीएम ने सभी स्कूलों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आधार मनाते हुए 55 की बजाय 43 काउंसलर का प्रस्ताव वापस समिति को भेजा है। अंतिम रूप से अब 31 की जगह में कुल 43 काउंसलर होंगे।

यहां बढ़े काउंसलर

एसएलएस, एसएसआइएस में दो, एसएसएस में एक, एसई में तीन, एससीआइएस में एक, एसपीएस एक, एसबीटी में एक, एससीएमएम में एक और एसएए में एक काउंसलर की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।

जेएनयू छात्रसंघ का संविधान

जेएनयू छात्रसंघ का संविधान 1971 में तैयार किया गया था, जिसमें पहला संशोधन 1994 में लाया गया। संशोधन के तहत संविधान में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समिति (जीएसकैश) को शामिल किया गया था।

दिल्ली कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष

प्रभारी के तौर पर चाको की जगह नए की तलाश भी जारी

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष जल्दी मिलने के आसार हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद से खाली पड़ी इस कुर्सी को भरने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक नोट भेजकर दिल्ली कांग्रेस के मुखिया का नाम तय करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर ऐसे संकेत हैं कि विधानसभा के अहम चुनावी मुकाबले के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ नए प्रभारी महासचिव की नियुक्ति पर भी विचार कर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने के बाद से ही सोनिया गांधी लोकसभा की चुनावी शिकस्त से सुस्त पड़ गए पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। विशेषकर, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में पार्टी संगठन को चाक-चौबंद करने की कवायद तेजी से हो रही है। इसी के तहत सोमवार को झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि अब दिल्ली व हरियाणा को लेकर फैसला अगले कुछ दिनों में किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली के उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की सूची भी भेजी है जिनसे प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला करने से पहले यदि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया चाहें तो विचार-विमर्श कर सकती हैं। चाको की अगुआई में दिल्ली के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों हारुन युसूफ, देवेन्द्र यादव व राजेश लिलौठिया ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान लंबे समय से प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे चाको की जगह किसी अन्य महासचिव को दिल्ली का प्रभारी बना सकता है।

अनवर ने शुरू किया 'नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान

ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने सोमवार को संगठन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अनवर ने कहा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम के गठन के समय भी स्थिति आज से बहुत भिन्न नही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो अभियान शुरू करने के अवसर पर तारिक अनवर ने कहा कि आज, जिस तरह भीड़ तंत्र शुरू हो चुका है, क्या इसी भारत का सपना गांधी नेहरू पटेल और मौलाना आजाद ने देखा था। उन्होंने लोगों से संविधान और कानून पर भरोसा करने की अपील की।

उरांव बने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को आदिवासी नेता रामेश्वर उरांव को झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके साथ पांच कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। सूबे में आगामी अक्तूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने प्रदेश में विश्वस्त आदिवासी नेता पर दांव लगाया है। उधर, पार्टी के अनुसचति जाति विभाग में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक रामेश्वर उरांव को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि केशव महतो कमलेश, इरफान अंसारी, राजेश ठाकुर, मानस सिन्हा और संजय पासवान को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि डॉ. अजय कुमार के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी कुर्सी को भरने के लिए पार्टी ने अपने विश्वस्त आदिवासी नेता पर दांव लगाया है। इनके अलावा पार्टी ने दलितों व अल्पसंख्यकों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से पांच कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीते शुक्रवार को झारखंड के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के बाद ही यह तय कर लिया गया था कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में किसी आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपेगी। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस झारखंड में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन उसे सूबे के आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और दलितों का जोरदार समर्थन हासिल हुआ। समझा जा रहा है कि इस खास तथ्य को ध्यान में रखकर पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ही इन्हीं वर्गों पर ज्यादा जोर लगाने की रणनीति बनाई है।

एस सिंहदेव होंगे प्रदेश कांग्रेस चयन समिति के अध्यक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड विधानसभा के मद्देनजर सोमवार को झारखंड के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए चयन छह सदस्यीय समिति गठित कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

THE MILLENNIA II
MORE OF THE BEST

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE

LICENCE NO.: 45 OF 2019 DATED 01-03-2019 I HRERA NO.: GGM/343/75/2019/37

फ्लैट का ड्रॉ

सूचित किया जाता है कि **M/s Sarvpriya Securities Pvt. Ltd.** द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय अपार्टमेन्ट, **The Millennia II, Sector-37D, District Gurugram,** में फ्लैट्स का ड्रॉ **30 अगस्त 2019,** शुक्रवार प्रातः **11:00** बजे से **CORUS BANQUET**, 339/1/2, Mehrauli Gurugram Road, Near Kalyani Hospital, Opp. SBI Bank, Sec. 14, Gurugram-122001 में हरियाणा सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा। सभी आवेदक ड्रॉ में हिस्सा लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं।

MAP NOT TO SCALE

LOCATION MAP OF CORUS BANQUET

कृपया ध्यान दें: अपनी रसीद, वोटर ID कार्ड और PAN कार्ड साथ लाएं।
प्रति रसीद केवल एक व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति होगी।

SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD. | CIN : U74900HR1995PTC032791
Corp. and Regd. Off.: Unit No. 201B, 2nd Floor, Tower A, Signature Tower, South City-1, Gurugram, Haryana - 122001 | Email: customercare@signatureglobal.in, Ph.: 0124-4908200

APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED APEX
(Formerly Apex Home Finance Limited)
CIN: L65910DL1985PLC021241
Regd. Office: L-3, Green Park Extension, New Delhi – 110016
Email: contact@apexfinancials.in; **Website:** www.apexfinancials.in
Tele-Fax: +91 11 40348775

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of Apex Capital and Finance Limited ("Company") will be held on Friday, the 20th day of September, 2019 at 04.00 P. M. at L-1, Green Park Extension, New Delhi-110016, to transact the businesses as set out in the notice dated 30.05.2019. The said notice convening the AGM alongwith Annual Report for the FY 2018-19 containing attendance slips and proxy forms has been dispatched to all the members at their registered address or e-mail Ids. The Company has also uploaded the same on its website at www.apexfinancials.in. The Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxy Form should be deposited at the registered office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Annual General Meeting.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 (1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14th September, 2019 to 20th September, 2019 (both days inclusive) for the aforesaid AGM.

Notice is further given that pursuant to the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its members facility to exercise their voting rights by electronic means through National Securities Depository Limited (NSDL) on all the resolutions set forth in the notice of AGM.

The Board of Directors has appointed Mr. Shesdev Behera, (FCS-8428) of M/s S. Behera & Co., Practising Company Secretaries as the scrutinizer for conducting the Remote e-voting and the voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

Notes:

a) The Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the notice of the 34th AGM.
b) Day. Date and Time of commencement of remote e-voting — Tuesday, 17th September, 2019 (09.00 A.M.)
c) Day. Date and Time of end of remote e-voting — Thursday, 19th September, 2019 (05.00 P.M.)
d) Cut-off date — Friday, 13th September, 2019
e) Any person, who has acquired the shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 13th September, 2019 may obtain login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or RTA at info@skylinerta.com.
f) The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.
g) The members may note that;
(i) remote e-voting shall not be allowed beyond 19th September, 2019, 05.00 P.M.;
(ii) A member may participate at the Annual General Meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not allowed to vote in the meeting; and
(iii) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.
h) The notice of the Meeting is also displayed at www.apexfinancials.in and www.evoting.nsdl.com.
i) Details of the persons for addressing the grievances connected with facility for voting by electronic means;
Mr. Phul Jha, Company Secretary & Compliance Officer, email ID; contact@apexfinancial.in Telephone No.; +91 11 4034 8775; Address; L-3, Green Park Extension, New Delhi-110016.
j) The result of the e-voting/voting at AGM ballot shall be declared on or before 23rd September, 2019. The results declared, along with the Scrutinizers Reports, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communicated to the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed.

By the Order of the Board
For **Apex Capital and Finance Limited**
Sd/-
(Phul Jha)
Company Secretary
ICSI M. No. ACS 20850

Place: New Delhi
Date: 26th August, 2019

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (परि.)–1, मध्य जोन
शिव मंदिर मार्ग, जल विहार, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024
डी/ई.ई. (परियोजना–I) सीएनजेड/202 दिनांक: 23.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना हेतु प्रेस सूचना

ऑनलाइन निविदा समय–सारणी के लिए कृपया www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER देखें। एनआईटी नं. ईई (परि)–1/सीएनजेड/टीसी/2019–20/03 दिनांक: 23.08.2019

1. वार्ड नं. 57–एस, मध्य जोन में गेट नं. 4 से एमसी प्रतिभा सह–शिक्षा विद्यालय..... (नजदीक मकान नं. 12/67) से गेट नं. 1 नेहरू नगर तक **डेंस कार्पेटिंग** के प्रावधान द्वारा सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण। अनुमानित राशि: रु. 47,40,500/– निविदा राशि: रु. 45,00,535/–, धरोहर राशि: रु. 94,900/– पूर्णता अवधि: 3 माह, निविदा कीमत: रु. 1,000/– एच/ए: XL-VIII-S
2. वार्ड नं. 58–एस, मध्य जोन में डिफेंस कॉलोनी में मकान नं. डी–18 से डी–32 और डी–34 से डी–70 तक रोड कटिंग "डिपॉजिट एंड डिग स्कीम" के तहत **डेंस कार्पेटिंग** के प्रावधान द्वारा सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण। अनुमानित राशि: रु. 56,32,000/– निविदा राशि: रु. 46,24,057/–, धरोहर राशि: रु. 1,12,700/– पूर्णता अवधि: 3 माह, निविदा कीमत: रु. 1,000/– एच/ए: जी–110–1076

विस्तृत विवरणों एवं आगे की जानकारी के लिए कृपया एसडीएमसी वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER नियमित रूप से देखते रहें। निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने/खरीदने की अंतिम तिथि 11.09.2019, अप. 2.00 बजे, निविदा बंद होना: 11.09.2019 को अप. 3.00 बजे, वित्तीय निविदा खुलना: 12.09.2019 को अप. 3.30 बजे।

RO No. 43/DPI/S/2019-20 कार्यपालक अभियंता (परियोजना)–1/मध्य जोन

इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड
व
प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
कार्पोरेट आइडेन्टिटी सं. (CIN)-U40103DL2001SGC111530
(एक आईएसओ 9001–2008, 14001–18001–2007 प्रमाणित स्टेशन)
जी.एम. (सीएण्डएम), प्रगति पॉवर स्टेशन–I, आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002, फोन : 011–23370541 फैक्स : 011–23379164

एनआईटी सं. 6/2019-20 **ऑनलाइन बोली लगाने के लिए निविदा** दिनांक : 19.08.2019

नीचे दी गई मदों के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल https://govtprocurement.delhi.gov.in पर ई–निविदा के लिए दो भागों की पद्धति में प्रस्ताव आमंत्रित हैं। निविदा जमा कराने की तिथि को निविदा बंद होने का समय 11.00 बजे है।

निविदा आईडी	डिवी.	बीएसईडी	निविदा खोलने की तिथि	निविदा मूल्य (रू)
1.2019_आइपीजीसीएल_177948_1 2020 की अवधि के लिएपीपीएस–I में सी और I रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध (एआरसी)	सीएस -II	17.09.2019	19.09.2019	26,96,651/-
2.2019_आइपीजीसीएल_177813_1 2020–21 के लिए पीपीएस–III बवाना सी और I रखरखाव के लिए एएमसी	सीएस -II	20.09.2019	24.09.2019	28,36,588/-
3.2019_आइपीजीसीएल_178347_1 आवासीय फ्लैटों के क्षतिग्रसत बाहरी आरसीसी सदस्यों की रेट्रोफिटिंग आइपीजीसीएल कॉलोनी एसकेके	सीएस -III	19.09.2019	24.09.2019	2,67,46,500/-
4.2019_आइपीजीसीएल_178438_1 गैस टरबन पॉवर स्टेशन पर कूलिंग की छत्त पर वाटर–बे, मोटर फाउंडेशन के साथ छत्त के किनारों की मरम्मत	सीएस -III	26.09.2019	01.10.2019	9,99,998/-
5.2019_आइपीजीसीएल_178433_1 जीटीपीएस में नागरिक रखरखाव कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध	सीएस -III	24.09.2019	26.09.2019	24,99,468/-

नोट: रू. 50.00 लाख तक के निविदा मूल्य के लिए किसी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन का विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं दिया जाएगा और बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से आइपीजीसीएल–पीपीसीएल वैबसाइट के साथ–साथ दिल्ली सरकार की ई–खरीद वैबसाइट देखते रहें।

पीआर–18 हमारी वेबसाइट देखें : www.ipgcl-ppcl.gov.in अथवा www.ipgcl-ppcl.nic.in

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF NU TEK INDIA LIMITED.

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of corporate debtor	NU TEK INDIA LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	July 06, 1993
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Incorporated under the Companies Act 1956 and registered with Ministry of Corporate Affairs, Registrar of Companies - Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L74899DL1993PLC054313
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A-213, Road No. 4, Gali No. 11, Mahipalpur, Delhi – 110037.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	August 23, 2019
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	February 19, 2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Mr. Arun Jain** **Reg. No.:** IBBI/IPA-001/IP-P00590/2017-18/11029
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Address:** Villa No. 34, Block 4, 2nd Floor, Eros Garden, Faridabad 121009 **Email Id.:** arjain1966@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Corporate Office Address:** X-38, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase II, New Delhi – 110020. **Email Id.:** irparjain@gmail.com
11	Last date for submission of claims	September 06, 2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NIL
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N/A
14	(a) Relevant Forms and (b Details of authorized representatives are available at:	**Web Link:** http://ibbi.gov.in/downloadform.html **Physical Address:** **Corporate Office Address:** X-38, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase II, New Delhi – 110020. Email Id.: irparjain@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **NU TEK INDIA LIMITED on August 23, 2019.** The creditors of **NU TEK INDIA LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before September 06, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry no. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA: The said clause is not applicable
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Date: August 26, 2019 Sd/-
Place: New Delhi **Arun Jain**
(Interim Resolution Professional)

नियुक्तियां

SBI
केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411.

बैंक चिकित्सा अधिकारी (BMO-II) की भर्ती

विज्ञापन क्र. CRPD/SCO/2019-20/12

(यह विज्ञापन हमारे पिछले विज्ञापन क्र. CRPD/SCO/2019-20/07 दिनांकित 21.05.2019 के संशोधन में दिया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पंजीकरण का मापदंड संशोधित करके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकरण किया जा रहा है. जो उम्मीदवार हमारे विज्ञापन क्र. CRPD/SCO/2019-20/07 दिनांकित 21.05.2019 के जवाब में पद के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी उम्मीदवारी को प्रक्रिया के लिए विचार में लिया जाएगा)

भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	कौन आवेदन कर सकता है	रिक्त स्थानों की संख्या
बैंक चिकित्सा अधिकारी (BMO-II)	स्थाई	एमबीबीएस के साथ 5 वर्षों का अनुभव या स्नातकोत्तर डिग्री 3 वर्ष के अनुभव के साथ	56

योग्यता मापदंड (आयु, पात्रता और अनुभव), आवश्यक शुल्क और अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर **विज्ञापन सं. CRPD/SCO/2019-20/12** के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन जमा करने तथा आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए एक लिंक के साथ उपलब्ध हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने और शुल्क का प्रेषण करने से पहले अपनी योग्यता और अन्य विवरणों को सुनिश्चित करते हुए विस्तृत विज्ञापन पूरा पढ़ने की सलाह दी जाती है.

ऑनलाइन आवेदन करने तथा शुल्क का भुगतान करने की तिथि: 27.08.2019 से 19.09.2019 तक.

किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया लिंक "CONTACT US"→"Post Your Query" के जरिए हमें लिखें, जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
(URL- **https://bank.sbi/careers** OR **https://sbi.co.in/careers**)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27.08.2019
महाप्रबंधक
(सीआरपीडी)

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended, for information purposes only.

KLM AXIVA FINVEST

KLM AXIVA FINVEST LIMITED

(CREDIT RATING: "CARE BB+; Stable", by CARE Ratings Limited ("CARE Ratings"))

KLM Axiva Finvest Limited (**"Company"**) was incorporated on April 28, 1997, as 'Needs Finvest Limited', a public limited company under the Companies Act, 1956 with a certificate of incorporation issued by RoC (as defined below). Our Company also obtained the certificate of commencement of business dated May 6, 1997 from RoC. The name of our Company was changed to 'KLM Axiva Finvest Limited' pursuant to a resolution passed by the shareholders of our Company at the EGM held on January 25, 2016 and a fresh certificate of incorporation dated February 29, 2016 issued by the RoC. Our Company has obtained a certificate of registration dated March 15, 2016 bearing registration no. 09.00006 issued by the Reserve Bank of India (**"RBI"**) to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. For details of changes in name of the Company and Registered Office, please refer to the chapter *"History and Certain Other Corporate Matters"* on page 102 of the Prospectus.

Registered Office: Subodh Business Centre 408, Malik Chambers, Hyderguda, Hyderabad – 500 029, Telangana, India | **Tel.:** +91-40-48542753 | **Website:** www.klmaxiva.com
Corporate Office: 4th Floor, Door No.1871A24, VM Plaza, Palarivattom, Ernakulam- 682 025, Kerala, India. | **Tel.:** +91 - 484 - 4281 111
Compliance Officer and Contact Person: Mr. Srikanth Menon | **Tel.:** +91-0484-4281118 | **E-mail:** co_secy@klmgroup.in
Corporate Identity Number: U65910TG1997PLC026983

PUBLIC ISSUE BY KLM AXIVA FINVEST LIMITED, ("COMPANY" OR "ISSUER") OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH ("NCDS"), AT PAR, AGGREGATING UP TO ₹ 10,000 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "BASE ISSUE" WITH AN OPTION TO RETAIN OVER-SUBSCRIPTION UP TO ₹ 2,500 LAKHS, AGGREGATING UP TO ₹ 12,500 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OVERALL ISSUE SIZE" (THE "ISSUE"). THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED ("SEBI DEBT REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.
The following is a summary of the terms of the NCDs to be issued pursuant to the Prospectus dated August 19, 2019:

Tenure	400 Days	400 Days	2 Years	2 Years	3 Years	3 Years	5 Years	5 Years	45 Months	75 Months
Nature	Secured									
Options	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Frequency of Interest Payment	Monthly	Cumulative	Monthly	Yearly	Monthly	Yearly	Monthly	Yearly	Cumulative	Cumulative
Minimum Application	5 NCDs (₹ 5,000) (across all options of NCDs)									
In multiples, of	1 NCD after the minimum application									
Face Value of NCDs (₹ /NCD)	₹ 1,000									
Issue Price (₹ /NCD)	₹ 1,000									
Mode of Interest Payment/ Redemption	Through various options available									
Coupon (%) per annum	11.00%	NA	11.25%	11.50%	11.50%	11.75%	11.75%	12.00%	NA	NA
Coupon Type	Fixed									
Redemption Amount (₹ /NCD) for Debenture Holders	₹1,000	₹1,123	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,000	₹1,500	₹2,000
Effective Yield (%)(per annum)	11.57%	11.17%	11.85%	11.50%	12.13%	11.75%	12.40%	12.00%	11.42%	11.73%
Put and Call Option	Not Applicable									
Deemed Date of Allotment	The date on which the Board or the Debenture Committee approves the Allotment of NCDs. All benefits relating to the NCDs including interest on the NCDs shall be available to the Investors from the Deemed Date of Allotment. The actual Allotment of NCDs may take place on a date other than the Deemed Date of Allotment.									

For details of category wise eligibility and allotment in the Issue please see *"Issue Procedure – Who can apply"*, *"Issue Procedure – Method of Application"* and *"Issue Procedure – Basis of allotment"*, on pages 144, 146 and 160 respectively of the Prospectus.
Our Company would allot Option I NCDs to all valid applications, wherein the applicants have not indicated their choice of the relevant options of the NCDs.
Please note that the Company would be using the electronic bidding software of BSE for the Issue.

Issue Opens on Wednesday, August 28, 2019 — **Issue Closes on Thursday, September 26, 2019***

Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10 a.m. to 5 p.m. (Indian Standard Time) during the period indicated above, except that the Issue may close on such earlier date or extended date (subject to a period of maximum 30 days) as may be decided by the Board of Directors of our Company ("Board"**) or Debenture Committee of the Board. In the event of such early closure or extension subscription list of the Issue, our Company shall ensure that notice of such early closure or extension is given to the prospective investors through advertisement/s in a leading national daily newspaper with wide circulation on or before such earlier date or extended date of closure. Applications Forms for the Issue will be accepted only from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by BSE, on Working Days during the Issue Period. On the Issue Closing Date, Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. and uploaded until 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by BSE.*

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013:
Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see *"History and Certain other Corporate Matters"* on page 102 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 211 of the Prospectus.
Liability of Members: Limited
Amount of share capital of the company as at the date of the Prospectus: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 60,00,00,000 divided into 6,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company is ₹ 51,49,32,280 divided into 5,14,93,228 Equity Shares of face value of ₹ 10 each.
Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing the Memorandum of Association:
Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the Number of Equity Shares subscribed for of face value of ₹10 each by them at the time of signing of Memorandum of Association:
1. K. Varalakshmi – 900 Equity Shares, 2. G. Rama Murthy – 900 Equity Shares, 3. B. Ashwini Kumar – 700 Equity Shares, 4. K.V. Reddy Panthulu - 900 Equity Shares, 5. A. Bramaramba – 600 Equity Shares, 6. Rajanikanth G. S. – 700 Equity Shares, 7. K. Pragada Raju - 700 Equity Shares.
PROMOTERS OF THE COMPANY: Ms. Biji Shibu and Ms. Princy Josekutty. For further details, refer to the chapter *"Our Promoters"* on page 113 of the Prospectus.
LISTING: The NCDs offered through this Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited (**"BSE"**) and BSE shall be the Designated Stock Exchange. Our Company has obtained 'in-principle' approval for this Issue from BSE *vide* their letter dated August 16, 2019. BSE shall be the Designated Stock Exchange for this Issue.
DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited.
DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated March15, 2016 bearing registration no. 09.00006 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the company.
CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated "CARE BB+; Stable", by CARE Ratings Limited (**"CARE Ratings"**) for an amount up to ₹ 12,500 lakhs, vide its letter dated July 22, 2019. The rating of NCDs by Care Ratings indicates that instruments with this rating are considered to have moderate risk of default regarding timely servicing of financial obligations. This rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. The rating provided by rating agency may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency on the basis of new information etc., and should be evaluated accordingly. Please refer to page 217 for the rationale for the above rating.
AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: KLM Axiva Finvest Limited Tel.: +91-484-4281118 / +91-40-48542753; Lead Manager: Vivro Financial Services Private Limited, Tel.: +91-22-6666-8040, Fax: +91-22-6666-8047 and offices of Sub-Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of the Company i.e. www.klmaxiva.com, of the Lead Manager at www.vivro.net, of the BSE at www.bseindia.com and of the SEBI at www.sebi.gov.in.
AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered Office and Corporate Office of the Company and the Lead Manager. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.klmaxiva.com, of the Lead Manager at www.vivro.net, of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in.
BANKERS TO THE ISSUE: HDFC Bank Limited and Axis Bank Limited.
REFUND BANK: HDFC Bank Limited

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE*	REGISTRAR TO THE ISSUE
VIVRO **VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** 607/608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off. Ganpatrao Kadam Marg,Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai - 400 013 **Tel.:** +91 22 6666 8040/41/42 **Fax:** +91 22 6666 8047 **Email:** klmaxiva@vivro.net **Investor Grievance Email**: investors@vivro.net **Website:** www.vivro.net **Contact Person/ Compliance Officer:** Mr. Jayesh Vithlani **SEBI Registration No.:** INM000010122 **CIN:** U67120GJ1996PTC029182	VISTRA ITCL **VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED** The IL & FS Financial Center, Plot No. C – 22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Tel:** +91 22 2659 3333 | **Fax:** +91 22 2653 3297 **Email:** itclcomplianceofficer@vistra.com **Website:** www.vistraitcl.com **Investor Grievance Email:** itclcomplianceofficer@vistra.com **Contact Person:** Mr. Jatin Chonani **SEBI Registration Number:** IND000000578 **CIN:** U66020MH1995PLC095507	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddy Hyderabad – 500 032, Telangana **Tel.:** +91 40 6716 2222 | **Fax:** +91 40 2343 1551 **E-mail**: eniward.ris@karvy.com **Investor Grievance E-mail:** klmaxiva.ncdipo2@karvy.com **Website:** www.karvyfintech.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221 **CIN:** U72400TG2017PTC117649

COMPLIANCE OFFICER AND CONTACT PERSON

KLM AXIVA FINVEST
Mr. Srikanth Menon
KLM Axiva Finvest Limited
4th Floor, Door No. 1871A24,VM Plaza, Palarivattom, Ernakulam – 682 025, Kerala, India
Tel.: +91484 4281 118 | **E-mail:** co_secy@klmgroup.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre-issue or post Issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit of allotted NCDs, refund orders.

**Vistra ITCL (India) Limited, by its letter dated July 4, 2019, has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in this Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to this Issue. For further details, see "General Information – Debenture Trustee" on page 32 of the Prospectus.*

A copy of the Prospectus and written consents of our Directors, our Company Secretary and Compliance Officer, our Chief Financial Officer, our Auditor, the Lead Manager, the Registrar to the Issue, Escrow Collection Bank(s), Refund Bank, Credit Rating Agencies, the legal advisor, the Bankers to our Company, the Debenture Trustee, and the Syndicate Member to act in their respective capacities has been filed with the Registrar of Companies, Hyderabad at Telangana, in terms of Section 26 of the Companies Act, 2013 along with the requisite endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, please refer to the chapter titled "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 211 of the Prospectus.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

This Notice is with reference to the Prospectus dated August 19, 2019 filed with the RoC in relation to the Public Issue.
In this regard, the Applicants/ Investors should note the following:

- The disclosures under the section titled "Section IX - *Other Information - Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 211 of the Prospectus, Serial No 4 of Material Documents, it was disclosed as *"4. The certificate of registration No. B-09.00006 dated March 15, 2016 issued by RBI under Section 45IA of the RBI Act"*- it shall be replaced and read as *"4. The certificate of registration No. 09.00006 dated March 15, 2016 issued by RBI under Section 45IA of the RBI Act."*
- The disclosures under the section titled "Section VI - Issue Related Information - Terms of the Issue - Debenture Redemption Reserve" on page 130 of the Prospectus, in the first line of the second paragraph of Debenture Redemption Reserve

Join @NewspapersToday

जनसत्ता

27 अगस्त, 2019

दो-टूक संदेश

अब साफ हो गया है कि कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान ही आपसी बातचीत से कश्मीर सहित सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर अब कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। फ्रांस के शहर बिआरित्ज में सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में कश्मीर को लेकर बात हुई और यह साफ हो गया कि अमेरिका कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। दरअसल, कश्मीर मसले पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिका जिस तरह के बयान देता रहा है, वे भारत को असहज स्थिति में डालने वाले रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। ऐसे में फ्रांस में ट्रंप और मोदी के बीच जो बात हुई और कश्मीर को लेकर भारत ने जिस तरह से अपना रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया है उससे इतना तो तय है कि मध्यस्थता को लेकर अब कोई भी आसानी से ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा।

अगर कोई देश या तीसरा पक्ष कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के शिगूफे छोड़ता है या इस अति-गंभीर मसले पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात करता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। भारत हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और इस पर वह तीसरे पक्ष को दखल देने की अनुमति नहीं देगा। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देश ही संवाद के जरिए इसे सुलझाएंगे। यही संदेश भारत ने सोमवार को फ्रांस में ट्रंप के साथ बातचीत के बाद दिया। दरअसल, मध्यस्थता को लेकर पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर बखेड़ा कर दिया था। ट्रंप ने वाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में यह कह दिया था कि भारत ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने को कहा है। इसके बाद भारत ने ट्रंप के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसका खंडन किया था और दो-टूक कहा कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात नहीं की।

दक्षिण एशिया में शांति के प्रयासों की आड़ में अमेरिका अपनी चौधराहट बनाए रखना चाहता है। उसके इस रुख की पुष्टि पिछले हफ्ते एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के इस बयान से होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निष्क्रिय करने का भारत सरकार का फैसला उसका आंतरिक मामला है लेकिन इस फैसले से भारत के सीमाई इलाकों में जो असर पड़ रहा है वह चिंता की बात है, इसलिए हम दशकों से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव वाले मुद्दों पर सीधी बात होनी चाहिए। भारत साफ कह चुका है कि पाकिस्तान से कोई भी बात तब तक नहीं होगी जब तक वह सीमापार आतंकवाद बंद नहीं करता। पुलवामा हमले के बाद तो भारत ने और कड़ा रुख अपनाया है। सवाल तो यह है कि अमेरिका कश्मीर की ताजा स्थिति को लेकर परेशान क्यों है? हकीकत तो यह है कि सीमाई इलाकों में या घाटी में जो तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, यह किसी से छिपा भी नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि जो नसीहतें वह भारत को दे रहा है और उससे उम्मीदें कर रहा है, उसके साथ ही पाकिस्तान पर भी तो सीमापार आतंकवाद बंद करके भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दबाव बनाए।

सिंधू का तोहफा

पुसरला वेंकटा सिंधू के पास इतिहास रचने की क्षमता तो हमेशा से रही है लेकिन रविवार को स्विटजरलैंड के शहर बासेल में उन्होंने अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा कर अपने इस संकल्प को हकीकत में बदल डाला और भारत के इतिहास में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। पदक हासिल करने से ज्यादा बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात यह देखने की है कि वे पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से खेलीं और पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले इस बार किस तरह की रणनीति अपनाई। सिंधू ने यह साबित कर दिखाया है कि उनमें कोर्ट पर आलराउंड प्रदर्शन करने की गजब की काबिलियत है। अपने गेम में शुरू से ही हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने मैच पर पकड़ बनाए रखी और ओकुहारा को एक बार भी हावी नहीं होने दिया। सिंधू ने इस टूर्नामेंट के हर मैच में शीर्ष रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों- बी वैन जैंग (अमेरिका), ताई जू यिंग (ताइवान) और चेन यू फी (चीन) को हरा कर अपना लोहा मनवाया।

सिंधू की कभी हार न मानने वाली सोच और कोर्ट पर कड़ी मेहनत से सामने वाले को चित करने की क्षमता ने ही उनको यह पदक दिलवाया। 2017 में ओकुहारा ने ही ग्लासगो में हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधू को हराया था। इसी जीत के साथ सिंधू ने अब चीन की जेंग निंग की बराबरी कर ली है जिन्होंने छह बार खेल में भागीदारी कर पांच मैडल जीते थे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इस रेकार्ड के साथ ही सिंधू के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि यह दर्ज हो गई कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सारे पदक जीतने वाली वे चौथी एकल महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हालांकि पूर्व में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक से चूक जाने की पीड़ा सिंधू को हमेशा रही और इसके लिए उन्हें आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंटरव्यू में इसे लेकर उन पर सवाल भी दागे जाते रहे। पर रविवार को हम सबने सिंधू को उनके करिश्माई खेल से एक नए रूप में स्थापित होते देखा है। किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि वह अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें स्वर्ण पदक जीतने का तोहफा दे! इसीलिए सिंधू के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा।

आखिर सिंधू ने ऐसा क्या नया किया कि हर बार की तरह वे फाइनल में डगमगाए बिना सफलतापूर्वक अपने दबाव को काबू में रख पाईं! काफी हद तक इसका श्रेय उनकी फिटनेस को जाता है। उनके भीतर की इसी ताकत ने उन्हें क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले का सामना करने और एक मुश्किल मैच को काबू में करने की हिम्मत दी। सिंधू ने अपने खेल में बदलाव करते हुए तौरतरीके बदले हैं और सुरक्षित खेलने की प्रवृत्ति से अलग हटते हुए मैच में शुरू से ही सामने वाले पर आक्रामक रुख अपनाने की शैली विकसित की है। इसके अलावा उन्होंने पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा भी है। इस बार सिंधू ने शुरू से ही अपनी नई रणनीति अपनाई थी और उनका जोर शटल को कोर्ट के पीछे तक पहुंचाने पर ही बना रहा। इस रणनीति ने काफी हद तक उन्हें स्वर्ण पदक तक पहुंचाने में मदद की। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित सिंधू ने 2016 के रियो ओलिंपिक में रजत पदक जीतने के बाद से अब तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा है। 2017 के आखिर में उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखते हुए इंडियन ओपन सुपर सीरीज भी अपने नाम की थी। सिंधु की यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

कल्पमेधा

छोटी-छोटी बातों से पूर्णता प्राप्त होती है
और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं।
-माइकल एंजेलो

प्लास्टिक कचरे से बढ़ता संकट

संजय ठाकुर

हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है उन राज्यों में इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत इसका विकल्प सामने लाने की थी। लेकिन राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी का नतीजा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।

भारत में प्लास्टिक कचरे का निबटान एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ये समस्या अब और ज्यादा विकराल इसलिए हो रही है कि कई कंपनियां और पुनर्चक्रण इकाइयां चोरी-छिपे विदेशी प्लास्टिक कचरे का आयात कर रही हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक हर साल एक लाख इक्कीस हजार टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित पच्चीस से ज्यादा देशों से भारत लाया जा रहा है। पचपन हजार टन प्लास्टिक कचरा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही आ रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अट्ठाईस हजार आठ सौ छियालीस टन, दिल्ली में उन्नीस हजार पांच सौ सत्रह टन और महाराष्ट्र में उन्नीस हजार तीन सौ पचहत्तर टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा आयात किया जा चुका है।

विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा आयातक देश चीन ने चौबीस श्रेणियों के ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारत में प्लास्टिक कचरे का आयात और बढ़ गया। चीन के बाद मलेशिया, वियतनाम और थाइलैंड सहित कई अन्य देशों में भी प्लास्टिक कचरे के आयात पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे भारत की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हालांकि भारत सरकार ने देश के खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन और आयात से जुड़े नियमों (हैजारड्स एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबॉउंडरी मूवमेंट रूल्स, 2015) को संशोधित करके एक मार्च, 2019 को ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन इसमें खामियों के चलते भारत में प्लास्टिक कचरे के आयात की छूट मिल रही है। ऐसी छूट के चलते इस्तेमाल की गईं पॉलीऐथिलीन टेरेफ्थैलेट प्लास्टिक बोतलों को महीन कचरे के रूप में आयात किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिदिन पच्चीस हजार नौ सौ चालीस टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है जिसमें से चालीस प्रतिशत फिर से इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। कुल प्लास्टिक कचरे का छठा हिस्सा भारत के साठ बड़े शहरों में पैदा होता है जिसमें से अकेले दिल्ली में रोजाना छह सौ नवासी टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। देश में हर साल सबसे ज्यादा चार लाख उनहत्तर हजार अठानवे टन प्लास्टिक कचरा महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद गुजरात (दो लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौरानवे टन), दिल्ली (ढाई लाख टन), तमिलनाडु (एक लाख पचास हजार तीन सौ तेईस टन), उत्तर प्रदेश (एक लाख तीस हजार सात सौ सतहत्तर टन) और कर्नाटक (एक लाख उनत्तीस हजार छह सौ टन) का नंबर आता है। सबसे कम (तेरह टन सालाना) प्लास्टिक कचरा मेघालय में होता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (साढ़े चौदह टन), मणिपुर (तीस टन), गोवा (एक सौ छह टन) और उत्तराखंड (तीन हजार सोलह टन) का स्थान आता है। सबसे ज्यादा घातक स्थिति तो यह है कि प्लास्टिक कचरे का उचित रूप से निपटान न होने से हर साल अस्सी लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र में जा रहा है।

धरती में घुलनशील प्लास्टिक के दस मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो ने अधिसूचना जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन करवाने के लिए कई समितियां और कार्यबल बनाए हैं। ऐसे कानूनों और नियमों को कड़ाई के साथ लागू न किए जाने से प्लास्टिक कचरा अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

देश के कई राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फरमान तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन इन राज्यों की सरकारों के ढुलमुल रवैए और नीति-निर्माण के स्तर की खामियों से इसके इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी दस्तावेजों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक पर रोक लगाने वाले राज्यों में सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड,

गोवा, कोलकाता, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और बिहार शामिल हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात, केरल, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में भी आंशिक रूप से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जबकि तेलंगाना, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अभी भी कोई रोक नहीं है।

हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है उन राज्यों में इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत इसका विकल्प सामने लाने की थी। लेकिन राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी का नतीजा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह कि लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक नहीं किया गया, इसीलिए लोग बिना किसी डर के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी रोक के लिए उस प्लास्टिक पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत थी जो कई तरह के सामान की पैकिंग में उपयोग किया जाता है। इसमें दूध, मक्खन, तेल, घी, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे और डिटर्जेंट पाउडर जैसे सामान हैं।

प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए इस संबंध में बनाए गए कानूनों को भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इस कारण लोग बेरोकटोक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक पर रोक के फैसले के समय विभिन्न राज्यों की सरकारों ने मौजूदा प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई। प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी में न घुलने के कारण भूमि में जाकर जल को भूमि में शोषित होने से रोकता है। इससे भूमि की उर्वरा-शक्ति कम होती है। प्लास्टिक को सही तरीके से नष्ट न किए जाने से प्लास्टिक में मौजूद रसायन भूमि में चले जाते हैं और मिट्टी तथा भूमिगत जल को विषैला कर देते हैं। प्लास्टिक का सही निपटान न होने से जल निकास प्रणाली में अवरोध पैदा हो जाते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। जल-जनित रोगों का यह भी एक बड़ा कारण है। प्लास्टिक को मिट्टी में घुलनशील बनाने के लिए इसमें मिलाए गए रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक के निर्माण में अल्प अस्थिर प्रकृति के अम्ल और अल्कोहल के रूप में बने कार्बोनेट ऐस्टर नामक रसायन और कैडमियम व जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों से मिल कर कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां, हृदय के आकार का बढ़ना और मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पॉलीऐथिलीन, पॉलीप्रोपीलीन और टेरेफ्थैलेट प्लास्टिक के विभिन्न रूप हैं जो सूक्ष्म कणों के रूप में वायु, जल और भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करके प्रतिरोधी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार कर सुदृढ़ नीति व कारगर कार्ययोजना तैयार करनी होगी और कड़े कानून बना कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। सरकार को प्लास्टिक का आयात पूरी तरह बंद करके विभिन्न कंपनियों और पुनर्चक्रण-इकाइयों पर कड़ी नजर रखनी होगी।

बादल राग

मेधा

दुनिया मेरे आगे

अशोक, नीम, सप्तपर्णी, गुलमोहर- सारे ही वृक्ष नृत्यरत होते हैं। उनके पत्तों के झूमर पड़ने से एक अलग किस्म का संगीत उत्पन्न होता है। आसमान से बूंदें उतरती रहती हैं और धरती को सोंधा करती हैं। छज्जे से टापर-टुपर की आवाज जिंदगी की बेहद पहचानी-सी धुन है। यही धुन तो बचपन से लेकर आज तक बदली नहीं है। अचानक ही यह गीत होठों पर तैर जाता है- 'बृष्टि पड़े टापर-टुपर...'। पेड़ों की डालियां आगे बढ़-बढ़ कर मानो मेरी बाहें पकड़ मुझे अपने साथ झूमने का न्योता देती हैं। रह-रह कर शीतल बयार का प्यार आत्मा को तृप्त करता रहता है। अपने पीछे के लैम्प-पोस्ट की आभा में झिलमिलाता सप्तपर्णी किसी स्वप्नद्रष्टा दार्शनिक की मुस्कान लगती है। अंधेरे की ओट लिए धरती की एक झलक को व्याकुल आसमान पर रहम कर बिजली बार-बार धरती का दीदार करवाती है। रह-रह कर गरजते बादल जैसे मुनादी करते हों कि प्रकृति का यह सारा लाव-लश्कर मेरे ही दम से है। छज्जे पर बनती बूंदों की झालर रात का श्रृंगार करती हैं।

जीवन-रस में डूबे मेरे मन को सहसा खयाल आया कि गांव में बूंदों की गति और मोटाई के अनुसार बारिश को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, वे सारे नाम बहुत ही मजेदार होते थे। उनकी ध्वनि में एक तरह का सुरीला खिलंदड़पन था। पतली और कमसिन-सी बूंदों वाली बारिश को दादी कहती थीं 'झिसी-फुसी' पड़ रहा है। जाने क्यों लग रहा, अभी दौड़ कर गांव जाऊं और सारे नाम पता कर वैसी ही बूंदों को खोजने निकल जाऊं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश, बादल, गांव, बचपन, दादी- सब इस एक क्षण में एक साथ साकार हो रहे हैं। यह जो क्षण है, यही सच है।

सावन के हरियाए मन ने हृदय से सूखे सारे रंगों को देशनिकाला दे दिया है। गांव के पीपल-बाबा की मजबूत डालियों पर लगे झूलों पर पेंग भरता बचपन यहां तक आ पहुंचा है। दरअसल, सावन का महीना मुझे बारहों महीनों में सबसे अलग लगता है। उम्मीद की हरियाली से सजी धरती, बाहर-भीतर के मैल को धोकर मन और तन को निर्मल करते बादल। दूर बसे साजन के संदेश सुनाते बादल। हां, वह पिया जो हृदय के सात पर्दों के पार बसा है... जो कभी-कभार झलक दिखा कर छिप जाता है। फिर सदियों का इंतजार दे जाता है। वह निष्ठुर, निर्मम पिया, जिस तक अतल हृदय की गहराई से उठती पुकार भी नहीं पहुंच पाती, वैसे रूखे पिया को भी सावन के नीर निर्मल कर देते हैं। इस मौसम में बाहर जितना बादल बरसता है, भीतर विरह की अग्नि उतनी भड़क उठती है।

इसीलिए विभिन्न परंपराओं के 'बारहमासा' में सावन का बहुत महातम्य है। बुल्ले शाह ने यों ही नहीं लिखा- 'सावन सोहे मेघला घट सोहे करतार/ ठौर-ठौर इनायत बसे पपीहा करे पुकार।' सभी सूफी संतों के यहां 'बारहमासा' का बहुत महत्त्व है और इसमें बारिश के माह का और खासतौर पर सावन का। जायसी के महाकाव्य 'पद्मावत' में विरह का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर कतई नहीं होता अगर उसमें रत्नसेन की पहली पत्नी नागमति के वियोग खंड में बारहमासा के अंतर्गत सावन माह में नागमति की विरह-वेदना की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति जायसी ने न की होती। प्रकृति की उत्सवधर्मिता, उसका सौंदर्य विरह की ज्वाला को तीव्र से तीव्रतर कर देता है।

अपनी सोच में डूबती-उतराती मैं तब जाकर चेतन हुई जब हाल में बादलों की एक पुकार ने मेरा ध्यान खींचा। कालिदास ने 'मेघदूत' में जिन बादलों के चित्र रचे हैं, वे भी तो इसी आसमान से उपजे होंगे। सहसा मन रोमांचित हो उठा कि आह... मैं वही आसमान देख रही हूं, जिसे निरखते हुए कालिदास ने 'मेघदूत' लिखा था। 'मेघदूत' की स्मृति में डूबे नयन देख रहे हैं... सावन के महीने में हर तरफ प्रकृति की इनायत बरस रही है। ऐसे में 'पी' से मिलन की चाह भी बढ़ जाती है। वह 'पी', जो पति हो सकता है, प्रेमी, गुरु या वह भी जो सब प्रेमियों का प्रेमी और सब गुरुओं का गुरु है।

कालिदास नहीं हैं। जायसी भी नहीं हैं और बुल्ले शाह भी नहीं हैं। लेकिन आसमान अब भी अपनी जगह टंगा है। 'मेघदूत' भी है। जायसी का 'पद्मावत' है और बुल्लेशाह का 'बारहमासा' भी है। यानी शब्द शाश्वत है। शाश्वत शब्द में ही मनुष्य भी अपनी जगह बना लेता है। 'मेघदूत' से कालिदास जीवित हैं। 'पद्मावत' से जायसी।

कितना अद्भुत है यह सोच पाना कि धरती के जिस टुकड़े पर बैठ मैं बारिश के सौंदर्य-रस का पान कर रही हूं, हजारों साल पहले धरती के इसी टुकड़े पर किसी ने ऐसे ही आनंद लिया होगा... तब मैं नहीं थी। हजारों साल बाद भी यहीं बैठ कोई फिर से बादल-राग सुनेगा, तब भी मैं नहीं होऊंगी। क्या पता तब भी मैं थी और हजार साल बाद भी मैं होऊं! आखिर शाश्वत होने से कोई तो रिश्ता होगा नश्वर मनुष्य का। चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि बादल जरूर उपजेंगे, तब भी इसी आसमान से!

चौपाल

पर उपदेश कुशल

बीती अठारह अगस्त को अमेरिका ने जमीन से जमीन पर 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली टामहॉक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके विश्व को एक और अनावश्यक युद्धक सामान बनाने के लिए मजबूर करने वाला काम किया है। यही अमेरिका 2 अगस्त 2019 को इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी यानी आइएनएफ संधि का पुनः नवीनीकरण करने से रूस और चीन पर यह आरोप लगाते हुए कि, 'ये दोनों देश इस संधि के बावजूद नई आधुनिकतम मिसाइल विकसित कर रहे हैं', पीछे हट गया था। पर रूसी उप विदेश मंत्री के अनुसार अमेरिका खुद इस संधि की आड़ में इस मिसाइल को पहले से बनाने की तैयारी में लगा था।

दरअसल, अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वह चाहता है कि दुनिया के अन्य देश मसलन, भारत, उत्तर कोरिया, ईरान आदि अपनी रक्षा के लिए भी हथियार न तो विकसित करें और न ही उन्हें न बनाएं। इसके लिए वह उन देशों पर तरह-तरह की आर्थिक दंडात्मक कार्रवाइयां करता रहता है, लेकिन खुद अत्यंत घातक हथियारों का भारी भरकम जखीरा रखने के बावजूद आएदिन नए-नए हथियार बनाता रहता है। कितना अच्छा होता कि दुनिया के सभी देश हथियारों पर होने वाले अकूत धन को मानव कल्याण के कार्यों यथा गरीबी हटाने, भूख से निजात दिलाने, अशिक्षा दूर करने, अस्पतालों की दशा सुधारने, पशु-पक्षियों सहित पर्यावरण को बचाने में लगाते और विश्व के सभी लोग शांति से अपना जीवन गुजारते! पर अफसोस की बात है कि अमेरिका जैसे देश दुनिया को चैन से नहीं जीने देते। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी अमेरिका की जेबी संस्थाएं बन कर रह गई हैं। इस भयावह स्थिति का विकल्प ढूंढ़ा ही जाना चाहिए।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश*

शाबाश सिंधू

एक बार फिर दुनिया हिंदुस्तान के हुनर का लोहा मान रही है। यह कारनामा करने वाली हिंदुस्तान की बेटी और कोई नहीं सबकी चहेती खिलाड़ी पीवी सिंधू है। सिंधू को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली देश की पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि भारत में किसी भी खेल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने विरोधी को बड़ी आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर किया तो दुनिया कह उठी शाबाश सिंधू! बैडमिंटन के ऊंचे आकाश पर चमकते इस सितारे पर देश को गर्व क्यों न हो! कड़ी मेहनत और लगन से ही सिंधू ने यह ऊंचाई पाई है। यह जीत अपनी मां को समर्पित कर सिंधू ने नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। देश को अपनी इस होनहार खिलाड़ी से बार-बार ऐसी जीत की उम्मीद रहेगी। सिंधू सहित उनके प्रशिक्षक, परिजन और प्रशंसकों को अनेक बधाइयां!

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

उनके मानवीय गुण

अरुण जेटलीजी के अनेक ऐसे मानवीय गुण हैं जो लोगों को अपनाने चाहिए। वे पैसे वाले थे, भारत के सबसे महंगे वकीलों में थे। पैसे वाले और भी बहुत लोग हैं पर उनमें कितने हैं जो अपने नौकरों, ड्राइवर, रसोइया, टाइपिस्ट आदि को मकान खरीद कर देते हैं? उनके बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनमें अपने खुद के बच्चे पढ़ते हैं? जेटलीजी ने हमेशा ऐसा किया। यही नहीं, यदि किसी नौकर का बच्चा होनहार होता था और विदेश में पढ़ना चाहता था, तो जेटलीजी ने उसे विदेश भी भेजा। और भी कई लोगों की उन्होंने आर्थिक मदद की और करके भूल गए। कितनों के लिए वे फरिश्ते जैसे सिद्ध हुए, और इन बातों का अपने जीवनकाल में कभी प्रचार नहीं किया। उनकी स्मृति सदा नमन।

● *अजय मित्तल, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

पुनर्पूंजीकरण के बजाय

हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 70 हजार करोड़ रुपए से बैंकों के 'पुनर्पूंजीकरण' का फैसला किया है। यह सही है कि बैंकिंग क्षेत्र गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) के संकट का सामना कर रहा है और उसे सरकार से राहत की दरकार है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब तक? सरकार के लिए अब जरूरी हो गया है कि बैंकिंग क्षेत्र से अपनी शेयरधारिता कम करे और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाए ताकि बैंकों का सफल परिचालन, क्रियान्वयन हो। उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्ति मिले और वे अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। यही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की नींव है। मौजूदा दौर में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार बार-बार करदाताओं के पैसों से बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की नीति को त्यागे। वह अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि कर जनमानस की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को बढ़ाए और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों पर बल दे ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

● *कपिल एम वड़ियार, पाली, राजस्थान*

मुफ्त का फंदा

अपने देश में चुनाव के पहले नेताओं द्वारा मुफ्त में कुछ देने की घोषणा करने का चलन रहा है। चूंकि जनता मुफ्त में कोई भी वस्तु पाना पसंद करती है तो नेता भी इस बात का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर नेता वोट पाने के लिए जनता को मुफ्त की चीजों का लालच देते रहे हैं। किसी नेता ने मुफ्त लैपटॉप बांटे तो किसी ने बिजली-पानी मुफ्त कर दिए। हाल ही में एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने तो साल में 72000 रुपए देने की घोषणा कर डाली थी। अभी-अभी एक मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त सफर का लालच दिया है। समझने वाली बात है कि कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती, उसकी अपनी कीमत होती है। ये नेता अपनी जेब से तो कुछ देते नहीं। इसका खमियाजा आम करदाता को भुगतना पड़ता है। तो इन नेताओं को क्या हक है कि आम आदमी से वसूले गए करों के पैसे को यों लुटा दें? दूसरी बात, मुफ्त में पाने की आदत से तो लोग नाकारा ही बनेंगे और यह आदत देश को पीछे धकेलने का काम करेगी। इसलिए कानून बनाया जाए कि कोई भी नेता जनता को मुफ्त का लालच न दे। वोट चाहिए तो नेता काम करें, देश को मजबूत करें।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

Join @NewspapersToday

जरा हट के

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल में ब्राजिलियाई वेशभूषा में भाग लेती हुई कलाकार। यह वार्षिक कार्यक्रम है जो 1966 से लंदन में हो रहा है।

बोल

अमेजन के जंगलों में लगी आग आपातकालीन स्थिति है। यह आग न सिर्फ ब्राजील के लिए चौंकाने वाली और भयंकर है बल्कि यह दूसरे देशों के साथ-साथ दुनिया को भी प्रभावित करेगी।
- एंजेला मर्केल, जर्मन चांसलर

विवाद

लगातार बढ़ते सैन्य खतरों और शत्रुतापूर्ण ताकतों के दबाव से पूरी तरह निपटने के लिए देश को हथियार विकसित करते रहने की जरूरत है।
-किम-जोंग-उन, उत्तर कोरिया के नेता

सम-सामयिक

अमेजन की आग : दुनिया भर में छा रहा खतरनाक धुआं

जनसत्ता संवाद

फ्रांस के बियारेत्ज में जी-7 की बैठक में जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में अमेजन के जंगलों में आग का मुद्दा छाया रहा। दुनिया को 20 फीसद ऑक्सीजन देनेवाले अमेजन के जंगलों में लगी आग वैश्विक चिंता बन गई है। अमेजन के जंगलों में 39 हजार करोड़ पेड़ हैं और 16,000 से अधिक जीव प्रजातियां मौजूद हैं। इनका अस्तित्व खतरे में है। ब्राजील की सरकार के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अब तक अमेजन के जंगलों में आग की 75 हजार घटनाएं दर्ज की गई हैं। जबकि, पिछले पूरे साल में 40,136 घटनाएं हुई थीं।

अमेजन के जंगल तीन हफ्ते से लगातार जल रहे हैं। 10 साल बाद इतनी बड़ी आग लगी है। ब्राजील के उत्तरी हिस्से में स्थित राज्य रोरैमा, एक्रे, रोंडोनिया, पारा, माटो ग्रोसो और अमेजोनास इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। आग की घटनाओं में रोराइमा में 141 फीसद, एक्रे में 138 फीसद, रोंडोनिया में 115 फीसद, और अमेजोनास में 81 फीसद वृद्धि हुई है। दक्षिण में मोटो ग्रोसो डो सूल में ये घटनाएं 114 फीसद बढ़ी हैं। ब्राजील में आपातकाल की घोषणा की गई है।

यह आग अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा के कई उपग्रहों ने इसकी तसवीरें खींची हैं। 19 अगस्त को आग वाली जगह से 2735 किमी दूर स्थित साओ पाओलो शहर में दिन में एक घंटे के लिए अंधेरा छा गया था। यह अंधेरा जंगलों से निकले धुएं से हुआ था। धुआं अटलांटिक तटों तक फैल रहा है। अब तक यह फैलकर 2800 वर्ग किमी क्षेत्रफल को घेर चुका है। बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड पैदा हो रही है। इस साल 228 मेगाटन कार्बन डाईऑक्साइड पैदा हुई है। यह 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। जहरीली गैस कार्बन मोनो ऑक्साइड भी पैदा हो रही है, जो दक्षिणी अमेरिका के तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी है।

कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पराग्वे से आ रहे धुएं के कारण भी आसमान पर काला गुबार छा गया है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई संगठन खुलकर आरोप लगाने लगे हैं कि ब्राजील में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो के सत्ता संभालने के बाद जंगलों के कटने की घटनाएं बढ़ी हैं। आरोप हैं कि राष्ट्रपति बोलसोनारो के पर्यावरण विरोधी बयानों के कारण जंगलों का कटना या जमीन के इस्तेमाल के लिए आग लगाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अभी जो आग लगी है, उसके लिए ब्राजील के राष्ट्रपति खास तौर पर एक एनजीओ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह खासतौर पर पश्चिमी देशों पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि आग को जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि ब्राजील के आर्थिक विकास की गति को बाधित किया जा सके।

दरअसल, अमेजन के जंगलों में लगी आग की वैश्विक चिंता की वजह भी है। विश्व के कुल वर्षावनों के क्षेत्र के आधा से अधिक हिस्सा (लगभग 60 फीसद) अकेले अमेजन के जंगल हैं। अमेजन के जंगलों का क्षेत्र 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पूरी पृथ्वी के करीब चार फीसद क्षेत्र में फैला हुआ है। 2019 में अब तक 74000 बार इन जंगलों में आग लग चुकी है। ब्राजील की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, आइएनपीई के उपग्रह डेटा के अनुसार, 2018 में आग लगने की घटनाओं में 84 फीसद की वृद्धि देखी गई।

ब्राजील के आईएनपीई का कहना है कि आग लगने की घटनाओं में वृद्धि अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण हो रही है। इसके बाद आइएनपीई प्रमुख को ही पद से हटा दिया। बोलसोनारो ने कहा कि आइएनपीई प्रमुख जंगल की आग को लेकर भ्रामक सूचनाएं दे रहे थे। जबकि, दुनिया भर के पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बोलसोनारो के कार्यकाल में जंगलों की कटाई व्यापक स्तर पर हुई है।

क्या है नुकसान

- अमेजन के जंगल में आग लगने से ऑक्सीजन में कमी होगी। ग्लेशियरों के पिघलने से भविष्य में पानी की कमी होगी। हिमालय के 650 ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है।
- अमेजन में पृथ्वी के 30 फीसद से अधिक पेड़-पौधों और कीटों का निवास स्थान है। यहां विश्व का 10 फीसद बायोमास (जीव ईंधन) है। इस कारण इन जंगलों में बड़ी मात्रा में पूरे विश्व का कॉर्बन रहता है। इस आग के कारण बड़े पैमाने पर जंगल से कॉर्बन उत्सर्जन हो रहा है।

शोध-अनुसंधान

रेशम कीटों के प्रोटीन से बनेंगे सौंदर्य प्रसाधन

जनसत्ता संवाद

पूर्वोत्तर भारत की कोकून प्रजातियों के सेरिसिन नमूनों में अन्य क्षेत्रों के सेरिसिन के मुकाबले अधिक एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर-रोधी तत्व और त्वचा सुरक्षा संबंधी गुण पाए गए हैं। इस तकनीक का पेटेंट करा लिया गया है और अब इसका व्यवसायीकरण करने की तैयारी की जा रही है।

रेशम के धागों से बनीं रेशमी साड़ियां और कुर्ता तो आपने पहना होगा वहीं नए शोध में इस बात का पता चला है कि रेशम कीटों के प्रोटीन का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं त्वचा की देखभाल से जुड़े कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने रेशम कीटों से उत्पादित होने वाले सेरिसिन प्रोटीन के औषधीय गुणों की पहचान की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रोटीन का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा की देखभाल से जुड़े कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक सेरिसिन का आणविक भार, संरचना और मेटाबोलाइट्स की मात्रा रेशम के कोकून से उसके निष्कर्षण के तरीकों पर निर्भर करती है। इस शोध में डॉ. बिमान मंडल और जेडी प्रवीण कुमार शामिल थे। शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के रेशम कीटों से सेरिसिन के निष्कर्षण की नई विधियां विकसित की हैं और इन विधियों से प्राप्त सेरिसिन के गुणों का मूल्यांकन किया है। सेरिसिन प्रोटीन से पृथक किए गए तत्वों के गुणों की जांच का परीक्षण पशुओं पर किया गया है।

इस अध्ययन में बॉम्बिक्स मोरी (मोरी), एनथेरा असमेनसिस (मूगा) और फिलोसैम्निया राइसिनी (एरी) समेत तीन रेशम किस्मों के कोकून से सेरिसिन प्राप्त किया है। शोधकर्ताओं ने सेरिसिन प्राप्त करने के लिए पांच अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया गया है। डॉ. बिमान मंडल ने बताया कि 'कपड़ा उद्योग से निकलने वाले इस अपशिष्ट का हमने मूल्यांकन किया है ताकि उसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट, कैंसर-रोधी और पराबैंगनी विकिरण से त्वचा की देखभाल संबंधी गुणों का पता लगाया जा सके। मूगा रेशम कीटों से प्राप्त सेरिसिन का उपयोग त्वचा सुरक्षा के लिए कॉस्मेटिक जैल बनाने के लिए किया गया है। यह जैल पराबैंगनी विकिरण के कारण होने वाली सूजन, बुढ़ापा, झुर्रियां रोकने, बाहरी त्वचा के नुकसान, त्वचा को खुरदरा होने से बचाने, त्वचा को मुलायम बनाने एवं त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।'

शोध के दौरान पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से केराटिनोसाइट्स नामक त्वचा कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने में मूगा रेशम कीट से प्राप्त सेरिसिन को अधिक असरदार पाया गया है। सेरिसिन को उसके एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। ये गुण अमीनो एसिड संरचना और सेरिसिन के द्वितीयक चयापचयों पर निर्भर होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक उच्च मात्रा में सेरिसिन ऑक्सीडेंट समर्थक के रूप में काम करता है। यह कैंसर कोशिकाओं में मुक्त रूप से ऑक्सीडेंट उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, जिससे रोगग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। हालांकि विभिन्न रेशम कीटों के अनुसार सेरिसिन के गुण भी अलग-अलग होते हैं। कोकून से सेरिसिन का निष्कर्षण पेप्टाइड्स की लंबाई पर निर्भर करता है। एक टन ताजा कोकून के प्रसंस्करण से करीब 200 किलोग्राम सेरिसिन निकलता है। लेकिन, औद्योगिक उत्पादन में मूगा और एरी जैसी रेशम किस्मों के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त सेरिसिन को फेंक दिया जाता है।

आइआइटी, गुवाहाटी से जुड़े शोधकर्ता डॉ. बिमान बी मंडल ने इसके फायदों के बारे में बताया कि कपड़ा उद्योग से निकलने वाले इस अपशिष्ट का मूल्यांकन करने से पता चला है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर-रोधी और पराबैंगनी विकिरण से त्वचा की देखभाल संबंधी गुणों का पता लगाया जा सकेगा। वहीं मूगा रेशम कीटों से प्राप्त सेरिसिन का उपयोग त्वचा सुरक्षा के लिए कॉस्मेटिक जेल बनाने के लिए किया गया है। इस जेल का इस्तेमाल पराबैंगनी विकिरण के कारण होने वाली सूजन, बुढ़ापा, झुर्रियां रोकने, बाहरी त्वचा के नुकसान, त्वचा को खुरदरा होने से बचाने, त्वचा को मुलायम बनाने एवं त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। इस अध्ययन के परिणाम को फोटोकेमिकल ऐंड फोटोबायोलॉजिकल साइंसेज, एसीएस एप्लाइड बायोमैटेरियल्स सहित अन्य शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

डॉ. बिमान मंडल और जेडी प्रवीण कुमार

विश्व परिक्रमा

द्विपक्षीय बातचीत से कम करें तनाव : ट्रंप

रविवार, 18 अगस्त : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ शुक्रवार को फोन पर हुई बातचीत में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव द्विपक्षीय वार्ता के जरिए कम करने के महत्व पर बल दिया।

हांगकांग में लाखों लोगों का प्रदर्शन

सोमवार, 19 अगस्त : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के आह्वान पर रविवार को लाखों लोगों ने एक पार्क से मार्च निकाला और प्रमुख सड़क को जाम कर दिया। आयोजक बोनी लेउंग ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि रविवार को कोई अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि हांगकांग के लोग पूरी तरह शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं।

बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार

मंगलवार, 20 अगस्त : पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को तीन साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि क्षेत्र के मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

जावेद बाजवा

संभल कर बोलें इमरान : डोनाल्ड

बुधवार, 21 अगस्त : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात बरतने को कहा है। ट्रंप ने दोनों देशों से संयम बरतने और क्षेत्र में मुश्किल हालात बनाने से परहेज करने को कहा है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज खत्म किए जाने के बाद ट्रंप ने मोदी और इमरान से बात की।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी

गुरुवार, 22 अगस्त : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी। उनका कहना है कि अमेरिका को इस युद्धग्रस्त देश में 'मौजूद' रहना ही होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान फिर से यहां अपना कब्जा स्थापित न करे।

भारत से वार्ता का इच्छुक नहीं : इमरान

शुक्रवार, 23 अगस्त : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अब उनका देश भारत के साथ वार्ता करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि वह शांति वार्ता की पेशकश कई बार ठुकरा चुका है। हालांकि भारत ने इमरान के इस दावे को खारिज कर दिया।

एपीजी ने पाकिस्तान को काली सूची में डाला

शनिवार, 24 अगस्त : आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और धन शोधन पर निगरानी रखने वाली वैश्विक निगरानी संस्था 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) के एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) ने पाकिस्तान को कालीसूची में डाल दिया है।

जानें-समझें

जी-7 में एका पर सवाल

'कारोबार युद्ध' पर दबाव में महाबली

दीपक रस्तोगी

विकसित देशों के संगठन जी-7 की बैठक में फ्रांस, चीन, यूरोपीय संघ और भारत के साथ अमेरिका के 'कारोबार युद्ध' का मसला इस कदर छाया रहा कि इस समूह की एकता पर सवाल उठने लगे। चीन और भारत इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन दुनिया की आर्थिकी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण सदस्य देशों ने अमेरिका पर विभिन्न मुद्दों को लेकर खासा दबाव बनाया। फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अपने-अपने तरीकों से दबाव बनाया। नतीजा यह कि चीन और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति नरमी की मुद्रा में दिखे। भारत की कूटनीतिक जीत यह रही कि कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप का 'मध्यस्थता राग' बंद हो गया।

अमेरिका और यूरोपीय संघ

वैश्विक अर्थव्यवस्था को कारोबार युद्ध से अधिक खतरा पहुंचने का अंदेशा है। यह बात जी-7 की बैठक में खुलकर सामने आई। खासकर यह कि अमेरिका का संरक्षणवादी रवैया दुनिया को मंदी की ओर धकेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं के बीच कारोबार युद्ध के खतरों को लेकर बहस छिड़ गई। ईयू परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कह दिया कि कारोबार युद्ध के चलते मंदी गहराएगी। जबकि सुलह हो जाने से दुनियाभर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

फ्रांस, अमेरिका और ईरान का मुद्दा

बैठक में भाग लेने से पहले ही ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकी देने के अंदाज में कहा था कि अगर वे अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाए गए टैक्स को वापस नहीं लेते हैं तो अमेरिका फ्रेंच वाइन पर आयात शुल्क लगा देगा। जवाब में मैंक्रों ने यूरोपीय संघ को अपने पाले में खड़ा कर लिया और खुद को ईरान का पक्षकार बना लिया। जी-7 सम्मेलन की पूर्वसंध्या पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैंक्रों ने ट्रंप के आपत्ति व इनकार के बावजूद अमेरिका से तनाव के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ को बुला लिया। यह कहा कि जी-7 में इसके लिए सहमति बनी है। मैंक्रों की इस कवायद से अमेरिका और ईरान में तनाव कम करने के लिए रास्ते खोले जाने पर संभावना बनी है। इसमें भारत भी एक पक्षकार है।

चीन और अमेरिकी कारोबार युद्ध

जी-7 की बैठक के लिए रवाना होने के पहले ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर नए सिरे से शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। वाइट हाउस की ओर से जारी एक वक्तव्य में ट्रंप ने कहा कि अक्तूबर से 250 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर 30 फीसद का शुल्क लगाया जाएगा। असल में चीन ने शुक्रवार को 75 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने यह कार्रवाई की। इसका फौरी असर यह दिखा कि अमेरिकी शेयर बाजार डाऊ जोंस 2.4 फीसद लुढ़क गया। सोमवार को भारत समेत दुनिया के कई बाजारों में असर देखा गया। बाद में फ्रांस के बियारित्ज में ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कारोबार युद्ध को लेकर चीन उनसे बातचीत करना चाहता है, इसके लिए उसने रविवार रात अमेरिका अधिकारियों से भी संपर्क किया है। इसके बाद दुनिया के शेयर बाजारों में सुधार देखा गया।

विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर

कारोबार युद्ध ने वैश्विक विकास को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर हालात आगे भी ऐसे रहे तो विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर पहुंच जाएगी। ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, सिंगापुर और ब्राजील समेत दुनिया के नौ प्रमुख देश मंदी के कगार पर हैं या मंदी की चपेट में आ चुके हैं। जानकारों का अनुमान है कि अगर कारोबार युद्ध जारी रहा तो इससे साल 2021 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के आगोश में चली जाएगी। दुनिया को करीब 585 अरब डॉलर का चूना लग सकता है।

क्या है जानकारों की राय

जी-7 की बैठक में जुटे राष्ट्राध्यक्ष

आर्थिक, राजनयिक और रणनीतिक मुद्दों पर भारत और अमेरिका एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका और भारत दोनों एक-दूसरे के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के अपने-अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, यह वक्त का तकाजा है।
- जी पार्थसारथी, पूर्व राजनयिक

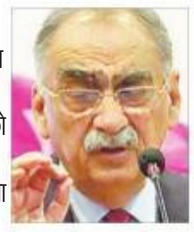

अमेरिका और चीन के बीच कारोबार युद्ध से निर्यात बढ़ाने का मौका मिला है। भारत द्वारा अमेरिका और भारत द्वारा चीन को निर्यात बढ़ा है। लेकिन उनके कारोबार युद्ध से हमारी अर्थव्यस्था भी प्रभावित हुई है।
- विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक

जी-7 और भारत

पहली बार भारत को वर्ष 2003 में जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तब भी यह सम्मेलन फ्रांस में ही आयोजित किया गया था। इस बार फ्रांस में इस सम्मेलन का 45वां संस्करण हुआ, जिसमें भारत को बुलाया गया। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भारत और अमेरिका के बीच कारोबार के मसले पर मतभेदों को लेकर भी बात हुई है। पिछले साल अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले इस्पात और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयात होने वाले 28 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया था। इस संगठन में भारत पूर्ण सदस्य न होकर विशेष आमंत्रित सदस्य है।1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति बैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टेइंग ने जी-7 की अवधारणा रखी। 1975 में गठन हुआ।

व्यक्तित्व

रानू मंडल : रेलवे प्लेटफॉर्म से बॉलीवुड का सफर

जनसत्ता संवाद

सच ही कहा गया है कि कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसी ही किस्मत पाई है रानू मंडल ने। अभी कुछ दिन पहले तक रानू मंडल को कोई नहीं जानता था। वो गुमनामी के अंधेरों में पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर भीख मांग कर जैसे-तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। वहीं आज उनके पास बॉलीवुड की कई फिल्मों और रिएलिटी शो में गाने के ऑफरों की लाइन लग गई है।

आज रानू फर्श से अर्श पर पहुंच चुकी हैं और यह चमत्कार हो पाया है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया ने रानू मंडल को फेमस बना दिया है। रानू आज से पहले पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। वह कभी रेलवे स्टेशन तो कभी लोकल ट्रेन में गाकर भीख मांग कर अपना गुजारा करती थीं। एक दिन जब रानू गाना गा रही थीं तब अतीन्द्र चक्रवर्ती नामक शख्स ने उनके गाने का वीडियो बना लिया और उसे अपने फेसबुक अकाउंट् से साझा कर दिया। बस क्या- देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और रानू स्टार बन गईं। रानू रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं। वायरल हुए वीडियो में वे लता मंगेशकर का गाना 'एक प्यार का नगमा है' को सुरीली आवाज में गाती दिखीं। उनका गाना जिसने भी सुना उसने कहा काश कोई इन्हें एक बार गाने का मौका दे दे। वीडियो के वायरल होते ही रानू को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। उन्हें कई संगीतकारों और निर्माताओं से फिल्मों में गाने के ऑफर मिलने लगे। संगीतकार हिमेश रेशमिया ने रानू को अपनी नई फिल्म में गाने का मौका दिया है। हाल ही में एक वीडियो में दिखा कि रानू हिमेश के साथ अपना गाना रिकॉर्ड कर रही हैं। गाने के बोल 'तेरी मेरी कहानी' है, यह गाना हिमेश की अगली फिल्म 'हैपी हार्डी और हीर' के लिए है। गाने रिकॉर्ड करने के इस वीडियो को साझा किया गया था, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया है।

हिमेश के साथ गाना रिकॉर्ड करने के बाद रानू को हाल ही में सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' में देखा गया। यहां वे खास मेहमान बनकर पहुंची थीं। शो के दौरान जब उनसे पूछा कि वह रेलवे स्टेशन पर गाना क्यों गाती थीं? तो रानू ने हंसते हुए जवाब दिया कि 'मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था और गाना गाकर ही मैं अपना पेट भरती थी। गाना सुनकर कोई मुझे बिस्किट दे जाता था तो कोई पैसा।' एक वीडियो ने रानू की जिंदगी बदल दी। जहां कल तक उन्हें कोई पूछता नहीं था और उनके अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया था वहीं अब उनकी बेटी को मां की याद आ गई। रानू की बेटी ने दस साल बाद उनसे मुलाकात की। इस पर रानू ने कहा कि 'यह मेरा दूसरा जन्म है और मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी।' रातोंरात स्टार बनने वाली रानू मंडल के दिन अब बदल चुके हैं। बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही उन्हें कई स्टेज शो, रिएलिटी शो में गाने का ऑफर मिला है। कोलकाता, मुंबई, केरल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में भी गाने के ऑफर मिले हैं। यही नहीं रानू के मेकओवर और उनके रहने का खर्चा भी गाना गाने का ऑफर देने वाले आयोजकों द्वारा उठाया जा रहा है।

'पैगाम ए अमन' बस सेवा फिर शुरू

जम्मू/श्रीनगर, 26 अगस्त (भाषा)।

'पैगाम ए अमन' बस सेवा एक सप्ताह तक निलंबित रहने के बाद सोमवार से फिर शुरू हो गई। इसके साथ ही फंसे हुए 46 यात्री अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इनमें 40 लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से थे। यह बस सेवा जम्मू कश्मीर के पुंछ और पीओके स्थित रावलकोट के बीच चलती है। अधिकारियों ने जम्मू में बताया कि यह साप्ताहिक बस सेवा 19 अगस्त को तब रद्द कर दी गई थी जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अधिकारियों ने बस को नियंत्रण रेखा के पार जाने देने की भारतीय अधिकारियों की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया।

पुंछ जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने कहा कि बस सेवा शुरू हो गई और पीओके निवासी 40 यात्री तथा छह भारतीय लोग अपने-अपने घरों को रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि बकरीद से एक सप्ताह पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे दो अन्य पीओके निवासियों का परमिट खत्म होने वाला है। इसके साथ ही दोनों तरफ से कोई नया यात्री नहीं है। हर सोमवार को चलने वाली यह बस सेवा पाकिस्तान की ओर से बार-बार किए जाने वाले संघर्षविराम उल्लंघन से उत्पन्न तनाव के बीच भी नहीं रुकी, लेकिन पिछले सोमवार (19 अगस्त) को यह तब निलंबित कर दी गई थी। जब बस को नियंत्रण रेखा के पार जाने देने के भारतीय अधिकारियों के संदेश का पीओके से संबंधित अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।

इस बीच, कश्मीर घाटी में सोमवार को लगातार 22वें दिन आम जनजीवन प्रभावित रहा। यहां के बाजार और स्कूल बंद रहे लेकिन शहर में निजी वाहनों की आवाजाही में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घाटी के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की जा चुकी हैं लेकिन कारोबार का केंद्र माने जाने वाले लाल चौक और प्रेस एन्क्लेव क्षेत्र में यह सेवा अब भी बंद है।

ट्रक पर पथराव के आरोपी दो युवक गिरफ्तार

श्रीनगर/जम्मू, 26 अगस्त (भाषा)।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक ट्रक पर पथराव करने के मामले में सोमवार को तड़के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। पथराव के दौरान घायल हुए ट्रक चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए अन्य छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। अनंतनाग जिले के बिजबहेड़ा में उरहल इलाके के जरदीपोरा में ट्रक पर पथराव किया गया था। मृतक चालक की पहचान नूर मोहम्मद डार (42) के तौर पर ही हुई है।

'राम लला विराजमान' की याचिका का अनावश्यक विरोध कर रहा निर्मोही अखाड़ा : न्यायालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा 'राम लला विराजमान' की याचिका का अनावश्यक रूप से विरोध कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अखाड़े द्वारा यह कहे जाने की निंदा की कि 'शबैत' (उपासक) होने के नाते केवल उसकी याचिका ही विचार योग्य है और अनुचर देवकी नंदन अग्रवाल के जरिए देवता 'रामलला विराजमान' की ओर से दायर याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने दशकों पुराने और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में 12वें दिन दलीलें सुनते हुए कहा, 'आपके (अखाड़ा) के वाद और वादी संख्या-1 (रामलला...) द्वारा दायर वाद के बीच कोई द्वंद्व नहीं है...यदि वादी (देवता और अन्य) के वाद को मंजूरी दी जाती है तो 'शबैत' के रूप में आपका अधिकार बरकरार रहता है। न्यायालय की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल हैं। पीठ ने कहा कि आप (अखाड़ा) अपने 'शबैत' अधिकार का स्वतंत्र रूप से दावा कर सकते हैं। आप विरोधाभासी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहे हैं जहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह करना सुन्नी वक्फ बोर्ड का काम है। न्यायालय ने 'निर्मोही अखाड़े' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील जैन से पूछा कि यदि देवता की याचिका खारिज कर दी जाती है तो अखाड़ा किसका 'शबैत' रहेगा।

अमेरिका से आयात बढ़ाएगा भारत

पेज 1 का बाकी

दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका से चार अरब डॉलर मूल्य के आयात की योजना तैयार है। मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि दोनों व्यापार मुद्दों को लेकर आपसी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर मतभेदों के मद्देनजर मोदी और ट्रंप की इस बैठक को काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

दोनों नेताओं में इस बात पर भी सहमति बनी कि प्रधानमंत्री की अगले महीने की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करें। मोदी-ट्रंप की 40 मिनट की बैठक का ब्योरा देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पहले ही वाशिंगटन जाना था, लेकिन यह कार्यक्रम बन नहीं पाया।

वाशिंगटन में मोदी-ट्रंप बैठक के बारे में जारी वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक भागीदारी का विस्तार करने पर चर्चा की। साथ ही बैठक में द्विपक्षीय व्यापार बड़े स्तर पर बढ़ाने के बारे में भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने अमेरिका जाएंगे। वे अमेरिका की ईंधन की राजधानी माने जाने वाले ह्यूस्टन शहर भी जाएंगे जहां वे ऊर्जा कंपनियों के शीर्ष मुख्य कार्यकारियों के साथ गोलमेज में भाग लेंगे।

गोखले ने कहा कि इसके दो उद्देश्य हैं। कैसे भारत अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा सकता है और दूसरा यह कि कैसे हम अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। गोखले ने कहा कि ट्रंप ने इस बात का भी संकेत दिया कि वह प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को ह्यूस्टन भेज सकते हैं जिससे द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके।

भ्रष्टाचार के आरोप में 22 कर अधिकारी 'जबरन' सेवानिवृत्त

पेज 1 का बाकी

है। एक सूत्र ने कहा कि हमने हाल में अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय संख्या में कर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया है। हम इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन अधकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया है उनमें 11 नागपुर और भोपाल क्षेत्र के हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने इंदौर की एक कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीके से सिगरेट विनिर्माण को मंजूरी दी थी। इनके अलावा चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मेरठ और चंडीगढ़ क्षेत्र के एक-एक और मुंबई, जयपुर और बंगलुरु के दो-दो अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया है।

जून में सरकार ने सीबीआइसी के 15 आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने और देने, तस्करी और आपराधिक साजिश के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया था। वहीं उससे पहले सरकार ने 12 वरिष्ठ आइआरएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया था।

पिता ने खट्टर के रथ के सामने लगाई आग

पेज 1 का बाकी

भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिए जाने के दावों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी यात्रा के सिलसिले में वे सोमवार को सोनीपत में थे। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:30 बजे सोनीपत जिले के बहालगढ़ से रथ में सवार हुए। यात्रा करीब 11:30 बजे खरखौदा विधानसभा के गांव राठधना पहुंची थी। राठधना चौक पर खट्टर का भाषण चल ही रहा था कि इसी बीच गांव के राजेश नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के रथ के सामने पहुंचकर आग लगा ली। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए।

घटना में गांव बेगा के चांदराम, कैलाना के रघबीर सिंह व रणधीर सिंह, राठधना के मुकेश व कुलदीप के अलावा दो अन्य लोग भी मामूली रूप से झुलस गए। पुलिस व आसपास के लोगों ने कपड़े आदि डालकर आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आत्मदाह करने वाले राजेश व अन्यों को सोनीपत के सिविल अस्पताल पहुंचाया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राजेश पहले से ही खुद पर तेल छिड़ककर मौके पर पहुंचा था। सीएम के रथ के सामने जाकर उसने आग लगा ली। हालांकि इस मामले में पुलिस तथा सिविल प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन पुलिस को दिए बयान में राजेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उनके दो बेटों को ग्रुप डी की सरकारी नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी जिससे वह काफी आहत था। इसी बात से तंग आकर उसने आत्मदाह कर लिया।

राजेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे सोनीपत सिविल अस्पताल से पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया। इसी दौरान सोनीपत के जिला उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने सिविल अस्पताल पहुंचकर राठधना में झुलसे लोगों का हालचाल पूछा कहा कि इनकी हरसंभव मदद की जाएगी। उपायुक्त ने रोहतक पीजीआइ निदेशक से भी बात की है। उपायुक्त ने बताया कि सभी झुलसे लोगों की हालत खतरे से बाहर है।

इसी दौरान, सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार राजेश कुमार व चांदराम को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया गया ताकि वहां बर्न वार्ड में सही ढंग से उपचार हो सके। इस बारे में जिला प्रशासन पीजीआइ के लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि मामूली रूप से झुलसे लोगों को मंगलवार बाद दोपहर छुट्टी दिए जाने की संभावना है।

मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटी

पेज 1 का बाकी

किए जाने के बाद किया गया है।

'जेड प्लस' सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) द्वारा दिए जाने वाले उच्चतम सुरक्षा कवर में से एक है। दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, 'वर्तमान सुरक्षा कवर समीक्षा खतरे की आशंका पर आधारित एक नियमित व पेशेवर कवायद है, जो विशुद्ध रूप से सुरक्षा एजंसियों द्वारा पेशेवर मूल्यांकन पर आधारित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 'जेड प्लस' सुरक्षा मिलती रहेगी।' विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा वापस लेने का निर्णय कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय की विभिन्न खुफिया एजंसियों से मिली सूचनाओं के आधार सहित तीन महीने तक समीक्षा किए जाने के बाद लिया गया।

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) संरक्षण देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सुरक्षा कवच है। एसपीजी अधिनियम 1988 के अनुसार 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सिंह को एक वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा हासिल करने का अधिकार था। सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर की सुरक्षा समीक्षा के बाद उसे वार्षिक तौर पर बढ़ाया गया था। डॉ. सिंह की बेटी ने 2014 में स्वेच्छा से एसपीजी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था।

डॉ. मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब यह सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी को ही प्राप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद ने 1988 में एसपीजी विधेयक पारित किया और फिर उसके बाद यह कानून बना। उस समय के अधिनियम के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाती थी।

वीपी सिंह के 1989 में सत्ता में आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी। राजीव गांधी की 1991 में हत्या किए जाने के बाद एसपीजी अधिनियम संशोधन किया गया, जिसके बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को करीब 10 वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा मिलने लगी।

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एसपीजी के कामकाज की समीक्षा की और पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिंह राव, एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया। वाजपेयी सरकार ने 2003 में एसपीजी अधिनियम में फिर संशोधन किया और पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद 10 वर्ष की जगह केवल एक वर्ष तक एसपीजी संरक्षण मिलने लगा। इसके बाद सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद इसे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाने लगा।

ट्रंप का मजाकिया अंदाज, लगे ठहाके

पेज 1 का बाकी

ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही। बातचीत से पहले ट्रंप और मोदी ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से हाथ मिलाया और मीडिया से मुखातिब हुए। मोदी ने पत्रकारों के सवालों का हिंदी में जवाब दिया। इस दौरान जब मोदी ने पत्रकारों से कहा कि वह नेताओं को अकेले में बात करने दें तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) वास्तव में बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वह इसमें बात नहीं करना चाहते। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के हाथ पर थपकी दी तो कमरे में मौजूद हर कोई हंस पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं।

इमरान ने दी परमाणु युद्ध की धमकी

पेज 1 का बाकी

देशों के साथ पूरी दुनिया तबाह होगी। हम कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।' इस समय पाकिस्तान आर्थिक हालात काफी खराब बताई जा रही है। ऐसे में इमरान खान ने मोदी-ट्रंप मुलाकात पर बौखलाहट जताते हुए अपनी अवाम को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह कश्मीर का मुद्दा बड़े देशों के सामने उठाएंगे। इस मामले पर संरा सुरक्षा परिषद की बैठक हो चुकी है। पूरी दुनिया का ध्यान खींचा गया है।

इमरान खान ने निराशा जताते हुए कहा, 'आज दुनिया की ताकतें और मुसलमान देश भी मजबूरी की वजह से उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ वह उनका साथ जरूर देंगे।... आप मायूस न हों, हम पूरी दुनिया में कश्मीर के एंबेसडर बनेंगे। मैं 27 सितंबर को यूएन में यह मुद्दा उठाऊंगा।' इमरान खान ने कहा, 'यूएन की जिम्मेदारी है कि वह कमजोर के साथ खड़ा हो लेकिन वह हमेशा ताकतवर का ही साथ देता है। सवा अरब की आबादी आपकी तरफ देख रही है।' उन्होंने परमाणु हथियारों की धमकी देते हुए कहा कि दोनों तरफ परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया तबाह होगी। इमरान ने कहा कि हम कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।

चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड चार दिन बढ़ी

पेज 1 का बाकी

अदालत के 22 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व वित्त मंत्री की एक नई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले चिदंबरम को उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि चिदंबरम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के खिलाफ उनकी अपील अब निरर्थक हो गई है।

दिल्ली की अदालत में न्यायाधीश ने कहा, 'जांच करना जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है जिसे उन्हें कानून के दायरे में इसे करना होता है...मेरा मानना है कि आरोपी पी चिदंबरम की और पुलिस हिरासत न्यायोचित है और इसलिए आरोपी को 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।' अदालत ने सीबीआइ हिरासत के दौरान चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को प्रतिदिन आधा घंटा उनसे मिलने की अनुमति दी। चार दिन की सीबीआइ हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 22 अगस्त को चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ हिरासत में भेजा था।

जांच एजंसी ने उनकी हिरासत की अवधि और पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल केएन. नटराजन ने सीबीआइ की ओर से दलीलें दी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अभियोजकों ने कहा कि चिदंबरम से 23 से 26 अगस्त तक पूछताछ की गई और एक सह-आरोपी से उनका आमना-सामना कराया गया है, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया है। सीबीआइ ने चिदंबरम का नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर से आमना-सामना कराया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूटी (केंद्रशासित प्रदेश) कैडर की 1975 बैच की आइएएस अधिकारी खुल्लर उस समय वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं जब आइएनएक्स मीडिया से संबंधित घटनाक्रम कथित तौर पर हुए थे। उन्होंने कहा कि वह (खुल्लर) सुबह सीबीआइ मुख्यालय पहुंचीं, लेकिन पूछताछ पूरी नहीं हो सकी और उन्हें मंगलवार को फिर बुलाया गया है।

मेहता ने दलील दी, 'हमें चिदंबरम को और पांच दिनों तक हिरासत में रखने की जरूरत है क्योंकि सह-आरोपी से आमने-सामने करा कर बड़ी साजिश का खुलासा करने की कार्यवाही जारी रहेगी।' उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच एक साथ चल रही है और सीबीआइ को इसकी जानकारी मिली है। मेहता ने कहा कि ईडी ने धनशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया है और उसने सीबीआइ के साथ सबूत को साझा किया है इसलिए और पूछताछ की जरूरत है। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध किया। चिदंबरम से दो मिनट बात करने के बाद सिब्बल ने कहा कि पिछले रिमांड आवेदन में 50 लाख अमेरिकी डॉलर का जिक्र था और इन चार दिनों के दौरान एक भी दस्तावेज उनके समक्ष नहीं रखा गया। उन्होंने दावा किया कि ई-मेल से संबंधित सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं और चिदंबरम ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। उन्होंने कहा, '26 घंटे की पूछताछ हुई है। फिर भी इन सभी मुद्दों पर कुछ नहीं पूछा गया।' सिब्बल ने कहा कि वह चाहते हैं कि सीबीआइ अदालत के समक्ष सही तथ्यों को रखे। चिदंबरम (73) को सीबीआइ ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों की सीबीआइ हिरासत में सौंप दिया था।

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी मामला : गिरफ्तारी से संरक्षण आज तक के लिए

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना के पीठ ने कहा कि धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। यह मामला आइएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए दी गई मंजूरी से संबंधित है।

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल ने सोमवार को अपनी बहस पूरी की और कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे के जवाब में अपना हलफमाना दाखिल करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मंगलवार को बहस शुरू करेंगे। इस पर पीठ ने ईडी मामले की आगे सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दी।

इससे पहले, दिन में धन शोधन के प्रवर्तन निदेशालय के मामले में चिदंबरम की ओर से बहस करते हुए सिब्बल ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष जांच संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार का हिस्सा है और न्यायालय को चिदंबरम के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। सिब्बल ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पीठ के अवलोकन हेतु सीलबंद लिफाफे में चुनिंदा दस्तावेज पेश करने के लिए दी गई दलीलों का प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि निदेशालय ने 19 दिसंबर, 2018, एक जनवरी, 2019 और 21 जनवरी, 2019 को चिदंबरम से तीन बार पूछताछ की लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को एक प्राथिमकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। यह मंजूरी उस वक्त दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद, 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी के बारे में सिब्बल ने कहा कि बोर्ड में भारत सरकार के छह सचिव होते हैं और उनकी मंजूरी के बाद ही वित्त मंत्री होने के नाते चिदंबरम ने सिर्फ उस पर हस्ताक्षर किए थे।

सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देगा केंद्रीय बैंक

पेज 1 का बाकी

है। अधिशेष के अलावा मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को आरबीआइ से 90 हजार करोड़ रुपए लाभांश के रूप में मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 68 हजार करोड़ मिले थे।

आरबीआइ को अपने अधिशेष (सरप्लस रिजर्व) में कितना पैसा रखना चाहिए और सरकार को कितनी रकम दे देनी चाहिए, यह तय करने के लिए रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 2018 को छह सदस्यीय समिति बनाई थी। इस समिति को आरबीआइ के मौजूदा ईसीएफ की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

आरबीआइ के पास नौ लाख करोड़ रुपए का अधिशेष धन (सरप्लस फंड) है। यह आरबीआइ की कुल परिसंपत्तियों का करीब 28 फीसद है। सरकार का तर्क था कि दूसरे बड़े देशों के केंद्रीय बैंक अपनी परिसंपत्तियों का 14 फीसद अधिशेष धन अपने पास रखते हैं। बाकी सरकार को दे देते हैं। सरकार के इस तर्क पर आरबीआइ के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने आपत्ति जताई थी। इस मुद्दे पर केंद्रीय बैंक और सरकार के विवाद के चलते आरबीआइ के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पिछले साल दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था।

आरबीआइ का अधिशेष धन (सरप्लस फंड) तय करने के लिए पहले भी तीन समितियां बनी थीं- वी सुब्रमण्यम (1997), उषा थोराट (2004) और वाईएस मालेगाम (2013) समिति।

हमारा मामला, हम किसी तीसरे देश को नहीं देना चाहते कष्ट

पेज 1 का बाकी

स्पष्ट करने की योजना तैयार की थी। इसी कारण सोमवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया तो ट्रंप ने भी यू-टर्न ले लिया। ट्रंप ने मोदी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें पूरा भरोसा है।

विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक 'बेहद उत्साहवर्धक और बेहद सकारात्मक बैठक' हुई। इस साल मई में प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद यह दोनों नेताओं के बीच तीसरी बातचीत थी। ट्रंप के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले साथ थे और उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान कर सकते हैं।

मोदी ने कहा, 'चुनावों के बाद जब मैंने प्रधानमंत्री खान से बात की तो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी इससे लड़ना है। पाकिस्तान को अशिक्षा और बीमारी से लड़ना है और भारत को भी उनसे मुकाबला करना है। मैंने उन्हें बताया कि हमें अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए।'

वहीं, ट्रंप ने कहा, 'हमने बीती रात कश्मीर के बारे में बात की, प्रधानमंत्री को वास्तव में यह लगता है कि यह (स्थिति) उनके नियंत्रण में है। उन्होंने पाकिस्तान से बात की और मुझे विश्वास है कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो काफी अच्छा होगा। मेरे दोनों (मोदी और खान) से अच्छे रिश्ते हैं और मैं यहां हूं। मुझे लगता है कि वे खुद से (मुद्दे का समाधान) कर सकते हैं।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, हम सैन्य और कई दूसरी चीजों पर बात कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ शानदार चर्चा हुई, हम रात्रिभोज के लिए बीती रात साथ में थे और मैंने भारत के बारे में काफी जाना।'

विदेश सचिव ने कहा कि मोदी और ट्रंप की बैठक सैद्धांतिक रूप से व्यापार और ऊर्जा पर केंद्रित थी। भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है। विदेश सचिव ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ऊर्जा आयात के महत्त्व पर बात की और इस संदर्भ का हवाला दिया कि चार अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात पहले ही लंबित हैं और इसमें तेजी आने की उम्मीद है।'

बाजार में तेजी, सूचकांक 793 अंक उछला

पेज 1 का बाकी

जल्द ही 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का एलान किया। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के जीएसटी रिफंड को तय समयसीमा में उपलब्ध कराने सहित आटोमोबाइल क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने के कई उपायों की घोषणा की। ये घोषणाएं शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद की गई। बाजार में इनकी प्रतिक्रिया सोमवार को देखने को मिली।

वित्त मंत्री ने स्टार्ट अप को 'एंजल कर' से छूट देने की घोषणा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक आवास, वाहन और दूसरे कर्जों को सस्ता करने पर सहमत हुए हैं। कारोबार की शुरूआत में बाजार में तेजी के बाद नरमी का रुख देखा गया लेकिन जैसे ही यह समाचार आया कि अमेरिका और चीन जल्द ही व्यापार मुद्दे पर बातचीत शुरू करेंगे। बाजार में जोरदार तेजी का रुख बन गया। हालांकि, इससे पहले दूसरे एशियाई बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। इन बाजारों मं अमेरिका- चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध को लेकर चिंता रही।

महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला : अजित पवार के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई, 26 अगस्त (भाषा)।

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला मामले में बंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सोमवार को राकांपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के नेता जयंत पाटिल और राज्य के 34 जिलों में बैंक इकाई के अधिकारी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया, 'हमने आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत पर एमआरए मार्ग थाने में मामला दर्ज किया है।' हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस के शिंदे के पीठ ने 22 अगस्त को कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ 'ठोस साक्ष्य' हैं और ईओडब्ल्यू को पांच दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। एमएससीबी को 2007 और 2011 के बीच एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जिसमें आरोपियों की कथित तौर पर मिलीभगत थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की जांच के साथ ही महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसायटीज कानून के तहत अर्द्ध न्यायिक जांच आयोग की तरफ से दायर आरोप पत्र में नुकसान के लिए पवार और अन्य आरोपियों के 'निर्णयों, कार्रवाई और निष्क्रियताओं' को जिम्मेदार ठहराया गया।

epaper.jansatta.com

भाजपा ने 370 पर लोगों को जानकारी देने की मुहिम शुरू की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

भाजपा ने लोगों को अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की 'अहमियत' बताने के लिए महीने भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान का सोमवार को एलान किया।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी नेता, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद 35 बड़े शहरों और 370 छोटे शहरों में जनसभाएं करेंगे। इस अभियान के लिए कश्मीर घाटी में चार स्थानों समेत भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य के नौ स्थानों का चयन किया गया है। यह अभियान एक से 30 सितंबर के बीच आयोजित होगा।

प्रधान ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना ऐतिहासिक है और स्वतंत्र भारत के उन कुछ क्षणों में से एक है, जिन्होंने सभी राजनीतिक और विचारधारा के लोगों को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे एक माह तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, राज्यों के बड़े नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण समाज जीवन की प्रमुख हस्तियों एवं प्रबुद्ध जनों से व्यक्तिगत मुलाक़ात करेंगे और धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर को किस तरह लाभ पहुंचेगा, वहां के नागरिकों के जीवनस्तर में किस तरह सुधार होगा, इस पर चर्चा करेंगे।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनजागरण अभियान के तहत पूरे देश में प्रदेशों की राजधानियों में 35 बड़ी जनसभाएं होगी। 370 प्रमुख शहरों में घर-घर संपर्क एवं जनाभाओं, रैलियों के जरिए देश के हर नागरिकों को धारा 370 से देश एवं जम्मू-कश्मीर को होने वाले नुकसान एवं इसके हटने से होने वाले फायदे से अवगत कराया जाएगा। जनसंपर्क अभियान की आयोजन कमिटी का गठन धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के महासचिव मुरलीधर राव के नेतृत्व में किया गया है जिसके सदस्य केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं गौरव भाटिया हैं जबकि जनजागरण अभियान के काम को देखने का दायित्व पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली कमिटी को सौंपा है।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

द्वारका शाखा, एफएफ, एचएल गलेरिया कॉम्पलैक्स, सैक्ट.12, द्वारका, नई दिल्ली-110075

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स एक्सिलेंट स्ट्रक्चर प्रा. लि., ए-31, लेन नं. 1, आबु फज़ल एन्कलेव, ओखला, नई दिल्ली-110025 को मांग सूचना दिनांकित 01.06.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **2,06,57,749.06** (रुपये दो करोड छः लाख सत्तावन हजार सात सौ उनचास पैसे छः मात्र) दिनांक 25.05.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, एफएफ, एचएल गलेरिया कॉम्पलैक्स, सैक्ट.12, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के प्रभार वास्ते रु. **2,06,57,749.06** (रुपये दो करोड छः लाख सत्तावन हजार सात सौ उनचास पैसे छः मात्र) दिनांक 25.05.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. फ्लैट नं. 16डी, तृतीय तल, (डीडीए फ्लैट) पॉकेट – 10बी, जसोला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती हीना ज़रीन खान पत्नी श्री राहात परवेज़ के नाम पर है।
2. औद्योगिक भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. 10, डीएसआईआईडीसी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज
3. Honda City –VXMT पंजी. नं. DL13CC4212
4. Nissan Terrano पंजी. नं. DL1CS6948

दिनांक : 21.08.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 111/2019 के मामले में

इलाहाबाद बैंक — प्रार्थी
बनाम
मै. बीजीएस ऑफिस सॉल्यूशन एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,
डी-1. मै. बीजीएस ऑफिस सॉल्यूशन, प्रॉप. श्री खान चंद मौर्या, पुत्र श्री राम सरूप अरोड़ा, 23/17-137, मटियाला इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तम नगर, नई दिल्ली
डी-2. सुश्री पूनम मौर्या, पत्नी श्री खान चन्द मौर्या, निवासीः सी-13, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली
डी-3. श्री अभिनाश गौअर, फ्लैट नं. 8, सेक्टर-14, पॉकेट-1, द्वारका, दिल्ली-110075
डी-4. श्री विक्रम शर्मा, 19, बसन्त नगर, कुदिया मोहल्ला, वसंत विहार, दिल्ली-110057

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 17.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 13 अगस्त, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

7/16 वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स वेदिका इंटरप्राईजेज़ (प्रोपराईटर संजय महेशवरी को मांग सूचना दिनांकित 13.08.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **30,29,245.63** (रुपये तीस लाख उनतीस हजार दो सौ पैतालीस और पैसे तिरेसठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. **30,29,245.63*** और ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

***रु. 17,17,179.55 (पहले से भुगतान) कम की जाने वाली राशि**

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, आम सीढ़ियां, रास्ता, प्रवेश और अन्य सामान सुविधाऐं, सम्पत्ति नं. 1/2803, क्षेत्रफल 56.22 वर्ग मी., खसरा नं. **2931/2675/109/4** में से, गाँव चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, राम नगर की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, अविभाजित आनुपातिक फ्री होल्ड भूमि के अधिकार के साथ, यह सम्पत्ति इंदू महेशवरी (गारंटर) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – 10फीट चौडी गली

दिनांक : 21.08.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
इन्टरनेशनल ट्रेन्चिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	इन्टरनेशनल ट्रेन्चिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	17.5.2002
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45203DL2002PTC115418
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	301, 309 तीसरा तल, वर्धमान प्लाजा-1, जे ब्लॉक रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	8.8.2019 आदेश की प्रति आईआरपी को 24.8.2019 को उपलब्ध कराई गयी।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	17.7.2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	मोह. नाजिम खान पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-2018/10207
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008 ईमेलः nazim@mnkassociates.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कम्पनी सचिव जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008 ईमेलः nazim@mnkassociates.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	5.9.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ V, नई दिल्ली ने 8.8.2019, आदेश की प्रति 24.8.2019 को आईआरपी को उपलब्ध करायी गयी, को इन्टरनेशनल ट्रैन्चिंग प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा इन्टरनेशनल ट्रैन्चिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं.10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 5.9.2019 को या उससे पूर्व अपने सबूतों के साथ दावे जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने सबूतों के साथ दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- लागू नहीं
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
तिथिः 24 अगस्त, 2019
स्थानः नई दिल्ली
मोह. नाजिम खान
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल

AHLCON PARENTERALS (INDIA) LIMITED
CIN: U24239DL1992PLC047245
Regd Office: Plot No. 30 & 30 E, 2nd Floor, Shivaji Marg, Najafgarh Road Industrial Area, New Delhi - 110015

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Ahlcon Parenterals (India) Limited will be held on Monday, the 16th day of September, 2019 at 3.00 PM at Conference Hall, Plot No. 30 & 30 E, 2nd Floor, Shivaji Marg, Najafgarh Road Industrial Area, New Delhi - 110015 to transact the business as mentioned in the 27th Annual Report of the Company.

The Company has, on 22nd August, 2019 completed the despatch of the notice of 27th AGM, containing audited accounts for the year ended 31st March 2019, the Reports of the Auditors and Directors alongwith report on Corporate Governance to the members whose names appeared in the Register of Members/ Record of Depositories as on 16.08.2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facilities to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice. The Company has availed the e-voting services as provided by NSDL. The e-voting period shall be commences on 13.09.2019 at 9.00 AM. and ended on 15.09.2019 at 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut off date, which is 16.08.2019. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on 16.08.2019.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company i.e. www.ahlconindia.com.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the 27th Annual Report, notice section carefully. Any queries/concern/grievances as connected with voting by electronic means may be addressed to the Company Secretary, Mr. Ranjan Kumar Sahu or e-mail at ranjan.sahu@ahlconindia.com. The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the registered office of the company between 11 A.M. to 1 P.M. on any working day prior to the date of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 and rules made thereon, the entire unpaid /unclaimed Dividend more than seven years has been transferred to the IEPF Authority. All shares in respect of which dividend has not paid or claimed for seven consecutive years or more also processed to transfer to IEPF Authority on their respective dates. The concerned Shareholders are requested to claim their dividend / shares from the IEPF Authority in the prescribed format available in their website.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain be closed from Tuesday, the 10th day of September, 2019, to Monday, the 16th day of September, 2019 *(both days inclusive)* for the purpose of the AGM.

By order of the Board
For AHLCON PARENTERALS (INDIA) LIMITED
Sd/-
Ranjan Kumar Sahu
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: 22.08.2019

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत)
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 20829794 (कुलदीप कुमार कान्त)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की 1. कुलदीप कुमार कान्त, मकान नं. 1 बीडब्ल्यूएच, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 2. संजय कान्त मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 3. मीनाक्षी कान्त मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 4. रूप राज बैंक्वट एंड रेस्ट्रोबार, द्वारा उसके पार्टनर, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, साथ हीः 1 बीडब्ल्यू 196, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 5. विमल कुमार कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 6. सारिका कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 7. ज्योति कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 से 14 मार्च, 2019 को रु. 3,03,94,389.55 की कुल राशि की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर 13 सितम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 14 मार्च, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 3,03,94,389.55/- की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की **7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली**-110055 में उक्त **13 सितम्बर 2019 को 2.00 बजे** अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी** उक्त **12 सितम्बर, 2019 के 5.00 बजे अप.** तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण

8.4.2016 को पंजीकृत, विधिवत पंजीकृत दस्ता. सं. 346, बुक नं. 1 के माध्यम से पंजीकृत कॉन्वीयन्स डीड तिथि 31.3.2016 के अनुसार न्यू टाउनशिप, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित एच. नं.-1बी/196, क्षेत्रफल माप 223 वर्ग यार्ड्स तथा भूमि माप 174 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति सं. 1-बी-196 के समीप, कुल क्षेत्रफल माप 407 वर्ग यार्ड्स। उत्तरः मकान सं. 1-बी/195, दक्षिणः मकान सं. 1-बी/197, पूर्वः रोड तथा खाली प्लॉट, पश्चिमः मकान सं. 1-बी-38

कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिकः सांकेतिक
आरक्षित मूल्य रु.: रु. 4,45,89,274/-
धरोहर राशि रु. रु. 4458927/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज एवं लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रतिभूत ऋण की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। यह बिक्री प्रतिभूत हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.''** के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो 'प्राधिकृत अधिकारी' स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का **निरीक्षण 4 सितम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक** किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः **मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net** से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्य, ई-मेलः Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010757 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://sarfaesi.auctiontiger.net** में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली/ एनसीआर — हस्ता./-
तिथिः 26.8.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office : 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi -110001
Tel.No. 011-23316409, 23310414, **Fax No.** 011-23322473
CIN : L51909DL1933PLC009509
Website- www.sirshadilal.com **E-mail:** udsm_shamli@sirshadilal.com

Notice of Annual General Meeting and E-voting Information

NOTICE is hereby given that the 85th Annual General meeting (AGM) of the members of the Company, Sir Shadi Lal Enterprises Limited will be held on Monday, 23rd September, 2019 at 11.00 A.M. at PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Opposite Asian Games Village, Delhi – 110 016 to transact the business as detailed in the notice of AGM dated 22.07.2019 which has been sent in physical/electronic form as the case may be, to all the members, on or before 28.08.2019.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11th September, 2019 to 23rd September, 2019 (both days inclusive).

Pursuant of Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of business to be transacted at the Annual General Meeting. The members may cast their vote electronically through e-voting from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

(a) The business as stated in the Notice of 85th AGM may be transacted through voting by electronic means;
(b) The remote e-voting shall commence on Friday 20th September, 2019 at 9.00 A.M. (IST) and end on Sunday 22nd September, 2019 at 5.00 P.M. (IST)
(c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is 16th September, 2019.
(d) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rta@alankit.com.
However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. If the members forgot their password, they can reset their password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990
(e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 22nd September, 2019 at 5.00 P.M. (IST)
(f) Members may note that:
(i) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
(ii) Once the vote on a resolution is casted by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
(iii) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not casted their vote by remote e-voting.
(iv) The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
(v) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 16th September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The Annual Report 2018-19 and the Notice of 85th AGM is available on the

प्याज के दाम थोड़े बढ़े, जल्द काबू करेंगे : पासवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को खाद्य, उपभोक्ता, वाणिज्य, कृषि और नेफेड के सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने बाजार में दाल, खाद्य तेल और प्याज की कीमतों की समीक्षा की।

बैठक के बाद पासवान ने बताया कि 2018.19 में दालों की कुल उपलब्धता 317 लाख टन थी, जिसमें से 280 लाख टन की खपत हो चुकी है और अभी हमारे पास 37 लाख टन दाल उपलब्ध है। इसके अलावा इस साल 260 लाख टन दाल के उत्पादन और 10 लाख टन आयात का अनुमान है। वर्तमान वर्ष में सरकार के पास कुल 307 लाख टन दाल उपलब्ध होगी, जिसमें से 290 लाख टन की खपत का अनुमान है। इस प्रकार हमारे पास दाल की कोई कमी नहीं है और आगे भी कोई कमी नहीं होगी। यदि कहीं जमाखोरी होती है तो सरकार इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अरहर दाल का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है।

इसके अलावा खाद्य तेलों की भी कोई कमी नहीं है। 2016.17 में देश में 103 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ था, जबकि मांग 250 लाख टन की थी। 146 लाख टन तेल का आयात किया गया। इस बार भी तेल का उत्पादन 103 लाख टन और मांग 250 लाख टन ही रहने का अनुमान है। खाद्य तेल की कमी को आयात से पूरा किया जाएगा। बाजार में तेल की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले लगभग स्थिर हैं।

नेफेड के पास वर्तमान में 50 हजार टन प्याज का स्टॉक उपलब्ध है। जरूरत के हिसाब से हम इसे खुले बाजार में ला रहे हैं और राज्य सरकारों को भी सूचित किया गया है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से प्याज मंगा सकते हैं। बरसात के मौसम की वजह से परिवहन आदि की समस्या के कारण कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा।

ईपीएफओ शुरू करेगा ई-निरीक्षण प्रणाली

बंगलुरु, 26 अगस्त (भाषा)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ई - निरीक्षण प्रणाली शुरू करेगा। इसका उद्देश्य जांच पड़ताल की प्रक्रिया को सरल बनाना और बिना उचित जरूरत के आमने सामने पूछताछ की प्रक्रिया को कम करना है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनिल बर्थवाल ने यह जानकारी दी।

उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की एक विज्ञप्ति के अनुसार बर्थवाल ने सीआइआइ के एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि ईपीएफओ ने उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत जांच की अधिकतम अवधि दो साल होगी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की गड़बड़ी के चलते कुछ प्रतिशत कर्मचारी यूएएन (12 अंकों वाली सार्वभौमिक खाता संख्या) सृजित नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए ईपीएफओ कर्मचारी डेटाबेस के माध्यम से सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। विज्ञप्ति में बर्थवाल के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ केवाईसी का पालन करने वाले लाभार्थियों के लिए मामलों का निपटान तीन दिन के अंदर करने की दिशा में काम कर रहा है।

इन लाभार्थियों का यूएएन आधार और बैंक खाता से जुड़ा होता है और इनके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) की तर्ज पर सलाहकारों की संस्था बनाने का भी प्रस्ताव है। यह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि चूककर्ताओं को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने और इन मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है।

डिजिटल मीडिया में एफडीआइ नियमों में ढील देने पर जल्द विचार करेगी सरकार

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षि करने के लिए ये एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और डिजिटल मीडिया सहित कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार अन्य जिन क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है उनमें कोयला और अनुबंध पर विनिर्माण शामिल है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही इन मुद्दों को मंजूरी देने के बारे में विचार विमर्श करेगा। मंत्रिमंडल के समक्ष जो प्रस्ताव आ सकता है उनमें ठेके पर विनिर्माण के क्षेत्र में शौ फीसद एफडीआइ को मंजूरी दी जा सकती है। विनिर्माण क्षेत्र की मौजूदा एफडीआइ नीति के तहत इस क्षेत्र में स्वयं मंजूरी के जरिए सौ फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। कोई भी विनिर्माता भारत में विनिर्मित उत्पादों की थोक अथवा खुदरा बिक्री कर सकता है।

इसमें आनलाइन बिक्री भी की जा सकती है। इसके लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नीति में अनुबंध पर विनिर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एफडीआई नीति में इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है इसलिये अनुबंध पर विनिर्माण के बारे में नीति स्पष्ट करने की जरूरत है।

सूत्रों के अनुसार इसी प्रकार सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर गौर करेगी। मौजूदा एफडीआई नीति डिजिटल मीडिया क्षेत्र के मामले में चुप है। प्रिंट मीडिया क्षेत्र में इस समय 26 फीसद एफडीआइ की अनुमति है। इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। इसी प्रकार प्रसारण सामग्री सेवाओं के करोबार में भी 49 फीसद एफडीआइ की अनुमति है। इसके लिए भी पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी।

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआइ के मामले में सरकार विदेशी एकल ब्रांड खुदरा विक्रेता कंपनियों द्वारा 30 फीसद माल की खरीद स्थानीय स्तर पर करने के अनिवार्य नियम में ढील दे सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक एकल ब्रांड खुदरा कंपनियों भी अपनी दुकानें खोलने से पहले ही आनलाइन स्टोर शुरू कर सकतीं हैं। वर्तमान में भौतिक रूप से खुदरा बिक्री दुकानें खोलने के बाद ही एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को आनलाइन बिक्री की अनुमति है।

आम्रपाली मामला : ईडी व पुलिस को दी जाए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट : अदालत

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

उच्चतम अदालत ने घर खरीदारों के 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर में आम्रपाली समूह के निदेशकों और ऑडिटरों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली पुलिस और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) को फॉरेंसिक ऑडिट (लेखा परीक्षा) रिपोर्ट देने का सोमवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक कंपनी एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपए का भुगतान करने को भी कहा है। यह पैसा आम्रपाली समूह की ओर से रजिस्ट्री में जमा कराया गया था। पीठ ने नोएडा , ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को दिए निर्देश में कहा कि वे घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सिर्टिफिकेट) जारी करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ (नोडल सेल) बनाएं।

शीर्ष अदालत ने प्राधिकरणों को आम्रपाली मामले का कामकाज देख रहे कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमणी (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ समन्वय के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। यह अधिकारी उप प्रबंधक स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
सेवाएं विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 5, सैक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

ई-निविदा सूचना

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम जे-1/31, डीएलएफ फेज II, गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित बैंक के स्वामित्व वाली आवासीय सम्पत्ति की बिक्री हेतु संभावित क्रेताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है। बिक्री के नियम एवं शर्तें, नोडल अधिकारी आदि के विवरण सहित समस्त आवश्यक जानकारी हमारी वेबसाइट **www.obcindia.co.in** पर टेंडर लिंक के अंतर्गत तथा साथ में बैंक ई नीलामीकर्ता मै. एंटेरेस सिस्टम्स लि. यूआरएल **http://www.antaressytems.com** की साइट पर भी उपलब्ध है। बोली की अंतिम तिथि **16.09.2019, 13.00 बजे** तक है । सम्पत्ति की बिक्री से संबंधित सभी शुद्धिपत्र, एजेंडा, संशोधन, स्पष्टीकरण, तिथि बढ़ाने आदि संबंधी सूचना बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार है ।

दिनांक : 26.08.2019 **उप महाप्रबंधक (सेवाएं)**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद नई दिल्ली-110020

कॉनकॉर CONCOR

निविदा सूचना (केवल ई-टेण्डरिंग मोड)

आईसीडी / पीएसडब्ल्यूसी, दप्पार, पंजाब में कार्गो हैण्डलिंग के लिए पेशेवर सेवाओं हेतु दो बिड प्रणाली में ऑनलाइन खुली निविदा केवल ई-टेण्डरिंग मोड के माध्यम से। बिड दस्तावेज रु. 1000.00 का ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात ही वेबसाइट **(www.tenderwizard.com/CCIL)** से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	कॉन / एनआर / टीसी / कार्गो हैण्ड. / पीएसडब्ल्यूसी / 2019
कार्य का नाम	आईसीडी/पीएसडब्ल्यूसी, दप्पार में कार्गो हैण्डलिंग के लिए पेशेवर सेवाएं
अनुमानित लागत	रू. 22,84,859 / – प्रति वर्ष
संविदा की अवधि	1 + 1 वर्ष
धरोहर राशि जमा	रू. 45,700 / – ई-भुगतान द्वारा
दस्तावेज का मूल्य *	रू. 1,000 / – सभी करों एवं शुल्कों सहित, ई-भुगतान द्वारा
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क*	रू. 1,348 / – सभी करों एवं शुल्कों सहित (अप्रतिदेय) ई-भुगतान द्वारा
बिक्री (ऑनलाइन) की तिथि	27.08.2019 के 15:00 बजे से 16.09.2019 के (16:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	17.09.2019 को 15:00 बजे तक
खोलने की तिथि एवं समय	18.09.2019 को 15:30 बजे

*ई-भुगतान द्वारा

वित्तीय ग्राह्यता मानदंडों तथा अन्य विवरण हेतु कृपया वेबसाइट **www.concorindia.com** अथवा **eprocure.gov.in** अथवा **www.tenderwizard.com/CCIL** लॉग ऑन करें। ई। बिडर्स से वेबसाइटस नियमित रूप से देखने का अनुरोध किया जाता है। कॉनकॉर का, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

समूह महाप्रबंधक/सी एवं ओ/एनआर

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

TATA POWER-DDL

शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार Aug 27, 2019

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि / बोली जमा कराने की तिथि / बोली खोलने की तिथि
TPDDL/ENGG/ENQ/200001108/19-20 RFx No. 5000001379 RC for Supply, Installation, Testing & Commissioning of 11kv capacitor banks	27.05.2019	03.09.2019 at 1600 Hrs/ 03.09.2019 at 1700 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
website **www.tatapower-ddl.com** → Vendors Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. के प्रस्तावित स्ट्रेटजिक विक्रय तथा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण हेतु वैश्विक स्तर पर आमंत्रित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का **सातवां शुद्धिपत्र**

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) 12 फरवरी 2019 को पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 05 मार्च 2019, 26 मार्च 2019, 24 अप्रैल 2019, 25 मई 2019, 25 जून 2019 और 26 जुलाई 2019 को क्रमशः पहला शुद्धिपत्र, दूसरा शुद्धिपत्र, तीसरा शुद्धिपत्र, चौथा शुद्धिपत्र, पांचवां शुद्धिपत्र और छठा शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

इच्छुक बोलीकर्ता पीआईएम के संबंध में सातवें शुद्धिपत्र को एआईएचएल की वेबसाइट **http://www.aiahl.com/**, एआईएटीएसएल की वेबसाइट **http://www.aiatsl.com** तथा ट्रांजैक्शन सलाहकार की वेबसाइट **http://www.ey.com/in/en/home** से डाउनलोड कर सकते हैं।

"प्रपत्र ए"
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

(टेक्नोपैक एडवायजर्स प्राईवेट लिमिटेड) के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**टेक्नोपैक एडवायजर्स प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28 सितम्बर, 1994
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74140DL1994PTC061818
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	202, सौना अपार्टमेन्ट 3, कौशल्या पार्क, हौजखास, नई दिल्ली-110016
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	21 अगस्त, 2019 (आईआरपी द्वारा 23 अगस्त, 2019 को आदेश प्राप्त की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	17 फरवरी, 2020 अर्थात् दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन।
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत बोर्ड में यथा पंजीकृत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम, पता, ई-मेल पता तथा पंजीकरण सं.	नामः दीपक माहेश्वरी पताः एस-30, 2रा तल, उप्लस साउथ एंड, सोहना रोड, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, ईमेल आईडीः irpdm27@gmail.com cirp.technopak@gmail.com पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00531/2017-2018/11594
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	6 सितम्बर, 2019 (आईआरपी द्वारा नियुक्ति का आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात् 23.8.2019 से 14 दिन)
10.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
11.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
12.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः http://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पताः एनए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 21 **अगस्त, 2019 को टेक्नोपैक एडवायजर्स प्राईवेट लिमिटेड** के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा **टेक्नोपैक एडवायजर्स प्राईवेट लिमिटेड** के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 9 **सितम्बर, 2019 को** या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे/दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

स्थानः दिल्ली **श्री दीपक माहेश्वरी**
तिथिः 27.8.2019 **IBBI/IPA-002/IP-N00531/2017-2018/11594**

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक
मुख्य कार्यालयः मंगलूरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8 बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060,
फोन/फैक्सः 011-25813466, ई-मेलः delhiarm@ktkbank.com, मोः 9319891680

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **कर्णाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **22.4.2019** जारी कर ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारन्टरोंः **(1) मै. एस.के. ट्रेडिंग, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनरों i) श्रीमती कंचन खन्ना, ii) श्री रजत खन्ना, एस-6ए, पांडव नगर, नई दिल्ली-110092, 2) श्रीमती कंचन खन्ना, पत्नी श्री सुनील खन्ना, 3) श्री रजत खन्ना, पुत्र श्री सुनील खन्ना, 4) श्री सुनील कुमार, पुत्र रोहन खन्ना, 5) श्री रोशन लाल खन्ना पुत्र चंडी राम खन्ना, सभी 2,3,4 एवं 5 निवासीः एफ-80, बाली नगर, ब्लॉक एफ, दिल्ली-110095** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ओवरड्राफ्ट खाता नं. 561700010001701 के अंतर्गत रु. 84,43,942.95 (रुपये चौआलिस लाख तैंतालिस हजार नौ सौ बयालिस तथा पैसे पंचानवे मात्र) तथा 01.4.2019 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 21 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.07.2019 से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ ओवरड्राफ्ट खाता सं. 5617000100001701 के अंतर्गत रु. 89,40,631.95 की राशि के लिए कर्णाटका बैंक लिमिटेड, अशोक विहार शाखा, नई दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्तियों का विवरण

श्री रोशन लाल खन्ना के स्वामित्व में ब्लॉक-एस, दक्षिण पाण्डव नगर, ग्राम-समसपुर जागीर, दिल्ली-110092 में स्थित उस पर निर्मित दो मंजिला मकान के साथ खसरा नं. 27/2 में भूमि माप 78 वर्ग यार्ड्स, सं. एस-6 के साथ आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दीः पूर्वः** अन्य सम्पत्ति; **पश्चिमः** 24 फीट चौड़ी सड़क द्वारा सम्पत्ति में प्रवेश, **उत्तरः** सम्पत्ति सं. एस-5, **दक्षिणः** सम्पत्ति सं. एस-6।

स्थानः नई दिल्ली **कृते, मुख्य प्रबंधक एवं**
तिथिः 21.8.2019 **प्राधिकृत अधिकारी, कर्णाटका बैंक लि.**

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
मनीलॉजिस्ट फिनसर्व प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 004, स्फिन्क्स टावर, नाइल अपार्टमेन्ट, सोहना रोड, सेक्टर-49, गुड़गाँव, हरियाणा-122018 में है, के मामले में।
.....आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 17 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या पंजीकृत डाक से भेजें।
फ्लैट नं. 004, स्फिन्क्स टावर, नाइल अपार्टमेन्ट, सोहना रोड, सेक्टर-49, गुड़गाँव, हरियाणा-122018

कृते एवं के लिये,
मनीलॉजिस्ट फिनसर्व प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल वर्मा
निदेशक

तिथिः 26.8.2019
स्थानः नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सी)- एस एंड पी
जल सदनः लाजपत नगरः नई दिल्ली-110024
एन.आई.टी. सं. 12/एस एंड पी/(2019/20)
प्रैस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1.	पप्पनकलां एसटीपी, दिल्ली में वाटर लेक का निर्माण	26408725/-	2019_DJB_178851_1 23.8.2019	18.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/295
हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT
IN TERMS OF REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF
Kaycee Industries Limited
(Corporate Identification Number: L70102MH1942PLC006482)
Registered Office: Old Kamani Chambers, 32-Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001, Maharashtra, India.
Tel. No.: +91-22-22613521; **Fax. No.:** +91-22- 22616106; **Email:** complianceofficer@cms-kaycee.co.in; **Web:** www.kayceeindustries.com
Corporate Office: 70 Lake Road, Bhandup (West) Mumbai 400 078, Maharashtra, India.
Tel. No.: +91-22-41259072, **Fax. No.:** +91-22-41259001.

This advertisement (**"Pre Offer PA"**) is being issued by Systematix Corporate Services Limited (**"Manager to the Offer"**) on behalf of Salzer Electronics Limited (**"Acquirer"**) pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the **"SEBI (SAST) Regulations"**) in respect of the Open Offer (the **"Offer"**) to acquire upto 16,503 fully paid-up equity shares of Rs.100/- each (the **"Equity Shares"**) at a price of **Rs. 3,475/-** per Equity Share, representing **26.00%** of the Equity Share & Voting Capital of Kaycee Industries Limited (the **"Target Company"**). The Detailed Public Statement (**"DPS"**) with respect to the aforementioned Offer was published on May 31, 2019 in the following newspapers:

Sl. No.	Newspapers	Language	Editions
1.	The Financial Express	English	All Editions
2.	Jansatta	Hindi	All Editions
3.	Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition

The terms used but not defined in this Pre offer PA shall have the same meanings assigned to them in the PA, the DPS, Corrigendum and the Letter of Offer (LOF). The Manager to the Offer has received SEBI Observations Letter dated August 08, 2019 (**"SEBI Observations Letter"**) on the DLOF and pursuant to that the Shareholders are requested to note the following in relation to the Open Offer made by the Acquirer vide the PA dated May 24, 2019.

1. Offer Price: The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of the SEBI (SAST) Regulations. The price being offered under this Offer is Rs. 3475/- (Rupees Three Thousand Four Hundred and Seventy-Five only) per Equity Share. The Offer Price shall be paid in "Cash" in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions specified in the PA, the DPS and the LOF. Further, there has been no upward revision of the Offer Price or Offer Size by the Acquirer.
2. The Committee of Independent Directors (**"IDC"**) of the Target Company in their meeting held on August 19, 2019 has recommended that the Offer Price is fair and reasonable as on date of the PA and the same recommendations is published in the above-mentioned newspapers on August 26, 2019.
3. There is no competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations to this Offer and this offer is not a competitive bid.
4. The copies of LOF have been dispatched to the eligible public shareholders of the Target Company through Speed Post / Registered Post/ Email by the Registrar to the Offer on August 20, 2019 who are the registered members of the Target Company as on the Identified Date (i.e. August 13, 2019).
5. Shareholders are required to refer to Para 8 of the LOF (**Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer**) in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.
6. Please note that a copy of the LOF along with 'Form of Acceptance-cum-Acknowledgement' ("FOA") is also available on SEBI website (http://www.sebi.gov.in). Registered / Unregistered Shareholders if they so desire may also apply on the FOA downloaded from the SEBI's website. Further, in case of non-receipt / non-availability of the FOA, the application can be made on plain paper along with the following details:
   6.1. **In case of Equity Shares held in physical form**: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Since the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, the Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.
   6.2. **In case of Equity Shares held in dematerialized form:** An Eligible Shareholder may participate in the Open Offer directly through his/her/it's Selling Broker. No documents are required to be sent to the Registrar to the Offer.
   6.3. Shareholders whose brokers are not registered with BSE are able to tender their Equity Shares through the Buyers' Broker or the Buying Broker subject to compliance with KYC requirements of the Buyer's Broker.
   6.4. The address of the **"Buying Broker"** to the Offer is as following address:
   Systematix Shares & Stocks (India) Limited, A Wing, No. 603-606, 6th Floor, The Capital, Plot C 70, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, India, Tel. No. +91-22- 6704 8000; Fax No. +91-22- 6704 8029; Email: compliance@systematixgroup.in; Contact Person: Mr. Rajkumar Gupta.
7. SEBI vide circulars bearing numbers CIR/CFD/POLICYCELL

जद (एकी) दो राज्यों में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता : आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

चुनाव आयोग ने कहा है कि जनता दल (एकी) झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए 'तीर' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यह दोनों राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) तथा शिवसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चुनाव चिह्न 'धनुष और बाण' से मिलता-जुलता है।

चुनाव आयोग ने इससे पहले जद (एकी) को एक नियम के तहत दोनों राज्यों में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने की छूट दी थी। लेकिन अब यह छूट वापस ले ली गई है क्योंकि झामुमो ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि चुनाव चिह्नों की समानता से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। जद (एकी), झामुमो और शिवसेना क्रमशः बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं।

चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने जद (एकी) को निर्देश दिया है उसे चुनाव चिह्न आदेश के पैरा 10 के तहत झारखंड और महाराष्ट्र में अब से उसके निर्धारित चुनाव चिह्न 'तीर' पर चुनाव लड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। इस साल मार्च में आयोग ने आदेश दिया था कि झामुमो और शिवसेना बिहार में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

कर्नाटक में होंगे तीन उपमुख्यमंत्री

येदियुरप्पा ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया

बंगलुरु, 26 अगस्त (भाषा)

पहली बार कर्नाटक में तीन उपमुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 17 नवनियुक्त मंत्रियों को सोमवार को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। इन मंत्रियों को करीब एक सप्ताह पहले कैबिनेट में शामिल किया गया था।

तीन उपमुख्यमंत्री में गोविंद करजोल को पीडब्ल्यूडी और समाज कल्याण, अश्वत्थ नारायण को उच्च शिक्षा, आइटी और बीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लक्ष्मण सावदी को परिवहन विभाग का प्रभार दिया गया है। रोचक बात यह है कि उपमुख्यमंत्री बनाए गए सावदी न तो विधानसभा के सदस्य हैं न ही विधानपरिषद के। कैबिनेट में उनको शामिल करने के कारण भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों के बीच असंतोष है।

बसवराज बोम्मई को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को बड़े और मध्यम स्तरीय उद्योग का मंत्रालय, दो पूर्व उप मुख्यमंत्री-के एस ईश्वरप्पा और आर अशोक को क्रमशः ग्रामीण विकास और पंचायती राज व राजस्व विभाग का प्रभार दिया गया है। वरिष्ठ नेता बी श्रीरामुलू को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है जबकि एस सुरेश कुमार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यभार दिया गया है। अन्य मंत्रियों में वी सोमन्ना (आवास), सी टी रवि (पर्यटन, कन्नड़ और संस्कृति), बसवराज बोम्मई (गृह), कोटा श्रीनिवार पुजारी (मत्स्य, बंदरगाह और इनलैंड ट्रांसपोर्ट), जे सी मधुस्वामी (कानून, संसदीय मामले और लघु सिंचाई) शामिल हैं। सी सी पाटिल को खान और भूगर्भ, एच नागेश को आबकारी, प्रभु चव्हाण को पशुपालन और शशिकला जोले को महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।

चंद्रयानन ने चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीरें ली

बंगलुरु, 26 अगस्त (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा कि वर्तमान समय में चंद्रमा के चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह की कुछ और तस्वीरें ली हैं जिसमें कई विशाल गड्ढे (क्रेटर) दिखाई दे रहे हैं।

इसरो ने तस्वीरें साझा करते हुए एक बयान में कहा कि चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई हैं वे 'सोमरफेल्ड', 'किर्कवुड', 'जैक्सन', 'माक', 'कोरोलेव', 'मित्रा', 'प्लासकेट', 'रोझदेस्तवेंस्की' और 'हर्माइट' नामक विशाल गड्ढों की हैं। इन विशाल गड्ढों का नाम महान वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों और भौतिक विज्ञानियों के नाम पर रखा गया है। विशाल गड्ढे 'मित्रा' का नाम भारतीय भौतिक विज्ञानी व पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। प्रोफेसर मित्रा को आयनमंडल और रेडियोफिजिक्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है।

रतुल पुरी की ईडी हिरासत कोर्ट ने चार दिन बढ़ाई

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की अवधि चार दिन बढ़ा दी। रतुल पुरी बैंक कर्ज फर्जीवाड़ा से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी से हिरासत में पूछताछ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग को मान लिया।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (मध्य)-I
यूजीआर एवं बीपीएस, रामलीला मैदान के निकट, जे.एल.एन. मार्ग, नई दिल्ली-110002
प्रैस एनआईटी सं. 26 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (मध्य)-I, एसी-21 के अंतर्गत चूड़ीवालान टी-प्वाइंट से वर्षाबुल्ला चौक, चावरी बाजार तक 600 एमएम डाया, डाया एचडीपीई पाइप द्वारा पुराने तथा क्षतिग्रस्त 600 एमएम डाया पेरीफेरल ब्रिक बैरल का विस्थापन।	रु. 4147662.00	23.8.2019 06:55 अप. से निविदा आईडीः 2019_DJB_178835-1	6.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक
2.	ईई (मध्य)-I, एसी-21 के अंतर्गत बुलबुल्ली खाना से लाल दरवाजा, बाजार सीताराम तक पुराने तथा क्षतिग्रस्त 450 एवं 600 एमएम डाया पेरीफेरल सीवर लाइन का विस्थापन।	रु. 46439220.00	23.8.2019 06:55 अप. से निविदा आईडीः 2019_DJB_178835-2	6.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/298

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (मध्य) I

S CHAND AND COMPANY LIMITED

S. CHAND PUBLISHING

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044; **Email:** investors@schandgroup.com; **Website:** www.schandgroup.com; **Phone:** +91 11 49731800; **Fax:** +91 11 49731801; **CIN:** L22219DL1970PLC005400

NOTICE

NOTICE is hereby given that 48th Annual General Meeting (**"AGM"**) of members of S Chand And Company Limited (**"Company"**) will be held on Thursday, September 19, 2019 at 11:30 a.m. at Executive Club Resort, 439, Village Sahaoorpur, Post office Fatehpur Beri, New Delhi-110074 to transact the ordinary and special business as set out in the Notice contained in the 48th Annual Report for the year ended March 31, 2019.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) of the Company. Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all other members who have not registered their email addresses with the Company/Depository Participant(s) at their registered address in the permitted mode. The Notice of AGM is available on the Company's website www.schandgroup.com, on NSDL's website www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of The Companies Act, 2013 (**"the Act"**) read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM through e-voting facility services being provided by National Securities Depository Limited (**"NSDL"**).

All members are informed that:

1. Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, September 15, 2019 (9.00 a.m.) (IST);
2. Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 18, 2019 (5.00 p.m.) (IST);
3. Cut-off Date for determining the eligibility of members for voting through electronic means or at the AGM: September 12, 2019;
4. The e-voting will be disabled beyond 5:00 p.m. (IST) on September 18, 2019;
5. The members may log on to the e-voting website www.evoting.nsdl.com to cast their vote in favour or against the resolution;
6. The members may note that the remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting;
7. The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM;
8. The members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again;
9. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently;
10. A person whose name appear in the register of members or register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting;
11. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 12, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at delhi@linkintime.co.in or investors@schandgroup.com; and
12. In case the members have any queries or issues regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, Email: evoting@nsdl.co.in, Phone No.: 022-24994545. The members may also write to the Company Secretary of the Company at investors@schandgroup.com.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Jagdeep Singh
Company Secretary
Membership No. A15028

Place: New Delhi
Dated: August 26, 2019

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
CIN : L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

The Notice is hereby given that:

1. The 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 25th day of September, 2019 at 10:30 A.M. at Apsara Grand Banquets, A-1/20B, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM;
2. Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2018-19 have been sent to all the members whose name appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as download from NSDL/CDSL for those holding in dematerialised mode as on Friday, 16th August, 2019, either by email to the Email-IDs registered with our Registrar & Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Limited or by post at the address registered with the RTA. The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report has been completed on or before 26th August, 2019;
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the shareholders holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e. Wednesday, 18th September, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("Remote e-Voting"). All the shareholders are informed that:
   - The remote e-Voting shall commence on Sunday, 22nd September, 2019 at 9:30 A.M.;
   - The remote e-Voting shall end on Tuesday, 24th September, 2019 at 5:00 P.M.;
   - The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time.
4. Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019, may obtain the Login-Id and Password by sending a request to the Company/RTA;
5. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM;
6. Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM; and c) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
7. The Notice of AGM is available on the Company's website **www.bharatgroup.co.in** and also on the CDSL's website **www.evotingindia.com**;
8. In case of queries or grievances, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual for members at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call on toll free number at **1800-225-533**. Shareholders may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at **investors.brl@bharatgroup.co.in** or at the Registered Office address mentioned above for the grievances connected with facility for voting by electronic means; and
9. In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 19th September, 2019 to Wednesday, 25th September, 2019 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for the financial year 2018-19.

For **BHARAT RASAYAN LIMITED**
Sd/-
(NIKITA CHADHA)
Company Secretary

New Delhi,
August 26, 2019

फॉर्म-बी
सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 का विनियम 12)
अल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स (गुड़गांव) प्रा. लि. के हितधारकों के ध्यान हेतु

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	अल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स (गुड़गांव) प्रा. लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	27.11.2014
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणी समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-चंडीगढ़
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान नंबर	U74999HR2014PTC053848
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व प्रधान कार्यालय (यदि हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः मकान नं. 18, सेक्टर-21, पंचकूला, (हरियाणा)-134117
6.	दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया की समापन तिथि	31.07.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिसमापन की शुरूआती तिथि	23.08.2019
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत प्रस्ताव पेशेवर का नाम व पंजीकरण संख्या	सुधीर कुमार जैन IBBI/IPA-003/IP-N00131/2017-18/11457
9.	परिसमापक का पता और इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	एससीओ-2935-36, दूसरा तल, सैक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022 इ-मेलः skjaineibl@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पता और इ-मेल	सुधीर कुमार जैन, एससीओ-2935-36, लेवल-2, सैक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022 दावे प्रस्तुत करने के लिए इ-मेलः skjaineibl@gmail.com/ cirp.alchemist@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत/अपडेट करने की अंतिम तिथि	22.09.2019

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विशेष शाखा, चंडीगढ़ ने दिनांक 23.08.2019 को अल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स (गुड़गांव) प्रा. लिमिटेड की कारपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
अल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स (गुड़गांव) प्रा. लिमिटेड के पणधारियों को प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर परिसमापक को 22.09.2019 या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत/अपडेट करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
वित्तीय ऋणधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी ऋणधारक अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

ह./-
सुधीर कुमार जैन,
अल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स (गुड़गांव) प्रा. लिमिटेड का परिसमापक
आइबीबीआइ पंजी. स. IBBI/IPA-003/IP-N00131/2017-18/11457

दिनांकः 26.08.2019
स्थानः चंडीगढ़

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में
तथा
मैसर्स पोल स्क्वार सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-229, जी/एफ, डिफेंस कॉलोनी, पेट्रोल पंप के पीछे, नई दिल्ली-110092, भारत में स्थित है, के विषय में
.....आवेदक

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 29 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उक्त नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।
कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, भारत को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर खुद कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
पंजीकृत कार्यालय का पता : डी-229, जी/एफ, डिफेंस कॉलोनी, पेट्रोल पंप के पीछे, नई दिल्ली-110092, भारत

कृते एवं हिते आवेदक
हस्ता./-
श्रीकांत स्वैन
(निदेशक)
डीआईएन : 03454992

तिथि : 24.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

अंचल तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा (आरओएसएआरबी)
4था तल, राजेन्द्रा भवन,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **बैंक आफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.8.2017 जारी कर ऋणधारक मै. श्री बालाजी बर्तन भंडार एंड होम एप्लिएंसेस (पार्टनर श्री गोपाल मित्तल, पुत्र मोहन लाल मित्तल एवं श्रीमती नीतू मित्तल, पत्नी गोपाल मित्तल) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 29.08.2017 को रु. 27,92,530/- (रुपये सत्ताईस लाख बानवे हजार पांच सौ तीस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर उस पर आगे का ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 29.08.2017 को रु. 27,92,530/- (रुपये सत्ताईस लाख बानवे हजार पांच सौ तीस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर उस पर आगे का ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि, भुगतान की तिथि तक, के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गारन्टर श्री संजय गुप्ता, पुत्र श्री याद राम गुप्ता के नाम में गैरेज (प्राईवेट) नं. ए-79/3, भूतल (बिना छत के अधिकार के), डीएलएफ दिलशाद एक्स्टेंशन-2, ग्राम ब्रहमपुर, लोनी, तहसील एवं जिला साहिबाबाद, गाजियाबाद में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः गैरेज नं. ए-79/2, दक्षिणः प्लॉट नं. ए-80, पूर्वः 60 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः पार्किंग।

तिथिः 22.8.2019, स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

SALASAR EXTERIORS AND CONTOUR LIMITED

Our Company was originally incorporated as Salasar Exteriors And Contour Limited on March 09, 2018 as a Public limited company under the provisions of Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation bearing Registration Number 306212 dated March 09, 2018 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number is U45309MH2018PLC306212. Subsequently, our Company acquired the business of Proprietorship Concern of our Promoter Mr. Shreekishan Joshi viz. M/s. Salasar Exteriors through Business Succession Agreement dated July 12, 2018. Consequently Business of this proprietorship firm was merged into Salasar Exteriors And Contour Limited.

Corporate Identification Number: U45309MH2018PLC306212
Registered Office: A-922/923, Corporate Avenue, Sonawala Road, Near Udyog Nagar Bhuvan, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra - 400063.
Tel: +91 22-67083366 **E-mail:** account@salasarexterior.com; **Website:** www.salasarexterior.com
Contact Person: Ms. Sivamalar Nadar, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY : MR. SHREEKISHAN JOSHI AND MR. VIDEH SHREEKISHAN JOSHI

PUBLIC ISSUE OF 23,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF SALASAR EXTERIORS AND CONTOUR LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 26.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 849.60 LACS/- ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS 26.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 43.20 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 22,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS 10/- EACH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 806.40 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.66 % AND 27.20% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE OPENS ON WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019
CLOSES ON TUESDAY, SEPTEMBER 03, 2019

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS. 36/- EACH I.E. 3.60 TIMES OF THE FACE VALUE.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED AUGUST 21, 2019

Investors are requested to note that in the prospectus, abridged prospectus and application forms, 4,000 equity shares and in multiple thereafter lot size was mentioned as lot size. However, in terms of SEBI Lot size circular dated February 21, 2012 No. CIR/MRD/DSA/06/2012, the Lot size shall be 3,000 Equity shares in accordance with the issue price of Rs. 36 per shares. Therefore, the updated Issue structure is as follows:

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.
INVESTORS SHOULD ALSO NOTE THE FOLLOWING WITH RESPECT TO ISSUE STRUCTURE:

Particulars of the Issue	Net Issue to Public*	Market Maker Reservation Portion
Minimum Application Size	For Other than Retail Individual Investors: Such number of Equity Shares in multiples of 3,000 Equity Shares at an Issue price of Rs. 36 each, such that the Application Value exceeds Rs. 2,00,000/- For Retail Individuals Investors: 3,000 Equity Shares at an Issue price of Rs. 36 each.	1,20,000 Equity Shares of Face Value Rs. 10.00
Maximum Application Size	For Other than Retails Individual Investors: The maximum application size is the Net Issue to public subject to limits the investor has to adhere under the relevant laws and regulations applicable. For Retail Individuals Investors: Such number of Equity Shares in multiples of 3,000 Equity Shares such that the Application Value does not exceed Rs. 2,00,000/-.	1,20,000 Equity Shares of Face Value Rs. 10.00
Trading Lot	3,000 Equity Shares	3,000 Equity Shares, However the Market Makers may accept odd lots if any in the market as required under the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated August 21, 2019.

For Salasar Exteriors And Contour Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Shreekishan Joshi
Managing Director

Date: 26.08.2019
Place: Mumbai

Salasar Exteriors And Contour Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.navigantcorp.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com/emerge, and website of the Issuer Company at www.salasarexterior.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Prospectus, which has been filed with ROC.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Sunjest Comm.

FIEM INDUSTRIES LIMITED
Light Up The World
Regd. Office: D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA) **Tel.:** +91-11-25927820, 25927919
Fax: +91-11-2592 7740 **E-mail :** investor@fiemindustres.com
Website: www.fiemindustries.com **CIN :** L36999DL1989PLC034928

NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS
(For transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund Authority)

This Notice is published pursuant to the provisions of the Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amended Rules, 2017 (the Rules) read with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act).

Pursuant to Section 124(6) of the Act read with Rule 6 of the Rules, all shares in respect of which dividends have remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years as provided under Section 124(5) of the Act, are required to be transferred by the Company to IEPF Authority.

A list of such shareholders who have not claimed their dividends for the last seven consecutive years i.e. from financial year 2011-12 to 2017-18 and whose shares are therefore liable for transfer to IEPF Authority has been posted on the website of the company at www.fiemindustries.com, along with their respective folio numbers/ DP ID, Client ID details. Shareholders are requested to refer the website to verify the details of unencashed dividends and shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In this regard, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders at their last known addresses available with the Company/DP.

The Shareholders, whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may kindly note that as per the Rules: -

- **In case of Equity Shares held in physical form:** The procedure for transmission of equity shares will be followed and shares will be transferred in favour of the IEPF Authority. The original share certificate(s) registered in the shareholder's name will stand automatically cancelled and deemed non-negotiable.
- **In case of Equity Shares held in Demat form:** The concerned depository will give effect to the transfer of the equity shares liable to be transferred in favour of the IEPF Authority by way of corporate action.

The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall deemed to be adequate notice by the Company for the purpose of transfer of physical shares (by way of following the procedure for transmission of equity shares) to the IEPF Authority pursuant to the Rules.

Notice is hereby given that in absence of receipt of a valid request form along with necessary documents from the shareholders on or before September 25, 2019, the Company shall with a view to comply with the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date as per the procedure stipulated in the Rules without any further notice to the Shareholders.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the Rules. Please also note that all subsequent corporate benefits accruing on such shares, shall also be credited in favour of the IEPF Authority. The concerned shareholders may note that upon such transfer, they can claim their said shares along with dividend(s) by making an application in Form IEPF-5 to the IEPF Authority as prescribed under the Rules and the same is available at the IEPF website www.iepf.gov.in.

For any clarification in this regard, the Shareholders may write to the Company at email and address given above or Registrar & Share Transfer agent viz., Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4941100

For Fiem Industries Ltd.
Sd/-
Arvind K. Chauhan
**Company Secretary

SRM ENERGY LIMITED

CIN L17100DL1985PLC303047
Regd. Office: 21 Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Tel. No. 011-41403205 | Website: www.srmenergy.in | Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Notice is hereby given that the original Transfer deed along with Share Certificate executed between Transferor(s) & Transferee had not been lodged by the Transferee to the company within the period prescribed under the relevant section of the companies Act, 2013 to effect the transfer of shares in his/her name the details are hereunder:

Sr. No	Folio No.	Name & Address of Transferor(s)	Name & Address of Transferee	Certificate No.	Distinctive No's From	Distinctive No's From	No. of Shares
1	R0001593	RESHMA G AWTRAMANI K 51/502 YOGI NAGAR BORIVALI (W) BOMBAY-400092	MANISH SHAH 4 HEMNIWAS KILACHAND ROAD OPP SHANKAR LANE KANDIVALI WEST MUMBAI-400067	8899 8900	889171 889271	889270 889370	100 100
2	M0001298	MS NAGAMANI MAHA NANDI NILAYA PETE PERIYAPATNA (KARNATAKA)-571107	INDRA KUMAR BAGRI BL-12 SECTOR 2 SALT LAKE KOLKATA -700091	20857 21180 24170	2084901 2117201 2416201	2085000 2117300 2416300	100 100 100

Any person(s) who has/have any claim/objection in respect of these shares should write to the company secretary at the address mentioned above within 30 days from the date of publication of this notice falling which the company will proceed to issue certificate in favor of Transferee who have claimed to purchase the said shares and holding the original shares certificate.

For SRM Energy Limited
sd/-
Suvindra Kumar
Company Secretary
ACS: 22747

Place: New Delhi
Date : August 26, 2019

मेटाफोर एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

CIN: U93000DL2001PTC109997
परिसमापक: सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया
परिसमापक का पता: 402, चतुर्थ तल, ओके प्लस, डीपी मेट्रो, पिलर नं. 94 के सामने, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर-302019, राजस्थान
सम्पर्क: 9352132134, ई-मेल: metaphorliq@gmail.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

(दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अधीन सम्पत्तियों की बिक्री

सामान्यजन को नोटिस दिया जाता है कि मेटाफोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड(परिसमापक में) जो परिमापन परिसम्पदा का हिस्सा है, की बिक्री ई-नीलामी फ्लेटफॉर्म के माध्यम से वेबपोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर दिनांक 11.09.2019 को बेचा जायेगा

नीलामी की दिनांक व समय	11 सितम्बर, 2019 प्रातः 11.30 बजे से दोपहर12.30 बजे के मध्य
धरोहर राशि जमा कराने की अन्तिम दिनांक	09 सितम्बर, 2019 को सायं 4.00 बजे तक या उससे पूर्व
निरीक्षण की दिनांक व समय	दिनाक 05.09.2019 को प्रातः 10.00 से 4.00 बजे तक, एवं अन्य किसी उपयुक्त दिनांक को परिसमापक श्री सत्येन्द्र खोरानियां(9352132134) से समय निर्धारित कर।

मद संख्या	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
1.	Stitching, swing machineries with other Plants and Machineries along with available stock including Raw Material of fabric, semi finished fabric & other of cloths, and scrap of Iron and cloths & other assets including furniture, fixtures, office equipments which is not erected into the Land & Building.	56,31,600	5,63,160

1. इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 09.09.2019 को सायं 4.00 बजे तक डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि (असफल बोलीदाताओं के लिए वापसी योग्य) खाता ''मेटाफोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड'' परिसमापक, जिसका खाता संख्या नं. 4613744269, कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा : न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर आईएफएससी कोड-KKBK0003544.के पक्ष में देय होगी।
2. ई-नीलामी बोली फार्म, घोषणा पत्र, ई-नीलामी बिक्री के नियम व शर्तें वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है, ई-नीलामी से सम्बन्धित किसी अन्य जानकारी हेतु श्री विजय शेट्टी मो. : 9619120214 एवं श्री तिलक मराठा मो. : 6351896832, ई-मेल Vijay.Shetty@auctiontiger.net or Tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।
3. नीलामी में उपलब्ध परिसम्पत्तियों को हटाने की लागत नीलामी क्रेता द्वारा वहन की जाएगी और सफल बोलीदाता भी लागू करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, प्रचलित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगें। और किसी भी बोलीदाता को भूमि एवं भवन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाती है और परिसम्पत्तियों को हटाने के दौरान कोई नुकसान/हानि होती है तो इसकी भरपाई सफल बोलीदाता द्वारा की जाएगी एवं नुकसान की मात्रा परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाएगी और इस संबंध में परिसमापक का निर्णय नीलामी क्रेता पर अंतिम व बाध्यकारी होगा।
4. ई-नीलामी ''जहाँ है जैसी है'' ''जो है जैसी है'' तथा ''वहां जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर की जा रही है। ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता को सम्पत्ति की स्थिति, स्वरूप, क्वालिटी, परिमाप व मात्रा हेतु स्वयं को संतुष्ट करना होगा।
5. किसी भी स्थिति में ईएमडी/बिक्री की राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और यदि नीलामी क्रेता किसी भी स्तर पर शेष राशि जमा कराने में विफल हो जाता है तो परिसमापक को पहले से जमा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।
6. सफलतम बोलीदाता 25% राशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) 24 घण्टें के भीतर जमा करनी होगी और सफल बोलीदाता को दिवाला व दिवालिया पन संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत क्र.सं. 1 के अनुसार भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के तहत शेष 75% राशि जमा करानी होगी।
7. परिसमापक को किसी भी स्तर पर नीलामी को रद्द करने,नीलामी के समय को बढ़ाने आदि का पूर्ण अधिकार होगा और ई-नीलामी/अन्य नीलामी दस्तावेजों के विवरण नियम व शर्तों को आवश्यकतानुसार ई-मेल metaphorliq@gmail.com के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
8. किसी भी विवाद के मामले में ई-नीलामी बिक्री नोटिस का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया
मेटाफोर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक
पंजी. नं.: IBBI/IPA-002/IP-N00002/2016-2017/10002

दिनांक: 26.08.2019
स्थान: जयपुर

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN:L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्या.: स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर 3, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003
वेबसाइट : www.nationalfertilizers.com, ईमेल आईडी : investor@nfl.co.in
दूरभाष : 011-24360066, 24361252, फैक्स: 011-24361553

45 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

1. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, सूचना में दी गई कार्यवाही के कार्यान्वयन के लिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बुधवार, 18 सितंबर, 2019** को **दोपहर 2.30 बजे**, जोसेफ स्टीन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर आयोजित की जाएगी। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट सहित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 45 वीं एजीएम की सूचना कंपनी के सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण **24 अगस्त, 2019** को पूरा हो गया है। सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** और साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

2. बुक क्लोज़र

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी के विनियम, 2018 के नियम 42 (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के तहत भी एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य और लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स **12.09.2019 से 18.09.2019** (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

3. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान

(क) समय समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी के विनियम, 2015 के नियम 44 (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करती है, जो उन्हें एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांक 02.08.2019 में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख 11.09.2019 है।

(ख) रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **रविवार 15 सितंबर, 2019** को **सुबह 9 बजे (भामास)** से शुरू होकर **मंगलवार 17 सितंबर, 2019** को **शाम 5 बजे (भामास)** समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

(ग) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक, यानी **11 सितंबर, 2019** तक, दर्ज किया गया है, केवल वही दूरस्थ ई–वोटिंग या बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(घ) एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन कट–ऑफ तिथि पर या उससे पहले, कंपनी का सदस्य बनने वाला कोई भी व्यक्ति **evoting@nsdl.co.in** या **info@masserv.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

(ङ) कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन वह फिर से अपना मतदान करने का हकदार नहीं होगा। सदस्य ध्यान दें कि मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

4. संवीक्षक

निदेशक मंडल ने मतदान/रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नं. 5910), को संवीक्षक नियुक्त किया है।

5. प्रतिनिधि

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य स्वयं मतदान में भाग लेने और मतदान करने के बजाय प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दस्तावेज बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए, यानी **सोमवार, 16 सितंबर, 2019** को **दोपहर 2.30 बजे** तक।

6. संपर्क सूत्र

(क) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। किसी भी प्रश्न/चिंता/शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से ई–मेल **evoting@nsdl.co.in / amitv@nsdl.co.in** पर या टोल फ्री नंबर पर : 1800–222–990/ टेलीफोन नंबर 22–24994360 या श्री शारवान मंगला, महाप्रबंधक, मे. एमएएस सर्विस लिमिटेड (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) से ईमेल **sm@masserv.com** या टेलीफोन नं. 011–26387281/82/83 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

(ख) एजीएम में आवश्यक कार्यवाही के मामलों से संबंधित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक से पहले निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 10.30 बजे से 3.30 बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे।

7. अदावी लाभांश

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अक्टूबर, 2019 में वित्तीय वर्ष 2011–12 के डिविडेंड से संबंधित अदत्त/अदावी राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करेगी। जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2011–12 और उसके बाद के अपने लाभांश को नगदीकृत नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस राशि का दावा करने के लिए मे. एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण–II, नई दिल्ली–110 020 से संपर्क करें।

8. अंशों का आईईपीएफ में हस्तांतरण

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा–परीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016, संसोधित ("आईईपीएफ नियम") के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी अंशों को, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों तक अदत्त/अदावी रहा है, कंपनी द्वारा आईईआईएफएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में, कंपनी ने उन अंशधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है जिनके अंश आईईपीएफ को हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने ऐसे अंशधारकों का विवरण अपनी वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** पर भी, "निवेशक डेस्क" के तहत, अपलोड किया है।

9. गो–ग्रीन पहल

पर्यावरणीय पहल का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जो अपना ई–मेल पता अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक के लिए) से या मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड/कंपनी (कागजी प्रतियों के लिए) से संपर्क करें।

कृते **नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड**
हस्ताक्षरित/–
(राज कुमार)
कंपनी सचिव
ए-11914

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.08.2019

अनुसूची–II
प्रपत्र–बी
सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)
डाईनैमिक सैल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**डाईनैमिक सैल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	27 अप्रैल 2007
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कार्पोरेट मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज दिल्ली और हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायबिलिटी पहचान संख्या	U25209DL2007PTC162691
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** आर–122, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048 **प्रधान कार्यालयः** एच–17, दूसरा तल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048 **कारखानाः** प्लॉट नं. 350, सैक्टर–3, फेस–II, इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, बावल, हरियाणा –123501
6.	इंशोलवैंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	23.08.2019 (माननीय एनसीएलटी के आदेश द्वारा 23.08.2019)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की अनुमानित तिथि	23.08.2019 (दिनांक 24.08.2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इंशोलवैंसी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	**अशोक कुमार गुप्ता पंजीकरण संख्याः** IBBI/IPA-003/IP-N00010/2016-17/10072
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल	ईमेलः cmaashokgupt@gmail.com **पंजीकृत पताः** एलडी–46, पीतमपूरा, दिल्ली–110034
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	**पताः** 304, डी.आर. चैम्बर्स, 12/56, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110034 **फोन– 011–45660808** **ईमेल**–liquidator.dynamicshells@gmail.com
11.	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	**22.09.2019** (दिनांक 23.08.2019 को माननीय एनसीएलटी के परिसमापन के आदेश से 30 दिन पहले)

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (प्रिंसीपल बैंच, दिल्ली) ने दिनांक 23.08.2019 को **डाईनैमिक सैल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड** के परिसमापन को शुरू करने का आदेश दिया है। (संहिता की धारा 33 के तहत परिसमापन के आदेश पारित करने की तारीख)

डाईनैमिक सैल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 22.09.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय लेनदार केवल इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी हितधारक प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अन्यथा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
तिथिः 26.08.2019
अशोक कुमार गुप्ता
स्थानः नई दिल्ली
(डाईनैमिक सैल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक)

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**परिवर्तन बिल्डटैक प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14/11/2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45204DL2013PTC260321
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय :** प्लॉट नंबर 96, एस / फ्लोर, केएच नं. 13/4, गांव– पोचनपुर, साई एन्क्लेव, सेक्टर –23, द्वारका नई दिल्ली–110077 **कॉर्पोरेट ऑफिस** : प्लॉट नंबर 902, सेक्टर 51, गुरुग्राम, हरियाणा 122002
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	14/05/2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	27/08/2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	insolvencyandbankruptcy.in (यह संकल्प पेशेवर के आईपीई की वेबसाइट है)
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड :	insolvencyandbankruptcy.in (यह आरपी के आईपीई की वेबसाइट है)
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	11/09/2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	21/09/2019
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26/09/2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06/10/2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	26/09/2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	रिजॉल्यूशन पेशेवर केवाईसी के सत्यापन के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिजॉल्यूशन प्लान / मूल्यांकन मैट्रिक्स / सूचना ज्ञापन के लिए अनुरोध, निवेश करने की क्षमता, प्रबंधन की क्षमता और आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के तहत पात्रता और पूर्व–योग्यता मानदंड साझा करेगा, यदि कोई अनुमोदित हो (सीओसी)
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26/10/2019
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा क्रमांक 21 में उल्लिखित ईमेल आईडी पर
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	जैसे ही समिति के सदस्यों (सीओसी) द्वारा अनुमोदित किया जायेगा
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**श्रीमति दीपिका बी. प्रसाद** **आईपी पंजीकृत सख्यां** : IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**श्रीमति दीपिका बी. प्रसाद** 202, सम्राट अशोक एन्क्लेव, सेक्टर –18 ए, प्लॉट नंबर 6, द्वारका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110075 **ई–मेल आईडी**: deepika.bhugra@gmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**श्रीमति दीपिका बी. प्रसाद** पताः ई –10 ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश – 1, नई दिल्ली – 110048 **ई–मेल आईडी** : parivartan@aaainsolvency.com, deepika.bhugra@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	insolvencyandbankruptcy.in (यह आरपी के आईपीई की वेबसाइट है)
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	**27/08/2019**

दीपिका बी. प्रसाद
एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
संकल्प पेशेवर
परिवर्तन बिल्डटैक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186
ईमले आईडी: deepika.bhugra@aaainsolvency.com, parivartan@aaainsolvency.com
तिथि : 26.08.2019 **संपर्क विवरणः** ई– 10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश – 1, नई दिल्ली –110048
स्थान : नई दिल्ली **संपर्क नंबरः** 011–46664600

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

उमंग रियलटैक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**उमंग रियलटैक प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08/05/2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2007PTC163070
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः** डी –64, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली –110024
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	22 अगस्त, 2019 (24 अगस्त, 2019 को एनसीएलटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया आदेश)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	18/02/2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**मनीष कुमार गुप्ता** **आईपी पंजीकृत सं.:** IBBI/IPA-001/IP P00225/2017-2018/10424
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	**पताः** 404, चौथी मंजिल, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक सेन्टर, विकास मार्ग, दिल्ली –92 **ई–मेलः** manishvivek@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	**पताः** 404, चौथी मंजिल, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक सेन्टर, विकास मार्ग, दिल्ली –92 **ई–मेलः** mail.insolvencyteam@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07 सितम्बर 2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत आबंटी – श्रेणी – I अन्य –श्रेणी – II
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. श्री संजीव गुप्ता–श्रेणी – I 2. सुश्री प्रीति जैसवाल – श्रेणी – I 3. श्री विनीत गुप्ता – श्रेणी – I 4. सुश्री निशा मालपाणी – श्रेणी – II 5. श्री अनिल कुमार जैन – श्रेणी – II 6. श्री सपन मोहन गर्ग – श्रेणी – II
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण: **1. श्री संजीव गुप्ता** **ईमेलः** fcasanjeev@gmail.com **पताः** 307, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–92 IBBI/IPA-001/IP P01575/2018-2019/12408 **2. सुश्री प्रीति जैसवाल** **ईमेलः** capreetigoyal@gmail.com **पताः** ए 3/312, मिलन विहार अपार्टमेंट, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली 110092 IBBI/IPA-001/IP P00523/2017-2018/10948 **3. श्री विनीत गुप्ता** **ईमेलः** vineetsinghalco@hotmail.com **पताः** 408, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–92 IBBI/IPA-001/IP P00610/2017-2018/11377 **4. सुश्री निशा मालपाणी** **ईमेलः** nisha.malpani@outlook.com **पताः** डी–190, रोजवुड सिटी, रोजवुड विला, सेक्टर –50, गुड़गांव, हरियाणा –122018 IBBI/IPA-001/IP-P00058/2017-2018/10136 **5. श्री अनिल कुमार जैन** **ईमेलः** anilj@yahoo.com **पताः** फ्लैट नंबर 255 बी, द्वितीय तल ब्लॉक ए –1, केंद्रीय विद्यालय के पास, लॉरेंस रोड, केशव पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली का एनसीटी, 110035 IBBI/IPA-001/IP-P00735/2017-2018/11233 **6. श्री सपन मोहन गर्ग** **ईमेलः** sapan10@yahoo.com **पताः** सी–585, बेसमेंट, #94, नई दिल्ली –24 IBBI/IPA-002/IP-N00315/2017-2018/10903

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **22 अगस्त, 2019** को **उमंग रियलटैक प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। **उमंग रियलटैक प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **07, सितम्बर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिध

खबर कोना

मोदी की सेनेगल के राष्ट्रपति से बातचीत

बिआरित्ज, 26 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल के साथ यहां व्यापक बातचीत की और दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत की। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के इस शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी ने सॉल से मुलाकात की और अफ्रीका के अहम सहयोगी के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल के साथ जी-7 बियारेत्ज शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की।' उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी व आतंकवाद के खिलाफ और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

इंडोनेशिया ने नई राजधानी बोर्नियो को चुना

जकार्ता, 26 अगस्त (एएफपी)।

इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी के लिए वनाच्छादित बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर को चुना है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को कहा कि देश अपने राजनीतिक केंद्र को भीड़ भाड़ वाले महानगर जकार्ता से दूर ले जाने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय शहरों बालिकपापन व समरींदा के निकट है जो दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपसमूह के भौगोलिक केंद्र में स्थित है।

श्रीलंका के सेना प्रमुख का आरोपों से इनकार

कोलंबो, 26 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका की सेना के नवनियुक्त प्रमुख ने लिट्टे के साथ गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से इनकार किया है और सेना के अभियान को मानवीय अभियान करार दिया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने पिछले हफ्ते लेफ्टिनेंट जनरल शावेन्द्र सिल्वा को सेना का नया कमांडर नामित किया है जिस पर अमेरिका और अल्पसंख्यक तमिलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक पर भारत की कोशिशों का जिक्र किया मोदी ने

बियारेत्ज (फ्रांस), 26 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां जी-7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में सतत भविष्य के लिए एक बार इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्लास्टिक को खत्म करने, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा के दोहन और पेड़-पौधे व जीव जंतुओं के संरक्षण की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों का जिक्र किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के विशेष अनुरोध पर मोदी फ्रांस के समुद्र तटीय शहर बियारेत्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैवविविधता, सागर, जलवायु पर जी-7 बियारेत्ज शिखर सम्मेलन के समर्पित सत्र में शरीक हुए। उन्होंने घटती जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन, जल संकट व समुद्री प्रदूषण की समस्या के हल की दिशा में भारत के योगदान का जिक्र किया।'

मोदी ने पिछले हफ्ते पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को संबोधन में कहा था कि भारत 2030 के लिए लक्षित 'कान्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज' (सीओपी) 21 जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में अधिकांश को अगले डेढ़ बरसों में हासिल कर लेगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का 2016 में अनुमोदन किया था और इस समझौते में शामिल होने वाला वह 62वां राष्ट्र बन गया।

ईरान पर ट्रंप के सुर बदले

जी-7 शिखर सम्मेलन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

जी-7 की बैठक में ईरान को लेकर फ्रांस, ब्रिटेन और भारत ने अमेरिका पर राजनयिक दबाव बनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पहल पर जी-7 की बैठक में ईरानी विदेश मंत्री के पहुंचने के बाद ब्रिटेन और भारत ने उनके पहुंचने को लेकर उम्मीद जताई कि इससे अमेरिका के साथ तनाव कम होगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदला।

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे जी-7 शिखर सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के आने पर सहमत थे और वे तेहरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं। दरअसल, मैक्रों की पहल पर जरीफ रविवार को वहां बिना किसी तय कार्यक्रम के पहुंचे। जरीफ ने फ्रांस और अन्य यूरोपीय राजनयिकों से भी मुलाकात की। हालांकि, ट्रंप नहीं मिले। ट्रंप ने कहा कि वे जरीफ से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके लिए ऐसा करना

मैक्रों की पहल पर फ्रांस पहुंचे जरीफ की यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद तनाव घटने की उम्मीद

जल्दबाजी होगा। ट्रंप ने कहा, 'वह (मैक्रों) जो भी कर रहे थे, उस बारे में मुझे पता था और वे जो भी कर रहे थे, उसे मैंने मंजूरी दी थी।' उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मेरी मंजूरी मांगी थी। हालांकि, जब मैक्रों ने जरीफ को बुलाने की पहल की थी, तब ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और उन्होंने ईरान मुद्दे पर मिश्रित संकेतों को लेकर मैक्रों पर हमला बोला था।

इससे पहले जुलाई के अंत में अमेरिकी प्रशासन ने जरीफ पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ट्रंप ने तेहरान पर उसके विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिकतम दबाव की नीति अपना रखी है। उन्होंने ईरान पर ऐसे कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिन्हें पश्चिम एशिया में संघर्ष के जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति 2015 के उस महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते से अलग हो गए थे जिसके तहत व्यापार, निवेश और प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित किया गया था। कुछ विशेषज्ञों ने भी मैक्रों के मध्यस्थता के प्रयासों के प्रति आशावाद को लेकर आगाह किया।

हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन, 12 साल का बच्चा सहित 36 गिरफ्तार

हांगकांग, 26 अगस्त (एपी)।

हांगकांग में प्रदर्शनकारियों की ओर से रविवार रात अधिकारियों पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमले किए जाने के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद 12 वर्षीय बच्चे सहित 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों का दायरा हाल ही में तब और व्यापक हो गया जब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के जरिये बेजिंग समर्थक सरकार को इसमें निशाना बनाया जाने लगा।

प्रदर्शनकारी पिछले तीन महीनों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और इस दौरान कई बार उनके प्रदर्शन ने हिंसक रुख भी अख्तियार किया। सुएन वान जिले में निकटवर्ती खेल स्टेडियम में रविवार को प्रदर्शनकारियों की रैली हुई। बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वहीं कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों के समूह ने पुलिस को रोकने के लिए सड़क पर अस्थायी अवरोधक लगा दिए। रैली के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए चेतावनी के तौर पर पहले झंडे दिखाए और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े।

साथ ही पुलिस ने सड़कों पर पानी की बौछार करने वाले वाहन भी दौड़ाए। इस दौरान संकेतों के जरिये प्रदर्शनकारियों को यह चेतावनी दी गई कि अगर वे नहीं हटेंगे तो जेट विमानों की तैनाती की जाएगी। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प हुई। टीवी फुटेज में दिखाया गया कि पानी की धार छोड़ी गई। लेकिन यह शायद चेतावनी या परीक्षण के लिए था क्योंकि पानी की धार प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंची।

लाठियां और लोहे की छड़ें लिए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अधिकारियों को सड़कों पर दौड़ाया जिसके बाद अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए हाथों में शील्ड (बचाव कवच) ले लीं। पुलिस ने बताया कि एक अधिकारी जमीन पर गिर पड़ा। प्रदर्शनकारियों से घिरने के बाद उसने अपनी पिस्तौलें निकाल लीं और चेतावनी स्वरूप गोली चलाई। पुलिस ने बताया कि गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने, आक्रामक हथियार रखने और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के मामले में उन्होंने 12 वर्षीय बच्चे सहित 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की स्थिति में सिर्फ निगरानी कैमरों और कई नोजलों से युक्त वाहनों का इस्तेमाल किया गया।

आग से प्रभावित अमेजन वर्षा वन को जी-7 से 2.2 करोड़ डालर की मदद

बियारेत्ज (फ्रांस), 26 अगस्त (एएफपी)।

विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह 'जी-7' दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन में लगी भीषण आग से निपटने के लिए 2.2 करोड़ डालर खर्च करने को सहमत हुआ है। मुख्य रूप से इस रकम का उपयोग आग बुझाने के लिए विमानों को भेजने में किया जाएगा। इस समूह के सदस्य देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और चिली के सेबेस्टियन पिनेरा ने शिखर सम्मेलन में कहा कि समूह के देश एक मध्य अवधि के पुनः वनरोपण योजना को सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जिसका शुभारंभ सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में किया जाएगा। ब्राजील को किसी भी पुनः वनरोपण योजना के लिए तैयार होना होगा क्योंकि अमेजन वर्षावन में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। यहां के रिजार्ट में जी-7 नेताओं के पर्यावरण पर चर्चा करने के बाद इस पहल की घोषणा की गई।

मैक्रों ने अमेजन क्षेत्र की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय संकट करार दिया है और उन्होंने इसे शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने यह धमकी दी कि यदि ब्राजील के राष्ट्रपति जे बोलसोनारो पेड़ों की कटाई और खनन से अमेजन को संरक्षित करने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाते हैं तो वह यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापारिक समझौते में अड़ंगा लगा देंगे। मैक्रों ने सोमवार को कहा, 'हमें आज जल रहे अमेजन वर्षा वन पर कोई प्रतिक्रिया करनी होगी।'

इससे पहले, शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को कहा था कि दुनिया भर के नेता जंगल (अमेजन वर्षा वन) में लगी आग से प्रभावित देशों की यथाशीघ्र मदद के लिए सहमत हुए हैं। अमेजन का करीब 60 फीसदी हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। इस वर्षा वन का एक बड़ा हिस्सा बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुएया, गुएना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में भी पड़ता है।

काठमांडो-सिलीगुड़ी बस सेवा शुरू

काठमांडो, 26 अगस्त (भाषा)।

भारत और नेपाल के बीच सोमवार को 'काठमांडो-सिलीगुड़ी बस सेवा' की शुरुआत हुई जो दोनों देशों के बीच 10वीं बस सेवा है। काठमांडो के बाहरी इलाके में सोमवार को कार्यक्रम के दौरान काठमांडो-सिलीगुड़ी बस सेवा की शुरुआत की गई।परिवहन प्रबंधन मंत्री रघुबीर महासेठ और नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से इस बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। बस संचालकों के अनुसार काठमांडो-काकरभित्ता-सिलीगुड़ी बस सेवा दैनिक आधार पर चला करेगी। शुरू में भारत इस बस का परिचालन करेगा।

जलवायु पर चर्चा के दौरान ट्रंप की कुर्सी खाली रही

बियारेत्ज (फ्रांस), 26 अगस्त। जी-7 शिखर सम्मेलन में यहां जलवायु के मुद्दे पर हुई चर्चा में एक कुर्सी खाली पड़ी रही। दरअसल, अन्य वैश्विक नेताओं के साथ चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। हालांकि, वैश्विक शक्तियों ने आग प्रभावित अमेजन वर्षा वन को मदद पहुंचाने के तौर तरीकों और कार्बन उत्सर्जन घटाने पर चर्चा की। 'जलवायु, जैव विविधता और सागर' पर सोमवार के सत्र में ट्रंप के हिस्सा लेने का कार्यक्रम था। लेकिन संवाददाताओं को जितनी देर इस चर्चा को देखने की इजाजत दी गई, तब तक उनकी कुर्सी खाली पड़ी रही। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर थोड़े संशयवादी हैं। उन्होंने कभी दावा किया था कि यह (मुद्दा) फर्जी है, जो चीनियों की उपज है। वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का उनके फैसले ने कार्बन उत्सर्जन घटाने की वैश्विक कोशिशों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। (एपी)

कश्मीर पर पोस्ट, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ट्विटर ने दिया नोटिस

इस्लामाबाद, 26 अगस्त (भाषा)।

कश्मीर की स्थिति पर ट्वीट करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को ट्विटर ने नोटिस भेजा है। मानवाधिकार मंत्री शिरीन मंजरी ने राष्ट्रपति अल्वी को ट्विटर के अधिकारियों से प्राप्त मेल का स्क्रीन शॉट पोस्ट किया है और कहा कि नोटिस सही नहीं है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है।राष्ट्रपति अल्वी ने वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होता दिख रहा है। संचार मंत्री मुराद सईद ने रविवार को कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट से उन्हें भी नोटिस मिला है कि उनके ट्वीट से भारतीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पिछले हफ्ते कहा था कि अधिकारियों ने ट्विटर और फेसबुक के समक्ष मामले को उठाते हुए आरोप लगाया कि कश्मीर के समर्थन में पोस्ट के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कश्मीर के समर्थन में पोस्ट करने के लिए पाकिस्तानी अकाउंट को बंद करने का मामला पाकिस्तानी अधिकारियों ने ट्विटर और फेसबुक के समक्ष उठाया है।'

कोबाड गांधी को गिरफ्तार किया गुजरात पुलिस ने

सूरत, 26 अगस्त (भाषा)।

माओवादी नेता कोबाड गांधी को सूरत पुलिस ने राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नौ साल पुराने इस मामले में यहां लाया गया था।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दक्षिण गुजरात में नक्सल गतिविधियों को फैलाने के आरोप में गांधी और 24 अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के कथित सदस्य गांधी को झारखंड के हज़ारीबाग जेल से स्थानांतरण वारंट पर यहां लगाया गया था। पुलिस उपाधीक्षक सी एम जडेजा ने बताया, 'हमने गांधी की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2010 में सूरत जिले की कामरेज पुलिस ने दक्षिण गुजरात में नक्सल गतिविधियों का प्रचार करने के लिए गांधी समेत 25 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।' उन्होंने बताया, 'गांधी से पहले, मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी सीमा हिरानी नाम की एक आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका है।' पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने, राजद्रोह समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नक्सलियों को उखाड़ने का संकल्प, राज्यों के साथ मिलकर चलेगा अभियान : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

केंद्र और नक्सल प्रभावित राज्यों ने सोमवार को वामपंथी चरमपंथ से संयुक्त रूप से लड़ने का संकल्प जताया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि माओवादी लोकतंत्र के विचार के खिलाफ हैं और उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा।

शाह के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियानों और वामपंथ अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओड़ीशा), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), कमलनाथ (मध्य प्रदेश), रघुबर दास (झारखंड), वाईएस जगनमोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश) और भूपेश बघेल (छत्तीसगढ़) ने हिस्सा लिया। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा और महेंद्र नाथ पांडेय भी बाद में बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्रियों के साथ सड़क, दूरसंचार, कृषि और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र ने संयुक्त रूप से माओवाद के खतरे से निपटने का संकल्प जताया। बैठक के बाद शाह ने ट्वीट किया, 'वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई। इन राज्यों में सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वामपंथी चरमपंथ लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इसे उखाड़ फेंकने के लिये प्रतिबद्ध हैं।' अर्धसैनिक बलों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद अमित शाह की यह इस तरह की पहली बैठक थी।

माओवाद से प्रभावित 10 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं।

'जैश की साजिश को विफल करने के लिए नौसेना तैयार'

पुणे, 26 अगस्त (भाषा)।

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को यहां कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की समुद्री शाखा लोगों को हमले करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है किंतु भारतीय नौसेना इस तरह के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यहां कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी पक्ष सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुद्र से कोई घुसपैठ न हो। उन्होंने कहा, 'हमें खुफिया (सूचना) मिली हैं कि जैश-ए-मोहम्मद की एक 'अंडरवाटर विंग' को जल क्षेत्र से हमले करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह एक बदलाव है।' एडमिरल सिंह ने कहा, 'लेकिन हम इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'

अमेरिकी बोइंग ने भारत को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर विमान सौंपा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

प्रमुख अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी बोइंग ने सोमवार को भारतीय वायुसेना को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान सौंप दिया, जिससे वायुसेना की सामरिक हवाई परिवहन की क्षमता बढ़ गई है।

सी-17 ग्लोबमास्टर एक प्रमुख परिवहन विमान है। विशाल, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला यह विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिकों और मानवीय सहायता ले जाने में सक्षम हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'बोइंग ने आज भारत को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर को सौंपा, जो भारत की वर्तमान और भविष्य की रणनीतिक

वायु सेना की सामरिक क्षमता बढ़ी

एअरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाएगी।' सी-17 का बेड़ा भारतीय वायुसेना की सामरिक और लड़ाकू विमान चालन क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2013 में स्काई लॉर्ड्स स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना के सी-17 बेड़े में शामिल विमानों ने सैन्य अभियानों के तहत कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं और भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में अहम योगदान दिया है। बोइंग आईएएफ के सी-17 बेड़े का रख-रखाव तकनीकी-लॉजिस्टिक सहायता और प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले हवाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से करता है।

मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस

जबलपुर, 26 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड के गठन में नियमों का उल्लंघन करने के लिए राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड और अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा और न्यायमूर्ति वीएस शुक्ला के पीठ ने भोपाल के वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

फोरेंसिक रिपोर्ट में सीसीडी के मालिक की आत्महत्या की पुष्टि : पुलिस

बंगलुरु, 26 अगस्त (भाषा)।

'कैफे कॉफी डे' (सीसीडी) के मालिक वीजी सिद्धार्थ की फोरेंसिक रिपोर्ट में उनके आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ के फेफड़ों में पानी मिला है और उनकी मौत डूबने के कारण हुई है। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त पीएस हर्ष ने कहा, 'हमें एफएसएल रिपोर्ट मिली है। वह आत्महत्या की पुष्टि करती है।' सिद्धार्थ 29 जुलाई को सक्लेशपुर जाने की जानकारी देकर घर से निकले थे लेकिन अपने चालक को उन्होंने गाड़ी मंगलुरु की ओर ले जाने को कहा। सक्लेशपुर में सिद्धार्थ का कॉफी एस्टेट है।

नेत्रवती नदी पर बने उल्लाल पुल पर सिद्धार्थ गाड़ी से उतर गए और चालक से उनके लौटने तक इंतजार करने को कहा।

'ग्रामनेट' से जल्द सभी गांवों में उपलब्ध होगा वाई-फाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

केंद्र सरकार ने अपने वादे को दोहराते हुए सोमवार को फिर कहा कि ग्रामनेट के माध्यम से जल्द ही सभी गांवों को वाई-फाई उपलब्ध कराया जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीटैक्सी (सी-डॉट) के 36वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि ग्रामनेट के जरिए 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस तक की गति से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतनेट के जरिए एक जीबीपीएस की गति से इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी जो 10 जीबीपीएस तक बढ़ाई जा सकती है। मंत्री ने कहा कि भारत जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा तो उस समय बापू को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि वे गांवों को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे।

धोत्रे ने इस मौके पर सी-डॉट की ओर से विकसित किए गए तीन उत्पाद एक्सजीएस-पीओएन, सी-सैट-फाई और सी-डॉट इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स देश को समर्पित किए। मंत्री ने बताया कि भारतनेट की गति को बढ़ाने में सी-डॉट का एक्सजीएस-पीओएन बहुत मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सी-सैट-फाई के जरिए ऐसे दूरदराज इलाकों में संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह उपकरण सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ता है और फिर वह वाई-फाई के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। इससे लोग एक-दूसरे बातचीत करने के अलावा इंटरनेट भी चला सकते हैं। सी-डॉट के कार्यकारी निदेशक विपिन त्यागी ने बताया कि सी-डॉट इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के आने के बाद डीटीएच और केबल उपभोक्तओं को सेवा प्रदाता बदलने पर अपना सेट टॉप बॉक्स बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता को सिर्फ सेवा प्रदाता से उसका कार्ड लेना होगा। इससे उपभोक्ताओं को धन की बचत होगी।

तय अवधि से ज्यादा रुकने पर अमेरिकी नागरिक को अदालत की फटकार

मुंबई, 26 अगस्त (भाषा)।

भारत से वापस भेजे जाने को चुनौती देने पर बंबई हाई कोर्ट ने एक अमेरिकी नागरिक को फटकार लगाते हुए सोमवार को कहा कि याचिकाकर्ता महज अमेरिकी नागरिक होने की वजह से भारत में रहने का पात्र होने की दावेदारी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने पूछा, 'आप मानते हैं कि आपकी वीजा शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तब आप भारत में रहने की पात्रता का दावा कैसे कर सकते हैं?' अदालत ने कहा, 'एक अमेरिकी के भारत आने में ऐसा क्या खास है? महज इसलिए कि आप एक अमेरिकी नागरिक हैं, आपको लगता है कि आप इस देश में आ सकते हैं और कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, 'माफ करने के लिए भारत एक महान देश है। यहां हर किसी का अधिकार है लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।'

भारत, पाक अगले महीने रूस में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे

चीन और पांच अन्य देश भी शामिल होंगे

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)।

तनावपूर्ण संबंधों के बाद भी भारत और पाकिस्तान अगले महीने रूस में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ढांचे के तहत होने वाले मेगा सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। इसमें चीन और पांच अन्य देश भी शामिल होंगे।

अधिकारियों ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है और यह 16 से 21 सितंबर तक रूस के ऑरेनबर्ग में आयोजित हो रहा है। भारत इस अभ्यास के लिए एक बड़ी टीम भेजेगा जिसमें सेना और वायु सेना के कर्मी होंगे। भारत और पाकिस्तान ने अभ्यास के पिछले संस्करण में पिछले साल भाग लिया था। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देश किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा थे। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में एक साथ काम किया है।

- अभ्यास का मकसद एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है और यह 16 से 21 सितंबर तक रूस के ऑरेनबर्ग में आयोजित हो रहा है। भारत इस अभ्यास के लिए बड़ी टीम भेजेगा जिसमें सेना और वायु सेना के कर्मी होंगे।

भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कूटनीतिक संबंधों का दर्जा घटा दिया है।

सूत्रों ने बताया कि एससीओ सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में संपन्न एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने की थी।

भारत ने पहले टैस्ट में वेस्ट इंडीज को 318 रन से रौंदा

जसप्रीत = 8 ओवर 4 मेडन 7 रन 5 विकेट

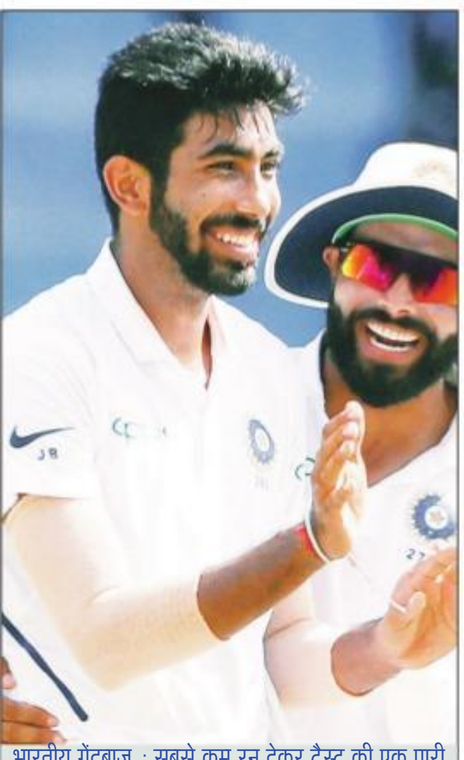

भारतीय गेंदबाज : सबसे कम रन देकर टैस्ट की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए

गेंदबाज	विकेट	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
जसप्रीत बुमराह	5/7	वेस्ट इंडीज	एंटीगा	2019
वेंकटपति राजू	6/12	श्रीलंका	चंडीगढ़	1990
हरभजन सिंह	5/13	वेस्ट इंडीज	किंग्सटन	2006
सुभाष गुप्ते	5/18	पाकिस्तान	ढाका	1955
जे श्रीनाथ	6/21	दक्षिण अफ्रीका	अमदाबाद	1996
रविंद्र जडेजा	5/12	दक्षिण अफ्रीका	मोहाली	2015

नार्थ साउंड (एंटीगा), 26 अगस्त (भाषा) ।

अजिंक्य रहाणे के शतक के बाद जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट से भारत ने पहले टैस्ट क्रिकेट मैच में यहां वेस्ट इंडीज को 318 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने इस जीत के साथ दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा टैस्ट किंगस्टन में 30 अगस्त से खेला जाएगा।

भारत के 419 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम बुमराह (आठ ओवर में चार मेडन के साथ सात रन पर पांच विकेट), इशांत शर्मा (31 रन पर तीन विकेट) और मोहम्मद शमी (13 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने सिर्फ 26.5 ओवर में 100 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 343 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। भारतीय पारी का आकर्षण अजिंक्य रहाणे (102) और हनुमा विहारी (93) के बीच पांचवें विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी रही। रहाणे ने पिछले दो साल में पहला और कुल दसवां शतक बनाया लेकिन विहारी अपने पहले शतक से चूक गए। विहारी के आउट होते ही कोहली ने पारी समाप्त घोषित कर दी। भारत ने विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के अपने इस पहले मैच की पहली पारी में 297 रन बनाने के बाद वेस्ट इंडीज को 222 रन पर आउट कर दिया था।

जसप्रीत बुमराह ने मेजबान वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंटीगा टैस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट लेने के साथ ही कीर्तिमान बना दिया। बुमराह ने दूसरी पारी में आठ ओवर में चार मेडन रखते हुए सात रन देकर पांच विकेट लिए। इसी के साथ टैस्ट इतिहास में वह आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में एक ही पारी में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह 11 टैस्ट मैच खेल चुके हैं और खास बात ये है कि उन्होंने यह उपलब्धि इन चारों देशों के अपने पहले दौरे पर ही हासिल की।

इस जीत के साथ भारत विश्व टैस्ट चैंपियनशिप तालिका में 60 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। श्रीलंका के भी 60 अंक हैं लेकिन वह दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समान 32 अंक के साथ क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वेस्ट इंडीज की हार और बुरी होती क्योंकि दूसरी पारी में टीम 50 रन रन पर ही नौ विकेट गंवा चुकी थी लेकिन केमार रोच (38) और मिगुएल कमिंस (नाबाद 19) ने अंतिम विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर तीन अंक तक पहुंचाया। इन दोनों के अलावा सिर्फ रोस्टन चेज (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। बुमराह ने अनुकूल मौसम में सिर्फ आठ ओवर में वेस्ट इंडीज के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। अपना 11वां टैस्ट खेल रहे बुमराह सबसे कम मैचों में टैस्ट विकेटों का अर्धशतक पूरा करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज भी बने।

60 अंक के साथ विश्व टैस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर पहुंचा **विदेशी सरजमीं पर** यह दूसरी सबसे बड़ी जीत

यह भारत की टैस्ट क्रिकेट की चौथी सबसे बड़ी जबकि विदेशी सरजमीं पर सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली में 2015-16 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 336 रन की जीत भारत के टैस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही विराट कोहली भारतीय कप्तान के रूप में सबसे अधिक जीत के मामले में महेंद्र सिंह धोनी के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए हैं। इन दोनों की अगुआई में भारत ने 27-27 जीत दर्ज की हैं। कोहली ने भारतीय कप्तान के रूप में विदेशी सरजमीं पर सबसे अधिक जीत के मामले में सौरव गांगुली (11 जीत) को पीछे छोड़ा।

बुमराह ने विकेट लेने की शुरुआत की और फिर इशांत ने उसमें उनका अच्छा साथ दिया। बुमराह ने अपने पहले ओवर में ही क्रेग ब्रेथवेट (01) को विकेट के पीछे कैच कराया और फिर अपने अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज जान कैंपबेल (सात) को बोल्ड किया। इशांत ने अगले ओवर की पहली गेंद पर शैमर ब्रूक्स (दो) को पगबाधा किया। बुमराह ने अपने चौथे ओवर में डेरेन ब्रावो (दो) का विकेट उखाड़ा। उन्होंने चाय के विश्राम के बाद शाई होप (02) को बोल्ड करके वेस्ट इंडीज को आगे भी राहत नहीं लेने दी। नए बल्लेबाज कप्तान जेसन होल्डर भी तुरंत पवेलियन लौट जाते लेकिन इशांत की गेंद पर विहारी उनका कैच नहीं ले पाए।

बुमराह को खेलना बेहद मुश्किल था और उन्होंने होल्डर (आठ) को जीवनदान का फायदा नहीं उठाने दिया और जल्द ही उनका भी आफ स्टंप हवा में लहरा दिया। इस तरह से वह चौथी बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे। वह आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में पारी में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।

आचरण अधिकारी ने द्रविड़ को पेश होने के लिए कहा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) ।

बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डीके जैन ने पूर्व कप्तान और एनसीए प्रमुख राहुल द्रविड़ को उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों के संदर्भ में 26 सितंबर को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। जैन ने एजंसी से पुष्टि की कि द्रविड़ को 26 सितंबर को मुंबई में सुनवाई के लिए बुलाया गया है।

इस महीने के शुरू में जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत मिलने पर द्रविड़ को लिखित में जवाब देने के लिए कहा था, जो कि उन्होंने दे दिया था। बीसीसीआइ एक अधिकारी ने एजंसी से कहा, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है। शिकायत के अनुसार द्रविड़ कथित तौर पर हितों के टकराव के दायरे में आते हैं क्योंकि वह एनसीए निदेशक होने के साथ इंडिया सीमेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं जो कि आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स की मालिक है।

अब आउटस्विंग गेंदबाजी को लेकर अधिक आत्मविश्वास है : बुमराह

नार्थ साउंड (एंटीगा), 26 अगस्त (भाषा) ।

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह हमेशा अपने कौशल को निखारने पर काम करते हैं और इसमें उन्होंने अब आउटस्विंग गेंदबाजी को जोड़ा है जिसे करने को लेकर वह पिछले साल तक काफी सहज नहीं थे।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहां पहले टैस्ट में छह विकेट चटकाकर बुमराह सबसे कम मैचों में टैस्ट विकेटों का अर्धशतक पूरा करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने। भारत ने यह टैस्ट रविवार को 318 रन से जीता। इंग्लैंड में पिछले साल भारत की 1-4 की हार के दौरान गेंदबाजी के संदर्भ में बुमराह ने कहा, पहले मैं इन स्विंग गेंदबाजी करता था लेकिन अधिक टैस्ट मैच खेलने के बाद मुझे आउटस्विंग करने को लेकर अधिक आत्मविश्वास आया, विशेषकर इंग्लैंड दौरे से। इस 25 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 11 टैस्ट में 20.63 के औसत से 55 विकेट चटकाए हैं जबकि इस दौरान उनकी इकोनामी दर सिर्फ 2.64 रन प्रति ओवर रही।

तनिषा को जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोहरा खिताब

बंगलुरु, 26 अगस्त (भाषा) ।

तनिषा क्रास्टो ने शानदार लय जारी रखते हुए योनेक्स सनराइज अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के युगल वर्ग में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

तनिषा और अदिति भट्ट की दूसरी वरियता प्राप्त जोड़ी ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में तृषा जॉली और वर्षिणी वीएस को 21-15, 21-23, 21-17 से हराया। गोवा की तनिषा ने इसके बाद मिश्रित युगल में इशान भटनागर के साथ जोड़ी बनाकर अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया।

हम वही करेंगे जो टीम हित में होगा : विराट

नार्थ साउंड (एंटीगा), 26 अगस्त (भाषा) ।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्हें पता है कि टैस्ट मैच के लिए चुनी गई अंतिम 11 खिलाड़ियों की टीम पर गंभीर चर्चा हो सकती है लेकिन सभी फैसले टीम के हितों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं।

भारत ने विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही श्रृंखला के अपने पहले मुकाबले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 318 रन से जीत दर्ज की। इस मैच के लिए टीम में दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को जगह नहीं दिए पर काफी चर्चा हुई थी। पूर्व महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने इसे आश्चर्यचकित करने वाला फैसला बताया था। टीम में जगह पाने वाले इकलौते स्पिनर रविन्द्र जडेजा ने हालांकि अपनी उपयोगिता साबित की। जडेजा पहली पारी में अर्धशतक बनाने के बाद दो विकेट चटकाकर कप्तान के फैसले को सही साबित किया। कोहली ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम सब चर्चा करके तय करते हैं कि टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होगा। अंतिम 11 पर हमेशा चर्चा हो सकती है लेकिन लोगों को पता है कि यह टीम के हित में है। अनुभवी रोहित शर्मा की जगह युवा हनुमा विहारी को टीम में जगह देने का कोहली का फैसला भी सही रहा।

आंध्र के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 93 रन बनाए। उन्होंने पहली पारी में भी 32 रन बनाए और बल्लेबाजी में सहज दिखे। कोहली ने कहा, विहारी को इसलिए जगह मिली क्योंकि यह टीम संयोजन के लिए जरूरी था। कई बार ओवर रेट को पूरा करने के लिए कामचलाऊ गेंदबाज की जरूरत होती है। सीमित ओवरों के क्रिकेट की तरह टैस्ट में जसप्रीत बुमराह अपनी फार्म और फिटनेस के शीर्ष पर थे जिसके लिए कप्तान ने उनकी प्रशंसा की। भारतीय कप्तान ने रहाणे की भी तारीफ की।

Join @NewspapersToday

TATA MOTORS
Connecting Aspirations

TATA

3 YEARS FULL CHEERS

This Festive Season
RUN YOUR CAR FREE FOR 3 YEARS~

PLUS

GOLD COIN WORTH ₹10 000#
+
BENEFITS UP TO ₹60 000
on select stock**
+
EXPRESS FINANCE SCHEME*
+
UP TO 100% ON-ROAD
financing available*

To know more, visit http://drivethefuture.tatamotors.com | Toll-free number: 18002098282 | /tatamotorsgroup | /tatamotors

All TATA Motors Cars are available for sale at CSD. Special offers for Government Employees, Corporates, Doctors & Teachers. for enquries please contact: sandipan.sharma@tatamotors.com

SOUTH DELHI: Concorde Motors, Mathura Road, 7303658949; Treo Auto, Okhla, 7303658596; Concorde Motors, Lajpat Nagar, 7303658483
SOUTH WEST DELHI: Sparsh Autotech, Najafgarh, 8448512647; Truenorth, Mayapuri, 7303658527; Autovikas, Dwarka, 7303658917; Treo Auto, Safdarjung Enclave, 7303658571; Sparsh Autotech, Palam, 6364921247
WEST DELHI: Concorde Motors, Peera Garhi, 8448512448; Autovikas, Moti Nagar, 7303658916
NORTH WEST DELHI: Hemkund, Wazirpur, 8956319658; Malwa, Prashant Vihar, 7303658763
CENTRAL DELHI: Arya Motors, Daryaganj, 7303658776
EAST DELHI: Concorde Motors, Akshardham Metro, 8448512436; Concorde Motors, Patparganj, 7303658439
NORTH EAST DELHI: Globus Motocorp, Dilshad Garden (Opp. Metro station), 7303658593
NOIDA: Sagar Motors, Sector 5, 7303658920
GREATER NOIDA: Sagar Motors, Site-4, 7303658491
GHAZIABAD: Sab Motors, Mohan Nagar, 7303658919; Sab Motors, Patel Nagar-III, 7303658901
FARIDABAD: Multitech Motors, (Near Sec. 28 Metro Station), 7303658559; Multitech Motors, (Near YMCA Chowk), 8956319659
PALWAL: Multitech Motors, 6364921246
GURUGRAM: Arya Motors, Opp Sec 14, Mehrauli Road, 7303658789; Hartron Motors, Sohna Road, 8956319657
REWARI: Premium Motocorp, 7303658597
NARNAUL: Premium Motocorp, 8956319660
SONIPAT: Swan Motors, 8956319643
MEERUT: Shree Vasu, 7303658962
BIJNOR: Shree Vasu, 7303658962
HAPUR: Sab Motors, 7303658502
MODINAGAR: Sab Motors, 8448576927
BULANDSHAHAR: Mascot Motors, 8956317857

Images and illustrations are indicative and for information purposes only. All features & specifications are not available in all variants and may vary for different variants. Specifications & features subject to change without prior information. Please consult an authorized Tata Motors dealer for latest information on features & specifications before deciding to place an order. Colours may not match the actual colours due to printing limitations. Harman™ and Android are registered trademarks. Local taxes and Octroi are extra. *Terms and conditions apply. Avail Tata Motors Finance and get funding benefits on extended warranty. ~3 Years full cheers disclaimers. Offer includes: 3 Years or 75 000 kms. (whichever is earlier) Warranty, 3 Years road side assistance, 3 Years or 40 000 kms (whichever is earlier) scheduled maintenance. AMC details can be referred on website https://service.tatamotors.com and at Dealership. The offer is at sole discretion of Tata Motors and terms of AMC can be changed by Tata Motors without any prior notice. Offer not valid on Harrier, Safari Storme, Nano, Zest, Bolt and Tiago XZA+ variant. # Gold Coin (worth ₹ 10 000) offer is only valid on purchase of diesel variants of Nexon, Tiago and Tigor. All offers are valid up to 31st August, 2019 or till the stocks last. **Additional benefits up to ₹ 40 000 on Tigor Diesel 2018 model. *Express Finance scheme is from Tata Motors Finance. Low DP scheme from select financers.

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 282, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।